TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

TIGHT BINDING BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176482

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No H 342 H66B   Acc No H 1230

Hindi Samvidhan Samitti

Bharatiya Samvidhan ka Prarup.

Osmania University Library

Call No H 342 H66B Accession No H 1230.

Author Hindi Samvidhan Samithi

Title Bharatiya Samvidhan ka Prarup

This book should be returned on or before the date last marked below

भारतीय संविधान का प्रारूप,

(हिन्दी संविधान-समिति द्वारा अनूदित)

१९४८

प्रकाशक—केन्द्रीय प्रकाशन-शाखा, भारत-शासन दिल्ली

मुद्रक—अधीक्षक, शासन-मुद्रणालय नागपुर

1965

THE HINDI TRANSLATION COMMITTEE OF THE DRAFT CONSTITUTION OF INDIA

Shri Ghanshyam Singh Gupta—*Chairman.*

Members

Dr. Raghuvira.
Pt. Hari Bhau Upadhaya.
Pt. Kamlapati Tripathi.
Dr. Nagendra.

FROM

THE HONOURABLE SHRI G. S. GUPTA,

CHAIRMAN OF THE HINDI TRANSLATION COMMITTEE,

TO

THE HONOURABLE THE PRESIDENT,

THE CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA,

NEW DELHI.

SIR,

On behalf of the Hindi Translation Committee appointed by you, I beg to submit the Hindi version of the Draft Constitution of India, as finally passed by the Committee at its meeting on the 28th May 1948. On the very first day of our meeting it was made clear to us, by you, that we were not merely to make a popular translation of the Draft Constitution but should make it, as far as it lay within our power, as accurate and precise and as authoritative as the English Draft. We were also told to choose words which are most likely to be common to the various Provinces of the Dominion of India. We have tried to adhere to these directions. But the difficulties in our way were obvious and many. We, however, embarked on this difficult task as we thought that we might serve, though imperfectly, as sappers and miners in the process of making a new road for Hindi. Up till now Hindi—in fact every other language of India—has been the vehicle of thoughts on subjects such as theology, poetry, history and the like. Owing to political reasons and the domination of a foreign power, Hindi ceased to be the vehicle of higher scientific instructions, of law and of constitutions.

2 The first step we took was to mark out technical words and phrases and fix upon suitable Hindi equivalents. This was no easy job. The words in common use in all languages are loose and do not convey precise meaning. This was more so in the case of Hindi, as Hindi has never been used for making laws and drafting constitutions. This took a considerable part of our time. In this connection, we must record our feelings of gratitude for the great help that we received from one of our colleagues, Dr. Raghuvira. In fact, he has played the main part in supplying us with suitable words. But our difficulty increased because the draft constitution in English changed considerably from time to time. And after the Draft in the final form was received by us on the 26th of February 1948, the date for the first meeting of the Constituent Assembly varied from time to time.

3. I hope you would kindly permit me to say a few words to remove some common fallacies which are prevalent generally in regard to this subject. Some people think that the words in common parlance should suffice for the purpose of such drafting. This is not possible in any language. Each special subject has its specialised vocabulary and the popular language simply fails to serve the purpose. Even a first class M.A. in English would be at sea if he were asked to read a page of a book on Integral Calculus or Thermo Dynamics. This is an extreme example to illustrate my point.

When such is the case with a developed language like English, it would be absurd to think that our present popular vocabulary of Hindi (or Hindustani) can serve the purpose in any specialised branch of knowledge or administration. When we have to provide Hindi equivalents for words with fine distinctions like consent and assent, or recovery, realisation and receipt and a thousand others, the popular vocabulary simply fails. One must learn the terminology to be able to understand the subject.

4. Then there is another mistaken idea. It is generally said that we must retain English words that have become current in Hindi language. That may be very good as far as popular language is concerned. But when we go to specialised knowledge we have no alternative but to reject many of them. I will illustrate my point. Let us take the word "thermometer". It is a very common word and is understood even in villages. For ordinary parlance nobody would like to substitute "thermometer" with any new Hindi equivalent. But this "thermometer" though popular and may persist in the common man's language, will not and cannot find a place in a Hindi book on Physics. If we keep one word like "thermometer" we have to keep hundreds of its unfamiliar derivatives and compounds.

The same would apply in regard to Arabic and Persian words. We gave considerable thought to this problem. And as a result of our experience we came to the conclusion that Hindustani (fusion of Hindi and Urdu with varying degrees of Hindi and Urdu words in different localities) can remain only the spoken language of those areas. It can become also the national language of India, but in the limited sense of common man's spoken language only. The language of higher sciences of administration and law cannot be Hindustani. There is no go from the position that it can be either Hindi derived mostly from Sanskrit or Urdu derived mostly from Arabic and Persian. We cannot have both except in common parlance. To give only one example and but a few of its derivatives let us take the word "law". "Law" has to be distinguished from rules, ordinances, regulations, orders and a lot others. Its derivatives and compounds have also to be provided for. For "law" alone it is easy and desirable to adopt a current Arabic word "Qanun". But if we have to make provision for the whole series, then we must either reject the word "Qanun", howsoever current and dear it may be, or else we must adopt a lot of other words to meet our requirements. That must necessarily bring in new words of Persian and Arabic origin which are not common and have little affinity with our languages even as they are today. The word "law" has no less than about 80 derivatives and compounds, *e.g.*, lawful, unlawful, lawless, law-abiding, law-giver, law-maker and so on and so forth. In specialised branches of knowledge and administration we must choose either Hindi based on Sanskrit or Urdu based on Arabic and Persian. We have decided in favour of Hindi for reasons which are obvious. It has one great advantage, *viz.*, these words would be common to most of the languages of the Dominion of India—Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, etc. They are all of Sanskrit origin and even in the South, the Dravidian languages, particularly Telugu, Kanarese, Malayalam are highly nurtured in Sanskrit.

5. I would beg your indulgence in trying to meet another criticism, which is likely to come from persons learned in Hindi literature, with respect to the choice of words and style.

As to the choice of words, it is easy in many cases to suggest an alternative for the one accepted here. For instance we have the words "Mantri", "Sachiva" and "Amatya" in Hindi which we have to fix for Minister and Secretary. We have fixed "Mantri" for Minister and "Sachiva" for Secretary. One may as well say, why not "Sachiva" or "Amatya" for Minister and "Mantri" or "Amatya" for Secretary. On the face of it there

may not appear any reason for the choice. But in many cases the choice of words has been after due deliberation, and in a few, after hours of discussions. In this particular case we have chosen the word "Mantri" because it is on the *mantrana* (advice) of his Minister that the Governor acts; and "Sachiva" is from *Sacha*, one who is with his master.

As to the style, we would like to impress that in every language each subject has its own style. If this is borne in mind, the objection will melt. The style differs from subject to subject. Even in the English language, the style of literature is different from that of sciences and law. The style of Shakespeare is not the style of the Law of Crimes. Even in various branches of literature itself the style differs. Poetry, drama and novel have each a different style. Even the same author, when writing on different subjects, writes differently. There is a world of difference in the styles of "The History of England" and the "Indian Penal Code" both by Lord Macaulay. In the one case there is a flourish of language and in the other there is terseness. In the former different words will be used to convey the same meaning to give beauty to the language while in the latter same words must be used to convey the same sense even to the point of becoming nauseating. We are accustomed to this difference of style in the English language and, therefore, do not notice anything unusual in it. But being a new thing for Hindi we fail to appreciate it and are prone to criticise. In fact, we should realise that an altogether new road has to be built so far as Hindi is concerned. We have to make it a language of law and of law courts and also of Sciences. We have in a way to create new styles in Hindi to suit these new subjects. As a matter of fact, the subject-matter will force its own style on the language, even if we failed to do it, provided of course, that we persist in making Hindi the vehicle of subjects like Law and Constitution.

6. Faced with these difficulties and handicaps, we have tried to make the Draft as simple as could be consistent with accuracy of such a technical subject. We have gone to the length of even changing our words almost up to the last moment, to introduce what may be called words of popular use. But with all that, we must say that passages could still be pointed out, to fully understand which one has to acquire familiarity with new terms. This can easily be done by any one possessing a fair knowledge of Hindi and of course of the subject-matter.

7. We have been given the task of translating a terse document originally drafted in English and it was impossible to make it true and faithful without importing, in some degree, the spirit and atmosphere of the original, English. If, however, the original Constitution itself had been framed in Hindi, the phraseology, syntax, spirit and atmosphere would have been our own without departing in any way from the basic conceptions.

8. With these observations I beg to submit this Hindi Draft of the Constitution. We are fully aware of the difficulties and our own limitations. Nobody is so vain as to claim anything like perfection for this Draft, and we readily recognise the possibility of improvement by suitable amendments. But what we do hope and pray for is that this may well serve to fulfil your noble wish to have the first Constitution of Free India framed in Hindi. In giving vent to that sentiment, Sir, you have voiced the innermost feelings of the millions of our countrymen in the Dominion of India. We have obtained political liberty but are still labouring under the dominance of the English language. Under your wise guidance may God free us from that dominance also and the first Constitution of Free India be framed in Hindi.

9. Before I conclude I must express my gratitude to Dr. Raghuvira for the invaluable help he gave in regard to terminology. Shri Haribhau Upadhaya gave all attention to the work and his help has been invaluable. My thanks are also due to Pandit Kamlapati Tripathi and Doctor Nagendra. I have to express the appreciation of the Committee for the work done by Professor Balkrishna. I have also to thank the staff of Central Provinces Legislative Assembly for their ungrudging help V. K. Aiyar, the Superintendent of the Government Press, N we dered all possible help in the matter of printing and I must for all that.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

G. S. GUPTA,

Chairman.

तरफ से

माननीय घनश्यामसिंह गुप्त,
सभापति,
हिन्दी अनुवाद-समिति

सेवा में

माननीय प्रधान जी,
भारतीय संविधान-सभा,
नई दिल्ली.

श्रीमा

...य संविधान के हिन्दी अनुवाद के लिये, आपने जो समिति बनाई थी उसकी ओर से आप की सेव... हिन्दी संविधान का यह मसविदा पेश करता हूं. समिति ने इसे अपनी तारीख २८ मई १९४८ की बैठ... में स्वीकार कर लिया है और आपकी सेवा में पेश करने का मुझे अधिकार दिया है.

हमारी पहिली बैठक में ही श्रीमान् जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा अनुवाद, केवल साधारण जनता की जानकारी के लिये न हो वरन् ऐसा हो जो कानूनी पण्डितों की जांच में उतर सके और जिसकी प्रामाणिकता उतनी ही हो जितनी कि अंग्रेजी मसविदा की. श्रीमान् जी ने यह भी इंगित किया था कि उसमें प्रयुक्त शब्दावली प्रायः ऐसी हो जो इस भारत-अधिराज्य (इंडियन डोमीनियन) के अन्य प्रान्तों को समान रूप से ग्राह्य हो सके. आपकी इन हिदायतों को ध्यान में रखकर ही हमने अपना कार्य प्रारम्भ किया. हमारे मार्ग में कई कठिनाइयां थीं जो प्रायः सबको विदित हैं. तथापि इस कठिन कार्य को करने की हमने हिम्मत की ताकि हिन्दी के लिये एक नये मार्ग के निर्माण में हम किसी प्रकार सफर मैना का काम दे सकें. अब तक हिन्दी का क्षेत्र सीमित था. धर्मग्रन्थ, कविता, उपन्यास, जीवनचरित्र आदि विषयों में हिन्दी का प्रयोग होता रहा. उच्च विज्ञान, विधान और संविधान का माध्यम हिन्दी नहीं रह गया था. हमारी राजनैतिक परिस्थिति के कारण वह अंग्रेजी का विशेष क्षेत्र बना हुआ था. इससे संविधान के हिन्दी अनुवाद में, जिसमें प्रामाणिकता का दावा हो सके, असाधारण कठिनाइयों का होना स्वाभाविक था.

२. पहिला कदम जो हमने उठाया वह यह था कि पारिभाषिक और विशेषार्थी अंग्रेजी शब्दों को छांटना और उनके पर्य्यायवाची शब्दों को ढूंढना, निश्चित करना अथवा नया निर्माण करना. यह कार्य कोई आसान नहीं था. इसमें पर्याप्त समय लगा. इसके लिये इस कमेटी के सदस्य श्रीयुत डा. रघुवीर जी के हम आभारी हैं. वास्तव में शब्द निर्माण का कार्य उन्हीं का कहा जा सकता है. हमारी कठिनाइयां इसलिये भी बढ़ीं कि अंग्रेजी का मसविदा (प्रारूप) समय समय पर पर्याप्त बदलता गया और जब हमें तारीख २६ फरवरी सन १९४८ ई. को अन्तिम प्रारूप मिला तब संविधान की आगामी बैठक की तिथि दूर नहीं समझी गई यद्यपि वह पीछे बढ़ती गई, जिसका हम कुछ अधिक लाभ न उठा सके.

३. विधान-शब्दावली सम्बन्धी कार्य अन्यत्र करने में जो आक्षेप मेरे सुनने में आये उनका यहां जिक्र करने के लिये आपसे क्षमा चाहता हूं. उस प्रकार के भ्रम प्रायः पाये जाते हैं, इसीलिये उनको यहां दूर करना मैं उचित समझता हूं. कुछ लोगों की समझ है कि हमारी साधारण बोलचाल की भाषा इसके लिये पर्याप्त होनी चाहिये. विशिष्ट ज्ञान की अथवा विधान की पुस्तकों की भाषा को समझने की क्षमता साधारण लोगों को हो सकनी चाहिये. यह केवल भ्रम है. यह किसी भी भाषा में सम्भव नहीं. सभी भाषाओं में विशेष विषय की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है जो साधारण बोलचाल की परिधि से विभिन्न होती है. जिसने अंग्रेजी-साहित्य में एम. ए. पास किया है ऐसे विद्यार्थी को भी यदि गणित की चलनकलन (इण्टिग्रल कैलकुलस) अथवा शांकव छेद (कानिक सेकशन) सम्बन्धी अंग्रेजी की पुस्तक दे दी जाय तो वह उसके एक पृष्ठ को भी नहीं समझ सकेगा. यही बात न्यूनाधिक परिमाण में सब विषयों के लिये है. जब अंग्रेजी सरीखी समृद्ध भाषा की यह बात है तो हिन्दी के लिये यह समझना कि साधारण भाषा की जानकारी से हम विशेष विषयों के ग्रन्थों को समझ सकें यह अज्ञानता की बात है. जब हमें सूक्ष्म भेद रखने वाले शब्दों के लिये हिन्दी पर्य्याय बनाना है तो साधारण भाषा पंगु हो जाती है. यथा :—प्रोफेशन, आकुपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कालिंगज, और एम्प्लायमेन्ट. किसी विशिष्ट विषय को समझने के लिये उसकी शब्दावली को पढ़ना होगा.

भारतीय संविधान का प्रारूप

पृष्ठ

सूची

प्रस्तावना १

अनुच्छेद

भाग १

संघ और उसका राज्यक्षेत्र तथा (अधिकारक्षेत्र) क्षेत्राधिकार

१. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र २

. नये राज्यों का प्रवेशन तथा स्थापन २

३. नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों का परिवर्तन. २

४. प्रथम अनुसूची के संशोधन और आनुषंगिक तथा समनुवर्ती विषयों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के अधीन निर्मित विधि. ३

भाग २

जानपदत्व (सिटीजनशिप)

५. संविधान की प्रारम्भ तिथि पर जानपदत्व ४

६. संसद् का विधि द्वारा जानपदत्व अधिकार का आनियमन ... ४

भाग ३

मूलाधिकार

सामान्य

७. परिभाषा ५

८. परित्राण ५

समताधिकार

९. धर्म, प्रजाति, जाति अथवा लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध. ५

१०. राज्याधीन नियुक्ति में अवसर-समता ५

११. अस्पृश्यता का अन्त ६

१२. उपाधियों का अन्त ६

१३. वाक्-स्वातंत्र्य आदि से सम्बद्ध कुछ अधिकारों का रक्षण ... ६

१४. दोष-निर्धारण विषयक रक्षण ७

१५. प्राण, दैहिक स्वातंत्र्य और विधि के समक्ष समता का रक्षण ७

१६. भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वातंत्र्य. ७

१७. मानव-पणन और बलात्श्रम का वर्जन ७

१८. बालकों के निर्माणियों आदि में सेवायोजना का वर्जन ... ७

धर्म सम्बन्धी अधिकार

१९. विश्वास स्वातंत्र्य तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने का स्वातंत्र्य. ८

अनुच्छेद		पृष्ठ
२०.	धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध और धार्मिक तथा परोपकारी प्रयोजन के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व, अवापन और प्रशासन का स्वातंत्र्य.	८
२१.	विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति तथा संधारण के लिये लगाये हुए कर के देने के सम्बन्ध में स्वातंत्र्य.	८
२२.	कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने के विषय में स्वातंत्र्य.	८
	सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार	
२३.	अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण	९
	साम्पत्तिक अधिकार	
२४.	सम्पत्ति का अनिवार्य अवापन	९
	सांवैधानिक उपचाराधिकार	
२५.	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की पूर्ति कराने के उपचार ...	९
२६.	इस भाग द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का बलों की प्रयुक्ति की अवस्था मे संपरिवर्तन करने की संसद् की शक्ति.	१०
२७.	इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये विधान ...	१०
	भाग ४	
	राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त	
२८.	परिभाषा	११
२९.	इस भाग में वर्णित सिद्धान्तों की प्रयुक्ति	११
३०.	लोक-हित-वृद्धि-हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा ...	११
३१.	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ सिद्धान्त	११
३२.	कुछ अवस्थाओं मे कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा लोक साहाय्याधिकार.	११
३३.	कर्म की न्याय्य तथा दयायुक्त दशाओं का तथा प्रसूति साहाय्य का प्रावधान.	११
३४.	कर्मकारियों के लिये निर्वाह-भृत्ति आदि	१२
३५.	जानपदों के लिये एकविध समान व्यवहार संहिता ...	१२
३६.	निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान	१२
३७.	अनुसूचित जातियों, आदिवासी जातियों तथा अन्य दुर्बल भागों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि.	१२
३८.	आहार-पोषण-तल और जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य.	१२
३९.	राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों, आस्मारकों का रक्षण, परिरक्षण तथा संधारण.	१२
४०.	अन्ताराष्ट्रीय शान्ति और निःशंकता का प्रवर्तन-रक्षण ...	१२

अनुच्छेद पृष्ठ

भाग ५

संघ

अध्याय १.—अधिशासन

प्रधान तथा उपप्रधान

४१. भारत का प्रधान १३

४२. संघ की अधिशासी शक्ति १३

४३. प्रधान का निर्वाचन १३

४४. प्रधान के निर्वाचन की रीति १३

४५. प्रधान की पद-अवधि १४

४६. पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता १४

४७. प्रधान निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें १४

४८. प्रधान-पद के लिये प्रतिबन्ध १५

४९. पद-प्रवेश के पूर्व प्रधान, उसका स्थानापन्न अथवा उसके प्रकार्य निर्वाहक के लिये निश्चयोक्ति अथवा शपथ. १५

५०. प्रधान पर प्राभियोग लगाने की कार्यप्रणाली १५

५१. प्रधान-पद की रिक्ति पूर्ति के लिये निर्वाचन समय तथा आकस्मिक रिक्तिपूरक निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि. १६

५२. भारत का उपप्रधान १६

५३. उपप्रधान पद-कारणात् राज्य-परिषद् की सभापति होगा ... १६

५४. प्रधान की अनुपस्थिति अथवा उसके पद की आकस्मिक रिक्ति के काल में उपप्रधान द्वारा प्रधान के स्थानापन्न का प्रकार्य अथवा उसके पद के कर्तव्यों का पालन. १६

५५. उपप्रधान का निर्वाचन १६

५६. उपप्रधान की पदावधि १७

५७. अन्य किसी सम्भाव्यता में प्रधान के प्रकार्य पालनार्थ प्रावधान बनाने की संसद् की शक्ति. १८

५८. प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उद्भूत अथवा सम्बद्ध विषय. १८

५९. क्षमण, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेश करने की प्रधान की शक्ति. १८

६०. संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार १८

मंत्रिपरिषद्

६१. प्रधान को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रिपरिषद् ... १९

६२. मंत्रियों सम्बन्धी अन्य प्रावधान १९

भारत का महाप्राभिकर्ता

६३. भारत का महाप्राभिकर्ता १९

अनुच्छेद | पृष्ठ

शासन-कार्य का संचालन

६४. भारत-शासन-कार्य का संचालन २०

६५. प्रधान को संसूचना देने आदि विषयक प्रधान मंत्री के कर्तव्य... २०

अध्याय २.—संसद्

सामान्य

६६. संसद् का संघटन २०

६७. संसद् के आगारों की रचना २०

६८. संसद् के आगारों की अवधि २२

६९. संसद् के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन २२

७०. आगारों को सम्बोधन करने और सन्देश भेजने का प्रधान का अधिकार. २२

७१. संसद् के प्रत्येक सत्रारम्भ में प्रधान का विशेष अभिभाषण तथा अभिभाषण मे निर्दिष्ट विषयों का संसद् में पर्यालोचन. २२

७२. आगारों विषयक मंत्रियों और महाप्राभिकर्ता का अधिकार ... २२

संसद् के अधिकारी

७३. राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति २३

७४. उपसभापति की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद-निष्कासन. २३

७५. उपसभापति तथा अन्य व्यक्तियों की सभापति के पद-कर्तव्यों के पालन करने की अथवा उसका स्थानापन्न होने की शक्ति. २३

७६. लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष २३

७७. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद-निष्कासन. २३

७८. अध्यक्ष पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति. २४

७९. सभापति तथा उपसभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा अधिदेय. २४

कार्य-संचालन

८०. आगारो में मतदान; रिक्तियों के होतें हुए भी आगारों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूरक. २४

सदस्यों की निर्योग्यताएँ

८१. सदस्यों द्वारा घोषणा २५

८२. स्थानों की रिक्ति २५

८३. सदस्यता के लिये निर्योग्यताएँ २५

८४. अनुच्छेद ८१ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुए अथवा निर्योग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दंड. २६

अनुच्छेद		पृष्ठ
	सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ	
८५.	सदस्यों के विशेषाधिकार, आदि	२६
८६.	सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय	२६
	विधान कार्यप्रणाली	
८७.	विधेयकों के पुरःस्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान ...	२६
८८.	कुछ अवस्थाओं में आगारों की संयुक्त बैठक	२७
८९.	मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली	२८
९०.	मुद्रा-विधेयकों की परिभाषा	२८
९१.	विधेयकों पर अनुमति	२९
	आर्थिक विषयों में कार्य-प्रणाली	
९२.	वार्षिक आर्थिक विवरण	२९
९३.	संसद् में आगणना-विषयक कार्य-प्रणाली	३०
९४.	प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन	३०
९५.	व्यय के अनुपूरक विवरण	३१
९६.	अतिशायी अनुदान	३१
९७.	आर्थिक विधेयकों के लिये विशेष प्रावधान	३१
	सामान्य कार्य-प्रणाली	
९८.	कार्य-प्रणाली के नियम	३१
९९.	संसद् में प्रयोक्तव्य भाषा	३२
१००.	संसद् में पर्यालोचन पर आयंत्रण	३२
१०१.	संसद् की कार्यवाहियों की न्यायालय परिपृच्छा न करेंगे ...	३२
	अध्याय ३.—प्रधान की विधायिनी शक्तियां	
१०२.	संसद् के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश के प्रवर्तन की प्रधान की शक्ति.	३२
	अध्याय ४.—संघ का न्याय-मंडल	
१०३.	सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा संघटन	३३
१०४.	न्यायाधीशों के वेतन आदि	३४
१०५.	स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति	३४
१०६.	एतदर्थ (एडहाक) न्यायाधीशों की नियुक्ति	३४
१०७.	सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति.	३५
१०८.	सर्वोच्च न्यायालय का स्थान	३५
१०९.	सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकारक्षेत्र	३५
११०.	विशेष अवस्थाओं में राज्यों के उच्च न्यायालयों से पुनर्विचार प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार क्षेत्राधिकार.	३६

अनुच्छेद		पृष्ठ
१११.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अतिरिक्त भारत के राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालयों से अन्य मामले की पुनर्विचार प्रार्थना में सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार-क्षेत्राधिकार.	३६
११२.	कुछ अन्य मामलों में पुनर्विचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति.	३७
११३.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ अभियोगों में सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्था-प्रार्थना.	३७
११४.	सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि	३७
११५.	कुछ लेखों के निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति-प्रदान...	३७
११६.	सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां	३८
११७.	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी.	३८
११८.	सर्वोच्च न्यायालय के प्रादेशों और आदेशों का प्रवर्तन तथा प्रलेखों को प्रकट कराने आदि के आदेश.	३८
११९.	सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की प्रधान की शक्ति ...	३८
१२०.	असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेंगे.	३८
१२१.	न्यायालय के नियम आदि	३८
१२२.	सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, तथा सेवकों के वेतन, अधिदेय और उत्तरवेतन और सर्वोच्च न्यायालय के व्यय.	३९
१२३.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों के उच्च न्यायालयों के प्रति निर्देशों का अन्वय.	३९

अध्याय ५.—भारत का महांकेक्षक

१२४.	भारत का महांकेक्षक	४०
१२५.	महांकेक्षक के कर्तव्य और शक्तियां	४०
१२६.	लेखे के विषय में निदेश देने की महांकेक्षक की शक्ति ...	४०
१२७.	अंकेक्षण प्रतिवेदन	४०

भाग ६

प्रथम सूची के भाग १ में के राज्य

अध्याय १.—सामान्य

१२८.	परिभाषा.	४१

अध्याय २.—अधिशासि-वर्ग

शासक

१२९.	राज्यों के शासक	४१
१३०.	राज्यों की अधिशासी शक्ति	४१
१३१.	शासक का निर्वाचन	४१

अनुच्छेद | पृष्ठ

विकल्पतः

१३१. शासक की नियुक्ति ४१
१३२. शासक की पदावधि ४१
१३३. शासक की पुनर्निर्वाचन/पुनर्नियुक्ति के लिये पात्रता ... ४२
१३४. शासक निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें ४२

विकल्पतः

१३४. शासक नियुक्त होने के लिये योग्यतायें ४२
१३५. शासकपद के प्रतिबन्ध ४३
१३६. पदग्रहण से पूर्व शासक अथवा शासक के प्रकार्यों को निर्वाहन करने वाले व्यक्ति की निश्चयोक्ति अथवा शपथ. ४३
१३७. शासक पर अभियोग चलाने की कार्य-प्रणाली ४३
१३८. विशेष सम्भाव्यताओं में शासक के प्रकार्य निर्वाहनार्थ प्रावधान बनाने की राज्य के विधान मंडल (प्रधान) की शक्ति. ४४
१३९. शासक-पद की रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका संघटनार्थ निर्वाचन) समय. ४४
१४०. शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका संघटनार्थ निर्वाचन) से उद्भूत अथवा सम्बद्ध विषय. ४४
१४१. क्षमण आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेशन करने की शासक की शक्ति. ४४
१४२. राज्यों की अधिशासी शक्ति का विस्तार ४४

मन्त्रि-परिषद्

१४३. शासक को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद् ... ४५
१४४. मंत्रियों सम्बन्धी अन्य प्रावधान ४५

राज्य का महाधिवक्ता

१४५. राज्य का महाधिवक्ता ४५

शासन-कार्य का संचालन

१४६. राज्य-शासन-कार्य का संचालन ४६
१४७. शासक को संसूचना देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्तव्य ... ४६

अध्याय ३.—राज्य का विधान-मंडल

सामान्य

१४८. प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के विधान-मंडलों का संघटन. ४६
१४९. विधान-सभाओं की रचना ४६
१५०. विधान-परिषदों की रचना ४७
१५१. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि ४८
१५२. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये आयु-सीमा ... ४८
१५३. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन ... ४८

अनुच्छेद		पृष्ठ
१५४.	आगारों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का शासक का अधिकार.	४८
१५५.	प्रत्येक सत्रारम्भ में शासक का विशेष अभिभाषण, तथा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों का विधान-मंडल में पर्यालोचन.	४६
१५६.	आगारों विषयक, मन्त्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ...	४६
	राज्य के विधान मंडल के अधिकारी	
१५७.	विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	४६
१५८.	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पदनिष्कासन.	४६
१५६.	अध्यक्षपद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति	५०
१६०.	विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति	५०
१६१.	सभापति तथा उपसभापति की पदरिक्ति, पदत्याग तथा पद-निष्कासन.	५०
१६२.	सभापति-पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा सभापति के स्थानापन्न होने की, उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति.	५०
१६३.	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और सभापति तथा उपसभापति के वेतन तथा अधिदेय.	५१
	कार्य-संचालन	
१६४.	आगारों में मतदान; रिक्तियों के होते हुये भी आगारों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूरक.	५१
	सदस्यों की निर्योग्यताएं	
१६५.	सदस्यों द्वारा घोषणा	५१
१६६.	स्थानों की रिक्ति	५१
१६७.	सदस्यता के लिये निर्योग्यताएं	५२
१६८.	अनुच्छेद १६५ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुये अथवा निर्योग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दन्ड.	५३
	सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियां	
१६६.	सदस्यों के विशेषाधिकार आदि	५३
१७०.	सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय	५३
	विधान-कार्यप्रणाली	
१७१.	विधेयकों के पुरःस्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान ...	५४
१७२.	कुछ अवस्थाओं में, विधान-परिषदों वाले राज्यों के दोनों आगारों का संयुक्त अधिवेशन.	५४
१७३.	मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली	५५
१७४.	मुद्रा-विधेयकों की परिभाषा	५५

अनुच्छेद		पृष्ठ
१७५.	विधेयकों पर अनुमति	५६
१७६.	विचारार्थ आरक्षित विधेयक	५६
	आर्थिक विषयों में कार्यप्रणाली	
१७७.	वार्षिक आर्थिक विवरण	५६
१७८.	विधान-मंडल में आगणना-विषयक-कार्यप्रणाली ...	५७
१७९.	प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन	५७
१८०.	व्यय के अनुपूरक विवरण	५८
१८१.	अतिशायी अनुदान	५८
१८२.	आर्थिक विधेयकों के लिये विशेष प्रावधान	५८
	सामान्य कार्यप्रणाली	
१८३.	कार्यप्रणाली के नियम	५९
१८४.	राज्यों के विधान-मंडलों में प्रयोक्तव्य भाषा	५९
१८५	विधान-मंडल में पर्यालोचन पर आयत्रण	५९
१८६.	विधान-मंडल की कार्यवाहियों की, न्यायालय परिपृच्छा न करेंगे.	५९
	अध्याय ४.—शासक की विधायिनी शक्ति	
१८७.	विधान-मंडल के विश्रान्तिकाल में शासक की अध्यादेश-प्रवर्तन-शक्ति.	६०
	अध्याय ५.—गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति विषयक-प्रावधान	
१८८.	गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति में शासक की शक्ति	६०
	अध्याय ६.—अनुसूचित और वनजाति क्षेत्र	
१८९.	परिभाषाएं	६१
१९०.	अनुसूचित और वनजाति-क्षेत्रों का प्रशासन	६१
	अध्याय ७.—राज्यों के उच्च न्यायालय	
१९१.	उच्च न्यायालय का अर्थ	६१
१९२.	उच्च न्यायालयों का संघटन	६२
१९३.	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद के प्रतिबन्ध.	६२
१९४.	सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी कतिपय प्रावधानों की उच्च न्यायालयों पर प्रयुक्ति.	६३
१९५.	पद-प्रवेश से पूर्व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की घोषणा	६३
१९६.	उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुके हुए व्यक्ति के लिये न्यायालयों में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवचन करने पर प्रतिषेध.	६४
१९७.	न्यायाधीशों के वेतन, आदि	६४
१९८.	अस्थायी न्यायाधीश	६४

अनुच्छेद		पृष्ठ
१९९.	अपर न्यायाधीश	६४
२००.	सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति.	६५
२०१.	विद्यमान उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार	६५
२०२.	कुछ लेखों के निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति	६५
२०३.	उच्च न्यायालयों के प्रशासन प्रकार्य	६५
२०४.	विशेष अभियोगों के वैधिक विचार के लिये उच्च न्यायालय को हस्तांतरण.	६६
२०५.	उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, अधिदेय और उत्तर वेतन तथा उच्च न्यायालयों के व्यय.	६६
२०६.	उच्च न्यायालय संस्थापन अथवा पुनस्संस्थापन करने की शक्ति	६६
२०७.	उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में विस्तार अथवा अपवर्जन	६७
२०८.	राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में राज्यों के विधान-मंडलों की विधि बनाने की शक्ति पर आयंत्रण.	६७
२०९.	निर्वचन	६८
	अध्याय ६.—राज्यों के मुख्यांकेक्षक	
२१०.	राज्य के मुख्यांकेक्षक	६८
२११.	अंकेक्षण-प्रतिवेदन	६९
	भाग ७	
	प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्य	
२१२.	प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्यों का प्रशासन ...	७०
२१३	स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रणा-परिषद् बनाना व जारी रखना.	७०
२१४.	कुर्ग	७०
	भाग ८	
	प्रथम अनुसूची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं	
२१५.	प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों का, और अन्य राज्यक्षेत्रों का जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं, प्रशासन.	७१
	भाग ९	
	संघ और राज्यों के सम्बन्ध	
	अध्याय १.—विधायी सम्बन्ध	
	विधायिनी शक्तियों का विभाजन	
२१६.	संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार.	७२

अनुच्छेद		पृष्ठ
२१७.	संसद्द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधि के विषय.	७२
२१८.	सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी विधान	७२
२१९.	किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद् की शक्ति.	७२
२२०.	उच्च न्यायालयों के संस्थापन और संघटन सम्बन्धी विधान	७३
२२१.	उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियों सम्बन्धी विधान.	७३
२२२.	दीवानी और फौजदारी विषयों में अनुसरणीय कार्य-प्रणाली सम्बन्धी विधान.	७३
२२३.	अवशिष्ट विधान-शक्ति	७३
२२४.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों के सम्बन्ध में किन्हीं विषयों पर विधि बनाने की संसद् की शक्तियों पर आयन्त्रण.	७३
२२५.	प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति का विस्तार.	७४
२२६.	राष्ट्रीय हित में, "राज्य-सूची" में के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति.	७४
२२७.	जब सद्यस्कृत्यस्थिति घोषणा प्रवृत्त है तब "राज्य-सूची" में के विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की, संसद् की शक्ति.	७४
२२८.	अनुच्छेद २२६ और २२७ के अधीन संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियों में असंगति.	७४
२२९.	एक या अधिक राज्यों के लिये उनकी सम्मति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अभिग्रहण.	७५
२३०.	अन्ताराष्ट्रीय संविदाओं के पालनार्थ विधान	७५
२३१.	संसद् द्वारा निर्मित और राज्यों की विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असगति.	७५

विधायिनी शक्तियों पर आयन्त्रण

२३२.	अभिस्तावों की अपेक्षाओं को केवल कार्य-प्रणाली के विषय मानना.	७५

अध्याय २.—प्रशासन-सम्बन्ध

सामान्य

२३३.	संघ और राज्यों के कर्तव	७६
२३४.	संघ के प्राधिकार पर रुकावट अथवा उनका विरोध न करने का राज्यों का कर्तव्य.	७६
२३५.	विशेष अवस्थाओं में राज्यों को अधिकार-प्रदान की संसद् की शक्ति.	७६
२३६.	किन्हीं राज्यों में, वैधानिक, अधिशासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण करने की संघ की शक्ति.	७७

अनुच्छेद पृष्ठ

२३७. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों में, वैधानिक, अधिशासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण करने की, प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की शक्ति. ७७

२३८. सार्वजनिक क्रिया, उल्लेखपत्र तथा न्यायिक कार्यवाहियां ... ७८

जल-प्रदाय में हस्तक्षेप

२३९. जल-प्रदाय मे हस्तक्षेप की शिकायतें (परिदेवना) ७८

२४०. परिदेवनाओं के निर्णय ७८

२४१. प्रथम अनुसूची के भाग २ के राज्यों के जल-प्रदायों में हस्तक्षेप. ७९

२४२. न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन ८०

अन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य

२४३. व्यापार अथवा वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि अथवा आनियम द्वारा एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य को अधिमान देने अथवा विभेद करने पर प्रतिषेध. ८०

२४४. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और यातायात पर आयन्त्रण ८०

२४५. अनुच्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति. ८१

राज्यों के बीच सहयोग

२४६. अन्ताराज्य-परिषद् विषयक प्रावधान ८१

भाग १०

अर्थ, सम्पत्ति, प्रसंविदा और व्यवहार

अध्याय १.—अर्थ

संघ तथा राज्यों के बीच आगम-विभाजन

२४७. निर्वचन ८२

२४८. "भारत के आगम" तथा "राज्य के आगम" का अर्थ ... ८२

२४९. संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा आत्मसात्कृत बलियां. ८२

२५०. संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किन्तु राज्यों को नियोजित कर ८२

२५१. संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत और संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित कर. ८३

२५२. संघ के प्रयोजनों के हेतु कतिपय बलियों तथा करों पर अधिभार ८४

२५३. कर जो संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित हो सकें. ८४

२५४. सन अथवा सन की बनी वस्तुओं की बलि का विभाजन ... ८४

२५५. कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान ८४

२५६. व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर ... ८५

अनुच्छेद		पृष्ठ
२५७.	परित्राण	८५
२५८.	करों तथा बलियों के आरोपण, संग्रहण और विभाजन के विषय में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों से संविदा.	८५
२५९.	"शुद्ध उदय" आदि का गणन	८६
२६०.	अर्थायोग	८६
२६१.	अर्थायोग के अभिस्ताव	८७

प्रकीर्ण आर्थिक प्रावधान

२६२.	भारत के आगमों में से शोध्य व्यय	८७
२६३.	लोक-मुद्रा के अभिरक्षण विषयक प्रावधान	८७
२६४.	कतिपय लोक सम्पत्ति की करारोपण से मुक्ति	८७
२६५.	विद्युत् पर कर से मुक्ति	८७
२६६.	राज्य के शासनों की संघ-कर से मुक्ति	८८
२६७.	कतिपय व्ययों तथा उत्तर वेतनों के विषय में समायोजना ...	८८

अध्याय २.—उद्धार-ग्रहण

२६८.	भारत-शासन द्वारा उद्धार-ग्रहण	८९
२६९.	राज्यों द्वारा उद्धार-ग्रहण	८९

अध्याय ३.—सम्पत्ति, प्रसंविदा, देय और व्यवहार

२७०.	परिसम्पत्तियों तथा ऋणों, अधिकारों तथा देयों पर उत्तराधिकार.	८९
२७१.	उत्तराधिकारी के अभाव, व्यपगम अथवा स्वामिहीनत्व से उद्भूत सम्पत्ति.	९०
२७२.	सम्पत्ति के अवापन की शक्ति	९०
२७३.	प्रसंविदाएँ	९०
२७४.	व्यवहार तथा कार्यवाहियां	९०

भाग ११

सद्यस्कृत्यस्थिति-प्रावधान

२७५.	सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा	९२
२७६.	सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा का प्रभाव	९२
२७७.	जिस कालावधि में सद्यस्कृत्यस्थिति की घोषणा प्रवर्तन में है, उसमें आगम-विभाजन सम्बन्धी प्रावधानों का प्रयोग.	९२
२७८.	प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों में सांवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने की अवस्था में प्रावधान.	९३
२७९.	सद्यस्कृत्यस्थिति की अवधि में अनुच्छेद १३ के प्रावधानों का निलम्बन.	९४
२८०.	सद्यस्कृत्यस्थिति की अवधि में अनुच्छेद १५ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का निलम्बन.	९४

अनुच्छेद पृष्ठ

भाग १२

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय १.—सेवाएं

२८१. निर्वचन ९५

२८२. संघ अथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं के प्रतिबन्ध. ९५

२८३. अन्तर्वर्ती प्रावधान ९५

अध्याय २.—लोक-सेवा-आयोग

२८४. संघ और राज्यों के लिये लोक-सेवा-आयोग ९५

२८५. आयोगों की रचना और कर्मचारि-वर्ग ९६

२८६. लोक-सेवा-आयोगों के प्रकार्य ९७

२८७. लोक-सेवा-आयोग के प्रकार्यों में विस्तार करने की शक्ति ... ९८

२८८. लोक सेवा-आयोगों के व्यय ९८

भाग १३

निर्वाचन

२८९. निर्वाचनों का अधीक्षण, संचालन और नियन्त्रण निर्वाचन-आयोग में निहित होंगे. ९९

२९०. संसद् के लिये निर्वाचन ९९

२९१. राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचन ९९

भाग १४

अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान

२९२. लोक-सभा में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण ... १००

२९३. लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान. १००

२९४. राज्यों की विधान-सभाओं में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण. १००

२९५. राज्यों की विधान-सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान. १००

२९६. सेवाओं और पदों के लिये अल्प संख्यक समुदायों के दावे ... १०१

२९७. कतिपय सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष प्रावधान १०१

२९८. आंग्ल-भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षण-अनुदान के लिये में विशेष प्रावधान. १०१

२९९. संघ और राज्यों में अल्प संख्यकों के लिये विशेष अधिकारी ... १०१

३००. प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित-वन जातियों के कल्याणार्थ संघ का नियन्त्रण. १०२

अनुच्छेद पृष्ठ

३०१. पिछड़ी हुई जातियों की अवस्थाओं के अनुसन्धान के लिये आयोग की नियुक्ति. १०२

भाग १५

प्रकीर्ण

३०२. प्रधान और शासकों की रक्षा १०३

३०३. निर्वचन, आदि १०३

भाग १६

सविधान का संशोधन

३०४. संविधान के संशोधन की कार्यप्रणाली १०७

३०५. अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण केवल १० वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसका प्रवर्तन संविधान के संशोधन से चालू न रखा जाये. १०७

भाग १७

अस्थायी और अन्तर्वर्ती प्रावधान

३०६. राज्य-सूची के कुछ विषयों के सम्बन्ध में, संसद् को विधि बनाने का अस्थायी अधिकार मानों कि ये समवर्ती सूची के विषय हों. १०८

३०७. वर्तमान विधियों और उनके संशोधित रूपों का चालू रहना ... १०८

३०८. संघान न्यायालय के न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाना और संघान न्यायालय में या सपरिषद् सम्राट् के समक्ष, लम्बित कार्यवाहियों का सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जाना. १०९

३०९. इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्, इसके प्रावधानों के अधीन, न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का अपने अपने प्रकार्यों को करते रहना. १०९

३१०. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान ... ११०

३११. संघ के अस्थायी विधान-मंडल तथा प्रधान आदि के विषय में प्रावधान. ११०

३१२. प्रथम अनुसूची के भाग १ के प्रत्येक राज्य के अस्थायी विधान-मंडल, शासक आदि के विषय में प्रावधान. ११०

३१३. कठिनाइयों को दूर करने की प्रधान की शक्ति १११

भाग १८

प्रारम्भ और विखण्डन

३१४. प्रारम्भ ११२

३१५. विखंडन ११२

पृष्ठ

अनुसूचियां

प्रथम अनुसूची.—भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र ११३

द्वितीय अनुसूची—

भाग १.—प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के शासकों के सम्बन्ध में प्रावधान. ११५

भाग २.—संघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के मंत्रियों के लिये प्रावधान. ११५

भाग ३.—लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की विधान-सभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति सम्बन्धी प्रावधान. ११६

भाग ४.—सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये प्रावधान. ११६

भाग ५.—भारत के महांकेक्षक के सम्बन्ध में प्रावधान ... ११७

तृतीय अनुसूची—घोषणा-प्रपत्र ११८

चतुर्थ अनुसूची—प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के शासकों को निदेश १२०

पंचम अनुसूची—अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित वन जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रावधान. १२१

भाग १.—सामान्य १२१

भाग २.—मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, और उड़ीसा राज्यों के सम्बन्ध में प्रावधान. १२१

भाग ३.—संयुक्तप्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान १२३

भाग ४.—पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान १२४

भाग ५.—अनुसूचित क्षेत्र १२५

छठी अनुसूची—आसाम के वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान १२७

सप्तम अनुसूची—

सूची १.—संघ-सूची १३६

सूची २.—राज्य-सूची १४०

सूची ३.—समवर्ती सूची १४४

अष्टम अनुसूची—अनुसूचित वन जातियां

भाग १.—मद्रास १४६

भाग २.—बम्बई १४७

भाग ३.—पश्चिमी बंगाल १४७

भाग ४.—संयुक्त प्रान्त १४७

भाग ५.—पूर्वी पंजाब १४७

भाग ६.—बिहार १४८

भाग ७.—मध्यप्रान्त १४८

भाग ८.—आसाम १४९

भाग ९.—उड़ीसा १४९

अभयं मित्रादभयममित्राद्

अभयं ज्ञातादभयं पुरो यः।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥

भारतीय संविधान का प्रारूप

प्रस्तावना.

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सत्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य निर्माण करने तथा उसके समस्त जानपदों को :

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ;

स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, और उपासना की ;

समता, प्रस्थिति की और अवसर की ;

प्राप्त कराने,
तथा उन सब में

बंधुता, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो,

वर्धन करने,

के हेतु, कृतदृढसंकल्प, अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख·········मई १९४८ ई०, को इसके द्वारा इस संविधान को अंगीकार करते हैं, अधिनियम (ऐक्ट) का रूप देते हैं, और अपने आपको अर्पण करते हैं.

भाग. १

संघ और उसका राज्यक्षेत्र तथा (अधिकारक्षेत्र) क्षेत्राधिकार

संघ का नाम और राज्यक्षेत्र.

१. (१) भारत, राज्यों का संघ होगा.

(२) राज्यों से प्रथम अनुसूची (शिड्यूल) के भाग १, २ और ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य अभिप्रेत होंगे.

(३) भारत के राज्यक्षेत्र (टेरिटरी) के अन्तर्गत होंगे—

(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र,

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य-क्षेत्र, तथा

(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अवाप्त (अक्वायर) किये जायें.

नये राज्यों का प्रवेशन तथा स्थापन.

२. संसद् (पार्लमेन्ट), समय समय पर, नये राज्यों का, विधि द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और अभिसमयों (टर्म्ज) के साथ, जिनको वह उचित समझे संघ में प्रवेशन अथवा स्थापन कर सकेगी.

नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों का परिवर्तन.

३. संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर नया राज्य बना सकेगी ;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी ;

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी :

पर इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक संसद् के किसी आगार में पुरःस्थापित न किया जायगा (न रखा जायगा) सिवाय भारत-शासन के द्वारा और वह भी तब तक नहीं जब तक कि—

(क) या तो—

(१) जिस राज्य से प्रदेश अलग या अपवर्जन (एक्स्क्लूड) किया जाना है उस राज्य के विधान-मण्डल में उस प्रदेश के प्रतिनिधियों की बहुसंख्या ने इस विषय का अभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) प्रधान को न किया हो, अथवा

(२) जिस राज्य की सीमाओं अथवा नाम पर विधेयक में दी जाने वाली प्रस्थापना (प्रपोजल) का प्रभाव पड़ता हो उस राज्य के विधान-मंडल ने इस विषय में संकल्प (रिजोलूशन) पारण (पास) न किया हो ; और

(ख) जब विधेयक (बिल) में दी हुई प्रस्थापना का प्रभाव किसी ऐसे राज्य की सीमाओं अथवा नाम पर पड़ता हो जो प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों से भिन्न है, तो विधेयक (बिल) को पुरःस्थापित करने (रखने) की प्रस्थापना

के सम्बन्ध में और उस विधेयक के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रधान ने उस राज्य के विधानमंडल के विचार निश्चित रूप से न जान लिये हों; और जब ऐसी प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की सीमाओं अथवा नाम पर पड़ता हो तो उस प्रस्थापना के लिये उस राज्य की पूर्व सहमति न ले ली गई हो.

प्रथम अनुसूची के संशोधन और आनुषंगिक तथा समनुवर्ती विषयों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के अधीन निर्मित विधि.

४. (१) इस संविधान के अनुच्छेद २ अथवा अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में, प्रथम अनुसूची के संशोधनार्थ, ऐसे प्रावधान होंगे, जो उस विधि के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों, तथा ऐसे आनुषंगिक और समनुवर्ती प्रावधान (इन्सीडेन्टल एन्ड कॉन्सीक्वेंशल प्रॅविजन्स) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद् (पार्लमेन्ट) आवश्यक समझे.

(२) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि, अनुच्छेद ३०४ के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं

भाग २

जानपदत्व (सिटीजनशिप)

संविधान की प्रारम्भ-तिथि पर जानपदत्व.

५. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर--

(क) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनकों (माता पिता) में से एक भी अथवा जिसके महाजनकों (मातापिता के मातापिताओं) में से कोई इस संविधान द्वारा परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था और जिसने अप्रैल, सन १९४७ ई. के प्रथम दिवस के पश्चात् अपना स्थायी वास किसी विदेशी राज्य में नहीं किया है, और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनकों में से एक भी, अथवा जिसके महाजनकों में से कोई, भारत शासन अधिनियम (गवर्न्मेन्ट आफ इन्डिया एक्ट), सन १९३५ ई. (यथा मूलतः अधिनियमित) द्वारा परिभाषित भारत में, अथवा ब्रम्हदेश, लंका, अथवा मलय देश में जन्मा था और जिसका अधिवास (डोमिसाइल) इस संविधान द्वारा परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में है,

भारत का जानपद होगा, यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने किसी विदेशी राज्य का जानपदत्व अवाप्त नहीं कर लिया है.

व्याख्या.--इस अनुच्छेद के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, कोई व्यक्ति भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास रखने वाला समझा जायेगा --

(१) यदि उसका एसे राज्यक्षेत्र में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (इन्डियन सक्सेशन एक्ट), सन १९२५ ई., के भाग २ के अधीन अधिवास हुआ होता, यदि उस भाग के प्रावधान उस पर लागू होते, अथवा

(२) यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने मण्डलाधीश (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) के कार्यालय में ऐसे अधिवास को अवाप्त करने की इच्छा की लिखित घोषणा दे दी हो और उस घोषणा की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में निवास कर लिया हो.

संसद् का विधि द्वारा जानपदत्व-अधिकार का आनियमन.

६. संसद्, विधि द्वारा, जानपदत्व की अवाप्ति और अवसान तथा तत्सम्बन्धी अन्य सब बातों के लिये और भी प्रावधान बना सकेगी.

भाग ३

मूलाधिकार

सामान्य

परिभाषा

७. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस भाग में "राज्य" शब्द म भारत के शासन और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक के शासन और विधान-मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्रान्तर्गत सब स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारियों का समावेश है.

परित्राण.

८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से सद्यःपूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सब विधियां, उस मात्रा तक, शून्य होंगी, जिस तक कि वे इस भाग के प्रावधानों से असंगत हैं.

(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जिससे इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अपहरण अथवा न्यूनन होता हो और इस खंड के प्रतिकूल बनी प्रत्येक विधि प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगी :

पर इस खंड की कोई बात किसी वर्तमान विधि से पैदा हुई असमता, विषमता, असुविधा अथवा विभेद को हटाने के लिये विधि बनाने में बाधक न होगी.

(३) इस अनुच्छेद में "विधि" शब्द में ऐसे सब अध्यादेश (ऑर्डिनन्स), आदेश, उपविधि (बाइ-लॉ), नियम, आनियम (रेगुलेशन), अधिसूचना (नोटिफिकेशन), रूढ़ि अथवा परिपाटी समाविष्ट होंगी जिनका भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग में विधि सदृश प्रभाव है.

समताधिकार

धर्म, प्रजाति, जाति अथवा लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध.

९. (१) राज्य किसी जानपद के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति (रेस), जाति, लिंग अथवा इन में से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा.

विशेषतया केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा इन में से किसी के आधार पर कोई जानपद—

(क) दुकानों, सार्वजनिक उपाहारगृहों (रेस्टोरण्ट), विश्रान्तिगृहों (होटल), तथा सार्वजनिक आमोद स्थानों में प्रवेश, अथवा

(ख) पूर्णतः अथवा अंशतः राज्य-आगम से संधृत, अथवा लोक-उपयोग के लिये समर्पित कुओं, जलाशयों, सड़कों तथा लोक-समागम स्थानों के उपयोग,

सम्बन्धी किसी भी निर्योग्यता, देयता (लाएबिलिटी), आयन्त्रण (रिस्ट्रिक्शन) अथवा प्रतिबन्ध के अधीन न होगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष प्रावधान बनाने में (अवरोध) बाधा न होगी.

राज्याधीन नियुक्ति में अवसर-समता.

१०. (१) सब जानपदों को राज्याधीन नियुक्ति के विषय में अवसर-समता होगी.

(२) कोई जानपद केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर राज्याधीन किसी पद के लिये अपात्र न होगा.

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी जानपद वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण (रिज़र्वेशन) के लिये प्रावधान करने में कोई (अवरोध) बाधा न होगी.

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी एसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो प्रावधान करती हो कि किसी धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी मंडल का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशेष सम्प्रदाय का ही हो.

अस्पृश्यता का अन्त.

११. "अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण वर्जित किया जाता है. "अस्पृश्यता" जन्य किसी निर्योग्यता को लागू करना विध्यनुसार दंडनीय अपराध होगा.

उपाधियों का अन्त.

१२. (१) राज्य कोई उपाधि प्रदान न करेगा.

(२) भारत का कोई जानपद किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार न करेगा.

(३) राज्य के अधीन लाभ-पद अथवा विश्वास-पद पर आरूढ़ कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन, कोई भेंट, परिलाभ (इमोल्यूमेण्ट). उपाधि, अथवा पद, प्रधान की सहमति के बिना स्वीकार न करेगा.

वाक् स्वातन्त्र्य आदि से सम्बद्ध कुछ अधिकारों का रक्षण.

१३. (१) इस अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए सब जानपदों को अधिकार होगा—

(क) भाषण और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का ;

(ख) शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का ;

(ग) पार्षद् (असोसिएशन) अथवा संघ (यूनियन) बनाने का ;

(घ) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में अबाध पर्य्यटन का ;

(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का ;

(च) सम्पत्ति के अवापन, संधारण और यापन का ; और

(छ) कोई व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य अथवा व्यापार करने का.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (क) की किसी बात से, अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान हानि, राजद्रोह, अथवा शिष्टता या शील पर आघात, या राज्य के प्राधिकार (अथॉरिटी) अथवा उसके आधार को जर्जर करने वाली किसी बात सम्बन्धी किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की किसी बात से लोक-व्यवस्था के हित में उक्त खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रणों का आरोप करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध न होगा.

(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की किसी बात से जन सामान्य के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रणों का आरोप करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की किसी बात से जन-सामान्य के हित में अथवा किसी आदिवासी जाति के हित-रक्षार्थ उक्त उपखंडों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रयोग पर आयन्त्रणों का आरोप करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्त्तन पर प्रभाव, अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की किसी बात से लोक-व्यवस्था, लोक-शील और लोक-स्वास्थ्य के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर आयन्त्रणों का आरोप करने वाली और विशेषतया किसी व्यवसाय, वृत्ति, वाणिज्य अथवा व्यापार करने के लिये व्यावसायिक अथवा प्रौद्योगिक (टेक्निकल) योग्यताओं का विनिधान अथवा किसी प्राधिकारी को विनिधान करने की शक्ति प्रदान करने वाली किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा विधि के बनाने में राज्य के लिये अवरोध, न होगा.

दोष-निर्धारण विषयक रक्षण.

१४. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये दोषी न ठहराया जायगा जब तक कि वह किसी ऐसी विधि का उल्लघन न करे जो अपराधारोपित क्रिया करने के समय प्रवृत्त थी और न वह उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था.

(२). कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिये एक बार से अधिक दंडित न किया जायेगा.

(३) किसी अपराध में कोई अभियुक्त व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये संबाधित न किया जायगा.

प्राण, दैहिक स्वातन्त्र्य और विधि के समक्ष समता का रक्षण.

१५. भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वातंत्र्य से विधि द्वारा नियत कार्य-प्रणाली को छोडकर अन्य प्रकार वंचित न किया जायगा और न किसी व्यक्ति को विधि के सामने समता से अथवा विधियों के सम रक्षण से वंचित रखा जायेगा.

भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वातन्त्र्य.

१६. इस संविधान के अनुच्छेद २४४ के प्रावधानों के और संसद् द्वारा बनाई हुई किसी भी विधि के अधीन रहते हुए भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा.

मानव-पणन और बलात्श्रम का वर्जन.

१७. (१) मानव-पणन और बेगार तथा अन्य किसी प्रकार के बलात्श्रम वर्जित किये जाते हैं और इस प्रावधान का कोई भी अतिक्रमण विध्यनुसार दंडनीय अपराध होगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को लोक-प्रयोजनार्थ अनिवार्य सेवा का आरोप करने में अवरोध न होगा. ऐसी सेवा का आरोपण करने में प्रजाति, धर्म, जाति अथवा वर्ग के आधार पर राज्य कोई विभेद न करेगा.

बालकों के निर्माणियों आदि में सेवायोजन का वर्जन.

१८. चौदह वर्ष के कम आयु वाले किसी भी बालक को किसी निर्माणी (फैक्टरी) अथवा खान में सेवायोजित न किया जायेगा और न किसी और संकटास्पद सेवायोजन में लगाया जायगा.

धर्म सम्बन्धी अधिकार

विश्वास स्वातन्त्र्य तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने का स्वातन्त्र्य.

१९. (१) लोक की व्यवस्था, शील तथा स्वास्थ्य और ~~इस भाग के~~ अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को विश्वास स्वातंत्र्य का तथा धर्म को अबाध रूपेण मानने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा.

व्याख्या.—कृपाण का धारण तथा वहन सिखधर्म के आचरण का अंग माना जायगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा किसी विधि के बनाने में राज्य को अवरोध, न होगा जो—

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वैत्तिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की ऐहिक क्रियाओं का आनियमन अथवा आयंत्रण करती हो ;

(ख) सामाजिक कल्याण अथवा सुधार के लिये हो अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के किसी वर्ग अथवा विभाग के लिये खोलती हो.

धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध और धार्मिक तथा परोपकारी प्रयोजन के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व, अवापन और प्रशासन का स्वातन्त्र्य.

२०. प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को—

(क) धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिये संस्थाओं के स्थापन और संधारण करने का ;

(ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का ;

(ग) चल और अचल सम्पत्ति के अवापन और स्वामित्व का ; तथा

(घ) ऐसी सम्पत्ति के विध्यनुसार प्रशासन करने का,

अधिकार होगा.

विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति तथा संधारण के लिये लगाये हुए कर के देने के सम्बन्ध में स्वातन्त्र्य.

२१. कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये संबाधित न किया जायगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति अथवा संधारण में व्यय करने के लिये विशिष्ट रूप से नियत कर दी गयी हो.

कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने के विषय में स्वातन्त्र्य.

२२. (१) राज्य-प्रणीवि (स्टेट-फंड) से पूर्णतः संधारित किसी शैक्षिक संस्था में, राज्य द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी :

पर इस खंड की कोई बात ऐसी शैक्षिक संस्था पर लागू न होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित है किन्तु जो किसी ऐसी नीवि अथवा प्रन्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है.

(२) राज्याभिज्ञात अथवा राज्य-प्रणीवि से सहायता पाने वाली शैक्षिक संस्था में जानेवाले किसी व्यक्ति को, ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक

उपासना में, सम्मिलित होने के लिये तब तक सम्बाधित न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अल्पवयस्क हो तो उसके संरक्षक ने, इसके लिये अपनी सहमति न दे दी हो.

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से, किसी समुदाय अथवा सम्प्रदाय के लिये, अपने समुदाय अथवा सम्प्रदाय के विद्यार्थियों को शैक्षिक संस्था के कार्यकाल के बाहर धार्मिक शिक्षा देने में रुकावट न होगी.

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण.

२३. (१) भारत के राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी जानपदों के किसी विभाग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, इन के समारक्षण का अधिकार होगा.

(२) धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध किसी राज्य संधृत शैक्षिक संस्था में उस वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ प्रवेश सम्बन्धी कोई विभेद न किया जायगा.

(३) (क) धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं के स्थापन और प्रशासन का अधिकार होगा.

(ख) शैक्षिक संस्थाओं को सहायता के अनुदान करने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध विभेद इसी कारण से न करेगा कि वह धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आधृत किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है.

साम्पत्तिक अधिकार

सम्पत्ति का अनिवार्य अवापन.

२४. (१) कोई व्यक्ति बिना विधि-प्राधिकार के अपनी सम्पत्ति से वंचित न किया जायेगा.

(२) कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम (अन्डरटेकिंग) में अथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले प्रमंडल (कंपनी) मे, है, ऐसी विधि के अधीन, जो ऐसी धृति अथवा अवाप्ति का प्राधिकार देती है, लोकप्रयोजनार्थ धृत अथवा अवाप्त न की जायगी जब तक कि विधि, धृत अथवा अवाप्त सम्पत्ति के लिये मुआविज़े का प्रावधान न करती हो और या तो मुआविज़े की राशि का निश्चय न कर दे या उन सिद्धान्तों और रीति का उल्लेख न कर दे जिनसे मुआविज़े का निश्चय होना है.

(३) इस अनुच्छेद के खंड (२) की किसी बात का प्रभाव न पड़ेगा—

(क) किसी वर्तमान विधि के प्रावधानों पर, अथवा

(ख) किसी विधि के प्रावधानों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात् कर लगाने अथवा संग्रह करने के लिये या लोक-स्वास्थ्य की वृद्धि अथवा जीवन या सम्पत्ति को विपत्ति से बचाने के लिये बनाये.

सांविधानिक उपचाराधिकार

इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की पूर्ति कराने के उपचार.

२५. (१) इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों की पूर्ति कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रेरित करने का अधिकार (गारंटी) प्रत्याभूत किया जाता है.

(२) सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग में प्रदत्त अधिकारों में से किसी की भी पूर्ति कराने के लिये बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिबंध, अधिकारपृच्छालेख, उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश अथवा आदेश, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी.

(३) संसद, विधि द्वारा, किसी दूसरे न्यायालय को, अपने अधिकारक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य सब अथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी.

(४) इस संविधान में अन्यथा प्रावहित अवस्था को छोडकर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार स्थगित न किये जायेंगे.

इस भाग द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का बलों की प्रयुक्ति की अवस्था में संपरिवर्तन करने की संसद् की शक्ति.

२६. संसद् विधि द्वारा निश्चय कर सकेगी कि इस भाग में प्रत्याभूत अधिकारों को, सशस्त्रबल अथवा लोक-व्यवस्था-भारवाही बल के सदस्यों के लिये प्रयुक्त होने की अवस्था में, उनके निश्चय रूप से कर्तव्यों के उचित पालन करने और उन में अनुशासन स्थिर रखने के हेतु किस मात्रा तक संकुचित या निराकृत किया जाये.

इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये विधान.

२७. इस संविधान में अन्यत्र दी हुई किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग १ और भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को यह शक्ति न होगी और संसद् को यह शक्ति होगी कि वह--

(क) किसी ऐसे विषय के लिये जिसका इस भाग के अनुसार संसद् के लिये विधान द्वारा प्रावधान करना आवश्यक है ; तथा

(ख) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के लिये दंड विनिधानार्थ ;

विधि बनाये और संसद् इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे विषयों के प्रावधानार्थ तथा ऐसे कार्यों के लिये दंड विनिधानार्थ विधि बनायेगी :

पर इस अनुच्छेद के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय सम्बन्धी, अथवा इस भाग में अपराध घोषित किसी कार्य के लिये दंड-विनिधानकारी, भारत के राज्यक्षेत्र में अथवा उसके किसी भाग में प्रवृत्त, कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि संसद अथवा अन्य योग्य प्राधिकारी द्वारा वह परिवर्तित अथवा विखंडित (रिपील्ड) अथवा संशोधित न की जाय.

भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त

परिभाषा.

२८. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है.

इस भाग में वर्णित सिद्धान्तों की प्रयुक्ति.

२९. इस भाग में दिये गये प्रावधान किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होंगे, तथापि उनमें दिये हुए सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन सिद्धान्तों का अनुसरण करना राज्य का कर्त्तव्य होगा.

लोक-हित-वृद्धि-हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायगा.

३०. राज्य का प्रयास होगा कि, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जितना हो सके, परिणामकारी रूप में, स्थापना तथा रक्षा करके, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाएं अनुप्राणित हों, लोक हित-वृद्धि करे.

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ सिद्धान्त.

३१. विशेषतया राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा—

(१) कि नर और नारी सभी जानपदों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;

(२) कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो कि जिससे सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम अनुसेवन हो ;

(३) कि आर्थिक व्यवस्था के चालन का ऐसा परिणाम न हो कि धन और उत्पादन-साधनों का सार्वजनिक अहितकारी संकेंद्रण हो ;

(४) कि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को ही समान कार्य के लिये समान वेतन मिले ;

(५) कि कर्मकारी पुरुषों तथा स्त्रियों की शक्ति और स्वास्थ्य का तथा बालकों के सुकुमार वयस का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं के वशीभूत होकर जानपदों को अपने वयस अथवा शक्ति के अननुकूल उपव्यवसायों (अवोकेशन्स) में न जाना पड़े ;

(६) कि बाल्यकाल और युवावस्था का विदोहन तथा आचारिक और आर्थिक परित्यजन से रक्षण हो.

कुछ अवस्थाओं में कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा लोक साहाय्याधिकार.

३२. राज्य, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा वृत्तिहीनता, वृद्धता, रुग्णावस्था, अयोग्यावस्था तथा अन्य अनर्ह अभावावस्थाओं में लोक साहाय्याधिकार का फलदायी प्रावधान करेगा.

कर्म की न्याय्य तथा दयायुक्त दशाओं का तथा प्रसूति साहाय्य का प्रावधान.

३३. राज्य, कर्म की न्याय्य तथा दयायुक्त दशाओं तथा प्रसूति साहाय्य प्राप्त कराने के लिये प्रावधान करेगा.

कर्मकारियों के लिये निर्वाह-भृत्ति आदि.

३४. उपयुक्त विधान अथवा आर्थिक संघटन द्वारा अथवा, और किसी दूसरे प्रकार से राज्य, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकार के सब कर्मकारियों को कार्य, निर्वाह-भृत्ति, समुचित जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग, निश्चित करने वाली कार्य की दशा, तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सुयोग, प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा.

जानपदों के लिये एकविध समान व्यवहार संहिता.

३५. भारत के साद्यन्त राज्यक्षेत्र में जानपदों के लिये राज्य, एकविध व्यवहार-संहिता के निर्माण का प्रयत्न करेगा.

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्राव-धान.

३६. प्रत्येक जानपद निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकारी होगा और राज्य का प्रयत्न होगा कि इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि में सब बालकों और बालिकाओं को वह चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध करे.

अनुसूचित जातियों, आदि-वासी जातियों तथा अन्य दुर्बल भागों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि.

३७. राज्य, लोक के दुर्बल भागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित वनजातियों के, शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के विदोहन से उनकी रक्षा करेगा.

आहार-पोषण-तल और जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य.

३८. राज्य अपने लोगों के आहार-पोषण-तल की तथा जीवन-स्तर की उन्नति को तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को, अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा.

राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों, आस्मारकों का रक्षण, परिरक्षण तथा संधारण.

३९. संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित किये गये प्रत्येक कलायुक्त अथवा ऐतिहासिक महत्ववाले आस्मारक अथवा स्थान अथवा वस्तु का प्रसंगानुसार बिगाड़ने, नाशन, अपनयन, हस्तान्तरकरण अथवा निष्क्रामण से रक्षण करने का तथा ऐसे सब आस्मारकों, स्थानों अथवा वस्तुओं के संसद् द्वारा बनाई हुई विध्यनुसार परिरक्षण तथा संधारण करना राज्य का कर्तव्य होगा.

अन्ताराष्ट्रीय शान्ति और निःशंकता का प्रवर्तन-रक्षण.

४०. राष्ट्रों के बीच, अगुप्त, न्याय्य तथा सम्मान्य सम्बन्धों का विनिधान करके, अंताराष्ट्रीय विधि की मान्यताओं को, राज्यों के पारस्परिक आचार के वास्तविक नियम के रूप मे दृढ़तापूर्वक स्थापित करके तथा संगठित लोगों के आपसी व्यवहारों मे न्याय-संधारण और संधिबन्धनों का पालन करके, राज्य अन्ताराष्ट्रीय शान्ति और निःशंकता को बढ़ाएगा.

भाग ५

संघ

अध्याय १.—अधिशासन

प्रधान तथा उपप्रधान

भारत का प्रधान.

४१. भारत का एक प्रधान होगा.

संघ की अधिशासी शक्ति.

४२. (१) संघ की अधिशासी शक्ति प्रधान में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग, संविधान तथा विधि के अनुसार कर सकेगा.

(२) पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले प्रतिरक्षा बल का सर्वोच्च समादेश प्रधान में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि से आनियमित होगा.

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो प्रकार्य (फंकशन) किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य के शासन अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हुए ह, वे प्रकार्य प्रधान को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे; या

(ख) प्रधान के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को, विधि द्वारा प्रकार्य प्रदान में संसद् को बाधा न होगी.

प्रधान का निर्वाचन.

४३. प्रधान का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक निकाय के सदस्य करेंगे जिसमें—

(क) संसद् के दोनों आगारों के सदस्य, तथा

(ख) राज्यों के विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्य

होंगे.

प्रधान के निर्वाचन की रीति.

४४. (१) जहां तक व्यवहार्य हो, प्रधान के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधान की माप-श्रेणी में एकरूपता होगी.

(२) ऐसी एकरूपता करने के लिये संसद् तथा प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का अधिकारी है उसकी संख्या आगामी रीति से निश्चित की जायेगी:—

(क) किसी राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक सहस्र के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यों की समस्त संख्या से भाग देने से आये ;

(ख) एक सहस्र के उक्त गुणितों को लेने के पश्चात् यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा ;

(ग) संसद् के किसी आगार के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी जो इस खंड के उपखंड (क) तथा (ख) द्वारा राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों के लिये नियत समस्त मत-संख्या को इन सदस्यों की समस्त संख्या के भाग देने से आये, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को बढ़ा कर एक गिना जायेगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी.

(३) प्रधान का निर्वाचन एकल संक्राम्य मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान रीति के अनुसार होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़शलाका (बैलट) द्वारा होगा.

व्याख्या.—यदि विधान मंडल द्वि-आगारिक हो तो इस अनुच्छेद में "किसी राज्य के विधान-मंडल" से विधान मंडल का अवर आगार अभिप्रेत है, तथा "जन-संख्या" से अन्तिम पूर्ववर्ती जन-गणना में निश्चित की गई जन-संख्या अभिप्रेत है.

प्रधान की पद-अवधि.

४५. प्रधान अपनी पद-प्रवेश तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

पर—

(क) प्रधान राज्य-परिषद् के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर प्रधान, इस संविधान के अनुच्छेद ५० में प्रावहित रीति से किये गये प्राभियोग (इम्पीचमेन्ट) द्वारा पद से निष्कासित किया (हटाया) जा सकेगा ;

(ग) प्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पदप्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा.

पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता.

४६. कोई व्यक्ति, जो प्रधान के पद पर है अथवा रह चुका है, उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा.

प्रधान निर्वाचित होने के लिये योग्यताएँ.

४७. (१) कोई व्यक्ति प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा। जब तक कि वह—

(क) भारत का जानपद न हो,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, और

(ग) लोक-सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता न रखता हो.

(२) कोई व्यक्ति, जो भारत-शासन के अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन, अथवा उक्त शासनों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ है, प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा.

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ केवल इसी लिये न समझा जायेगा कि —

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है ; अथवा

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां विधान-मंडल के अवरागार के प्रति उत्तरदायी है, और यदि विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं.

प्रधान पद के लिये प्रतिबन्ध.

४८. (१) प्रधान न तो संसद् का और न किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि संसद् का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य प्रधान निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद् का अथवा उस विधान मंडल का, जैसी कि स्थिति हो, अपना स्थान, प्रधान पद प्रवेश तिथि से रिक्त कर दिया है.

(२) प्रधान, परिलाभ का अन्य कोई पद अथवा स्थिति ग्रहण न करेगा.

(३) प्रधान के लिये पदावास रहेगा और उसको वे परिलाभ और अधिदेय (अलाउन्स) दिये जायेंगे जो संसद् विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बनें तब तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित परिलाभ तथा अधिदेय दिये जायेंगे.

(४) प्रधान के परिलाभ तथा अधिदेय उसकी पदावधि में घटाये न जायेंगे.

पद-प्रवेश के पूर्व प्रधान, उसका स्थानापन्न अथवा उसके प्रकार्य-निर्वाहक के लिये निश्चयोक्ति अथवा शपथ.

४९. प्रत्येक प्रधान, और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रधान का स्थानापन्न है अथवा उसके प्रकार्यों को करता है, अपने पद-ग्रहण करने से पूर्व, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में निश्चयोक्ति करेगा अथवा शपथ लेगा, अर्थात्—

"मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक निश्चयोक्ति करता (शपथ लेता) हूं कि मैं सच्चे हृदय से भारत के प्रधान पद का निष्पादन (अथवा प्रधान के प्रकार्यों का निर्वाहन) करूंगा तथा अपनी उत्कृष्टतम् योग्यता से संविधान और विधि का रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं अपने को भारत की जनता की सेवा और कल्याण में तनमन से लगाऊंगा."

प्रधान पर प्राभियोग लगाने की कार्यप्रणाली.

५०. (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब प्रधान का प्राभियोग करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान, संसद् का कोई एक आगार करेगा.

(२) ऐसे किसी दोषारोप का तब तक पुरोधान न किया जायगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक संकल्प में न हो जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो जिस पर उस आगार के तीस से अन्यून सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रकट किया हो, और

(ख) इस संकल्प का समर्थन, उस आगार के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या ने न किया हो.

(३) जब दोषारोप का पुरोधान संसद् के किसी आगार द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा आगार उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा और इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का प्रधान को अधिकार होगा.

(४) यदि अनुसंधान के परिणामस्वरूप, प्रधान के विरुद्ध पुरोधान किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, दोषारोप का अनुसंधान करने या कराने वाले आगार के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित होकर पार (पास) हो जाता है, तो उस संकल्प का प्रभाव, उसकी पारण तिथि से, प्रधान का अपने पद से निष्कासन होगा.

प्रधान-पद की रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचन समय तथा आकस्मिक रिक्तिपूरक निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि.

५१. (१) प्रधान की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन, अवधि-अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा.

(२) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन, अथवा अन्य कारण से हुई पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और हर अवस्था में छः-मास बीतने के पहले किया जायगा; और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति, इस संविधान के अनुच्छेद ४५ में प्रावहित पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये पदधारण करने का अधिकारी होगा.

भारत का उपप्रधान.

५२. भारत का एक उपप्रधान होगा.

उपप्रधान पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभापति होगा.

५३. उपप्रधान अपने पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभापति होगा और अन्य किसी परिलाभ का पद अथवा स्थिति धारण न करेगा :

पर जिस किसी कालावधि में उपप्रधान, प्रधान का स्थानापन्न होता है अथवा इस संविधान के अनुच्छेद ५४ के अधीन प्रधान के प्रकार्यों को करता है, तब वह राज्य परिषद् के सभापति-पद के कर्त्तव्यों को न करेगा.

प्रधान की अनुपस्थिति अथवा उसके पद की आकस्मिक रिक्ति के काल में उपप्रधान द्वारा प्रधान के स्थानापन्न का प्रकार्य अथवा उसके पद के कर्त्तव्यों का पालन.

५४. (१) प्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन अथवा अन्य कारण से पद-रिक्ति की अवस्था में उपप्रधान उस तिथि तक प्रधान का स्थानापन्न होगा जब तक कि इस अध्याय के ऐसी रिक्ति-पूर्ति सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करे.

(२) अनुपस्थिति, रुग्णावस्था अथवा किसी अन्य कारण से जब प्रधान अपने प्रकार्य करने में असमर्थ हो तब उपप्रधान उसके प्रकार्यो का पालन उस तिथि तक करेगा जिस तिथि को प्रधान अपने कर्तव्यों का पुनर्ग्रहण करे.

(३) उपप्रधान उस कालावधि में और उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब कि वह प्रधान का इस प्रकार स्थानापन्न है, अथवा उसके प्रकार्यों का पालन कर रहा है, प्रधान की सब शक्तियों और विमुक्तियों का अधिकारी होगा.

उपप्रधान का निर्वाचन.

५५. (१) संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित संसद् के उभय आगारों के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा उपप्रधान का निर्वाचन होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़शलाका द्वारा होगा.

(२) उपप्रधान न तो संसद् का और न किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि संसद् अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य उपप्रधान निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद् का अथवा उस विधान-मंडल का जैसी कि स्थिति हो, अपना स्थान, उपप्रधान-पद-प्रवेश-तिथि से रिक्त कर दिया है.

(३) कोई व्यक्ति उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(क) भारत का जानपद न हो ;

(ख) पेंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो ; और

(ग) राज्य-परिषद के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अयोग्यता न रखता हो.

(४) कोई व्यक्ति, जो भारत शासन के अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन अथवा उक्त शासनों म से किसो से नियंत्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ है, उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा.

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ केवल इसीलिये न समझा जायगा कि—

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है ; अथवा

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां विधान-मंडल के अवर आगार के प्रति, उत्तरदायी है और यदि विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं.

(५) उपप्रधान की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन, अवधि अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायगा.

(६) उपप्रधान की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन अथवा अन्य कारण से हुई पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन इस रिक्ति की तिथि के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किया जायगा और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति इस संविधान के अनुच्छेद ५६ में प्रावहित पांच वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद धारण करने का अधिकारी होगा.

पप्रधान की दावधि.

५६. उपप्रधान अपनी पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

पर—

(क) उपप्रधान, प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) उपप्रधान, राज्य-परिषद् के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के लिये निष्कासित किया जा सकेगा जिसे परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारण किया हो तथा जिसे लोक-सभा की स्वीकृति प्राप्त हो परन्तु इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायगा जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी गयी हो ;

(ग) उपप्रधान, अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-प्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा.

[अन्]य किसी सम्भाव्यता में प्रधान के प्रकार्य पालनार्थ प्रावधान बनाने की संसद् की शक्ति.

५७. इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता (कान्टिन्जेन्सी) में प्रधान के प्रकार्य पालनार्थ संसद्, जैसा उचित समझे, वैसा प्रावधान बना सकेगी.

प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उदभूत अथवा सम्बद्ध विषय.

५८. (१) प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन से उदभूत अथवा सम्बद्ध सब संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ट और निर्णीत होंगे और उसका निर्णय अन्तिम होगा.

(२) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रधान अथवा उपप्रधान के निर्वाचन विषयक अथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी.

क्षमण; आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेश करने की प्रधान की शक्ति.

५९. (१) किसी अपराध के लिये दोषप्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमण, प्रविलम्बन (रेप्रीव), प्रास्थगन (रेस्पिट) या परिहरण (रेमिशन) प्रदान करने की अथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेशन (कम्यूट) करने की प्रधान को शक्ति होगी—

(क) उन सब अवस्थाओं में, जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय द्वारा दिया गया हो ;

(ख) उन सब अवस्थाओं में, जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय सम्बन्धी किसी विधि के अधीन अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय के लिये विधि बनाने की शक्ति संसद् को है और उस राज्य के विधान-मंडल को नहीं है जिसमें कि अपराध किया गया हो ;

(ग) उन सब अवस्थाओं में, जिनमें कि दंडादेश मृत्यु का हो.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखण्ड (क) की किसी बात से, भारत के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की, सेना न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के स्थगन, परिहरण, अथवा लघ्वादेशन की, विधि प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा.

(३) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (ग) की किसी बात से, उस समय प्रवर्तमान, किसी विधि के अधीन, राज्य के शासक अथवा नरेश द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु-दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेशन की शक्ति पर प्रभाव न पड़ेगा.

संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार.

६०. (१) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ की अधिशासी शक्ति के अन्तर्गत होंगे—

(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है ; और

(ख) किसी संधि अथवा संविदा के बल पर भारत-शासन द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग :

परन्तु इस संविधान मे अथवा संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि में, स्पष्टतया प्रावहित स्थिति के अतिरिक्त इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अधिशासी शक्ति का विस्तार किसी राज्य में उन विषयों पर न होगा जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है.

(२) जब तक संसद् अन्य प्रावधान न करे, तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके सम्बन्ध में संसद् को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी अधिशासी शक्ति का प्रयोग अथवा प्रकार्यों का पालन करते रह सकते हैं, जैसी कि वह राज्य अथवा उसके अधिकारी अथवा प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य पूर्व कर सकते थे.

मंत्रिपरिषद्

प्रधान को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मन्त्रिपरिषद्.

६१ (१) प्रधान को अपने प्रकार्यों का पालन करने में सहायता तथा मंत्रणा देने के लिये एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख प्रधान मन्त्री होगा.

(२) क्या मन्त्रियों ने प्रधान को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी, तो क्या इस प्रश्न पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी.

मन्त्रियों सम्बन्धी अन्य प्रावधान.

६२. (१) प्रधान मन्त्री की नियुक्ति प्रधान करेगा और अन्य मन्त्रियों को, प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा पर प्रधान नियुक्त करेगा.

(२) प्रधान के प्रसाद काल तक मन्त्री अपने पद पर आसीन रहेंगे.

(३) मन्त्रिपरिषद्, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी.

(४) किसी मन्त्री के अपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, प्रधान उसको, तृतीय अनुसूची में एतदर्थ (इसके लिये) दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार, पद तथा गढ़ता की शपथ दिलायेगा.

(५) कोई मन्त्री, जो छः निरन्तर मासों की किसी अवधि तक संसद् के किसी आगार का सदस्य न रहे, उस अवधि के पश्चात् मन्त्री न रहेगा.

(६) मन्त्रियों के वेतन तथा अधिदेय वेही होंगे जो समय समय पर संसद् विधि द्वारा निश्चय करे, और जब तक संसद् ऐसा निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अनुसार होंगे.

भारत का महाप्राभिकर्ता

भारत का महाप्राभिकर्त्ता.

६३. (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान, भारत का महाप्राभिकर्त्ता नियुक्त करेगा.

(२) महाप्राभिकर्त्ता का कर्तव्य होगा कि वह भारत-शासन को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मन्त्रणा दे और ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो उसे प्रधान समय समय पर भेजे अथवा सौंपे तथा उन प्रकार्यों का पालन करे जो उसे इस संविधान अथवा उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि के द्वारा अथवा अधीन दिये गये हों.

(३) अपने कर्तव्य पालनार्थ महाप्राभिकर्त्ता को भारत-राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत सब न्यायालयों में श्रवणाधिकार होगा.

(४) महाप्राभिकर्त्ता, प्रधान के प्रसाद-काल तक पदासीन रहेगा और उसको वे परितोषण दिये जायेंगे जो प्रधान निश्चित करे.

शासन-कार्य का संचालन

भारत-शासन-कार्य का संचालन.

६४. (१) भारत-शासन की समस्त अधिशासी कार्यवाही प्रधान के नाम से की गई कही जायगी.

(२) प्रधान के नाम से दत्त और निष्पादित आदेशों तथा अन्य विलेखों (इन्स्ट्रूमेन्ट) का प्रमाणिकन उस रीति से किया जायगा जो प्रधान द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणकित आदेश अथवा विलेख की मान्यता पर आक्षेप इस आधार पर न किया जायगा कि यह प्रधान द्वारा दत्त अथवा अथवा निष्पादित आदेश अथवा विलेख नहीं है.

प्रधान को संसूचना देने आदि विषयक प्रधान मन्त्री के कर्तव्य.

६५. प्रधान मन्त्री का कर्तव्य होगा––

(क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, मन्त्रिपरिषद् के समस्त निर्णय तथा विधानार्थ प्रस्थापनाएं, प्रधान को पहुंचाना ;

(ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी, तथा विधानार्थ प्रस्थापनाओं सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे प्रधान मंगावे ; और

(ग) किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने निर्णय कर दिया है, किन्तु मन्त्रि-परिषद ने विचार नहीं किया है, प्रधान के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचारार्थ रखना.

अध्याय २––संसद्

सामान्य

संसद् का संघटन.

६६. संघ के लिये एक संसद् होगी जो प्रधान और दो आगारों की बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्य-परिषद् और लोक सभा होंगे.

संसद् के आगारों की रचना.

६७. (१) राज्य-परिषद् के दो सौ पचास सदस्य होंगे जिनमें से––

(क) पन्द्रह सदस्य प्रधान द्वारा इस अनुच्छेद के खंड (२) में प्रावहित रीति से मनोनीत होंगे ; और

(ख) शेष राज्यों के प्रतिनिधि होंगे :

पर प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रतिनिधियों की समस्त संख्या इस शेष के चालीस प्रति शत से अधिक न होगी.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) के उपखंड (क) के अधीन प्रधान द्वारा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों सम्बन्धी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्––

(क) साहित्य, कला, विज्ञान और शिक्षा ;

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन और तत्सम्बद्ध विषय ;

(ग) अभियन्त्रणा (इन्जीनियरी) और वास्तु शास्त्र ;

(घ) लोक-प्रशासन और सामाजिक सेवाएं.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि—

(क) जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां अवरागार (लोअर हाउज़) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ;

(ख) जहां राज्य के विधान-मंडल का एक आगार है, वहां उस आगार के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ; तथा

(ग) जहां के राज्य के लिये कोई विधान-मंडल नहीं है, वहां ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जैसी कि विधि द्वारा संसद् विनिधान करे.

(४) राज्य-परिषद् में, प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जैसी कि विधि द्वारा संसद् विनिधान करे.

(५) (क) इस संविधान के अनुच्छेद २९२ और २९३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अव्यवहित रीति से मतदाताओं द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादेशिक लोक प्रतिनिधि, लोकसभा में पांच सौ से अधिक न होंगे.

(ख) उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण अथवा निर्माण किया जायेगा और प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिये दी जाने वाली प्रतिनिधि संख्या इस प्रकार नियत की जायेगी, जिससे कि यह निश्चित रहे कि जनसंख्या के प्रत्येक ७,५०,००० के लिये एक से न्यून और प्रत्येक ५,००,००० के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि न होगा :

पर प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रतिनिधियों की समस्त संख्या का, उनकी समस्त जन संख्या से अनुपात, उस अनुपात से अधिक न होगा जो उक्त अनुसूची के भाग १ और २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के प्रतिनिधियों की समस्त संख्या का इन राज्यों की समस्त जन संख्या से है.

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र के लिये किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का, उस प्रदेश की अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात, समस्त भारत में, जहां तक व्यवहार्य्य हो, एक ही होगा.

(६) लोकसभा के लिये निर्वाचन, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होगा ; अर्थात् प्रत्येक जानपद जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस संविधान अथवा संसद् के किसी अधिनियम के अधीन, अनिवास, मनोविक्षेप, पातक अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्योग्य नहीं किया गया है, ऐसे निर्वाचनों में मतदाता (रजिस्टर) पंजीयित होने का अधिकारी होगा.

(७) संसद्, विधि द्वारा, राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के, लोकसभा में प्रतिनिधान का, प्रावधान कर सकेगी.

(८) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्य-परिषद् में विविध राज्यों का और लोकसभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के अनुच्छेद २८९ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनर्व्यवस्थापित किया जायगा जैसा कि संसद्, विधि द्वारा, निश्चय करे.

(९) जब, राज्य-परिषद् में प्रतिनिधि भेजने के प्रयोजनार्थ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को जोड़ कर वर्ग बनाया जाये, तो इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ यह समस्त वर्ग, एक राज्य समझा जायेगा.

संसद् के आगारों की अवधि.

६८. (१) राज्य-परिषद् का विलयन (डिस्सोल्यूशन) न किया जायेगा, किन्तु उसके सदस्यों में से एकतिहाई की यथा शक्य निकटतम् संख्या, संसद् से, विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जायेगी.

(२) लोक सभा, यदि पहिले ही विलयन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वष तक चालू रहेगी, किन्तु इससे अधिक नहीं, और पांच वर्ष की उक्त अवधि के अवसान का प्रभाव लोकसभा का विलयन होगा :

पर उक्त अवधि का विस्तरण, जब तक कि सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा लागू है, प्रधान द्वारा किसी अवधि के लिये, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी और किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छः मास की अवधि से अधिक विस्तृत न होगी, किया जा सकेगा.

संसद् के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन.

६९. (१) संसद् के आगारों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक, और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच छः मास का अन्तर न होगा.

(२) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रधान, समय समय पर—

(क) संसद् के आगारों को, अथवा किसी आगार को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये बुला सकेगा ;

(ख) आगारों का सत्रावसान (प्रोरोग) कर सकेगा ;

(ग) लोकसभा का विलयन कर सकेगा.

आगारों को सम्बोधन करने और सन्देश भेजने का प्रधान का अधिकार.

७०. (१) संसद् के किसी एक आगार को अथवा एकत्र हुए दोनों आगारों को प्रधान सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा.

(२) प्रधान, संसद् में उस समय लम्बमान किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश, संसद् के किसी आगार को भेज सकेगा, और जिस आगार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो, वह आगार उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविध शीघ्रता से, विचार करेगा.

संसद् के प्रत्येक सत्रारम्भ में प्रधान का विशेष अभिभाषण तथा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों का संसद में पर्यालोचन.

७१. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, संसद् के एकत्र हुए दोनों आगारों को, प्रधान सम्बोधन करेगा और बुलाने का कारण संसद् को बतलायेगा.

(२) किसी भी आगार की कार्य-प्रणाली के आनियामक नियमों द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा आगार के अन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पूर्ववर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा.

आगारों विषयक मन्त्रियों और महाप्राभिकर्ता का अधिकार.

७२. भारत के प्रत्येक मन्त्री और महाप्राभिकर्ता को अधिकार होगा कि वह किसी भी आगार में, आगारों के किसी संयुक्त अधिवेशन में, तथा संसद् की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा अन्यथा कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का अधिकार न होगा.

संसद् के अधिकारी

राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति.

७३. (१) भारत का उपप्रधान, पद-कारणात् राज्य-परिषद् का सभापति होगा.

(२) राज्य-परिषद्, यथा सम्भव शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद् किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी.

उपसभापति की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद-निष्कासन.

७४. राज्य-परिषद् के उपसभापति के पद पर आरूढ़ सदस्य—

(क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के लिये परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो.

उपसभापति तथा अन्य व्यक्तियों की सभापति के पद-कर्तव्यों के पालन करने की अथवा उसका स्थानापन्न होने की शक्ति.

७५. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त है, अथवा किसी कालावधि में जब कि इस संविधान के अनुच्छेद ५४ के अधीन उपप्रधान, प्रधान का स्थानापन्न रह रहा है अथवा उसके प्रकार्य को कर रहा है, तब उपसभापति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्य-परिषद् का ऐसा सदस्य जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) राज्य-परिषद् की किसी बैठक में, सभापति की अनुपस्थिति में, उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जिसका परिषद् की कार्य-प्रणाली के नियमों से निश्चय किया जावे, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा.

लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.

७६. लोकसभा, यथा सम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब तब, सभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसी कि स्थिति हो, चुनेगी.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद निष्कासन.

७७. लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर आरूढ़ सदस्य—

(क) यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, और अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के लिये लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह् दिन की सूचना न दे दी गई हो :

पर यह और भी कि, जब कभी लोकसभा का विलयन किया जाये तो विलयन के पश्चात होने वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के सद्य: पूर्व तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा.

अध्यक्ष पद के कर्तव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति.

७८. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे, प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) लोकसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति, जिसका सभा की कार्य प्रणाली के नियमों से निश्चय किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चय करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

सभापति तथा उपसभापति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा अधिदेय.

७९. राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को, और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, वे वेतन तथा अधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमश: संसद विधि द्वारा निश्चित करे, और, जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस तरह न बने तब तक, वे वेतन और अधिदेय दिये जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित हैं.

कार्य-संचालन

आगारों में मतदान ; रिक्तियों के होते हुये भी आगारों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूरक.

८०. (१) इस संविधान में प्रावहित अवस्था को छोडकर, आगारों की किसी अथवा संयुक्त बैठक में सब प्रश्नों का निश्चयन, सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा.

सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथमत: मत न देगा पर मत-समता की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा.

(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी संसद् के किसी भी आगार को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चले कि कोई अनधिकृत व्यक्ति, कार्यवाहियों में उपस्थिति रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद् की कार्यवाही मान्य होगी.

(३) यदि आगार की बैठक में किसी समय भी आगार के सदस्यों की समस्त संख्या के छठे भाग से कम की उपस्थिति हो तो सभापति अथवा अध्यक्ष अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि या तो आगार को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिये विलम्बित कर दे जब तक कि सदस्यों के छठे भाग की उपस्थिति न हो जाये.

सदस्यों की निर्योग्यताएँ

सदस्यों द्वारा घोषणा.

८१. संसद् के प्रत्येक आगार का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, प्रधान अथवा प्रधान द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति, के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

स्थानों की रिक्ति.

८२. (१) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों आगारों का सदस्य न होगा और जो व्यक्ति दोनों आगारों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे आगार के स्थान को रिक्त करने के लिय, संसद् विधि द्वारा प्रावधान बनायेगी.

(२) यदि संसद् के किसी आगार का सदस्य—

(क) निकटतम आगामी अनुच्छेद के खंड (१) में वर्णित निर्योग्यताओं का पात्र हो जाता है ; अथवा

(ख) स्थित्यनुसार, सभापति अथवा अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा.

(३) यदि संसद् के किसी आगार का सदस्य साठ दिनों की अवधि तक बिना आगार की अनुमति के उसके सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो आगार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

पर उक्त अवधि की संगणना में किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें आगार का सत्रावसान, अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगन, हुआ है.

सदस्यता के लिये निर्योग्यताएँ.

८३. (१) कोई व्यक्ति संसद् के किसी आगार का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा—

(क) यदि वह भारत-शासन के, अथवा किसी राज्य के शासन के, अधीन, लाभपद पर आरूढ़ है, ऐसे पद को छोड़ कर जिसके धारण करने वाले का, निर्योग्य न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है ;

(ख) यदि वह विक्षिप्त है और अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ;

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुषक्ति अथवा अभिलग्नता स्वीकार किये हुए है, अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद के अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों का अधिकारी है ; और

(ङ) यदि वह संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा अथवा अधीन इस प्रकार निर्योग्य कर दिया गया है.

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति भारत-शासन के अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन, लाभ पद पर आरूढ़ केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का, या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्त्री है ; अथवा

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है, यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल के प्रति, अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं वहां, विधान-मंडल के अवरागार, के प्रति उत्तरदायी है और यदि विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति हो, तीनचौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं.

अनुच्छेद ८१ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुए अथवा निर्योग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दंड.

८४. यदि कोई व्यक्ति संसद् के किसी आगार में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है जब कि उसने इस संविधान के अनुच्छेद ८१ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की है, अथवा जब वह जानता है, कि मैं योग्य नहीं हूं, अथवा उसकी सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूं, अथवा संसद् निर्मित किसी विधि के प्रावधानों से एसा करने से वर्जित कर दिया गया हूं तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो भारत-शासन को देय ऋण के रूप में प्रत्यादत्त होगा.

सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियें

सदस्यों के विशेषाधिकार, आदि.

८५. (१) संसद् की कार्य-प्रणाली के आनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुये संसद् में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा.

(२) संसद् में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के सम्बन्ध में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद् के किसी आगार के प्राधिकार के द्वारा अथवा अधीन किसी विवरण-पत्र, पत्र, मतों अथवा कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी.

(३) अन्य बातों में, संसद् के सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियें वेही होंगी जो संसद्, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, और वे जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर यूनाईटेड किंगडम के पार्लियामेन्ट के हाउस आफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं.

(४) जिन्हें इस संविधान के सामर्थ्य से संसद् के किसी आगार में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उनके सम्बन्ध में इस अनुच्छेद के खंड (१), (२) और (३) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं.

सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय.

८६. संसद् के प्रत्येक आगार के सदस्य उन वेतनों तथा अधिदेयों को पाने के अधिकारी होंगे जिन्हें संसद् विधि द्वारा समय समय पर निश्चित करे और जब तक तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, अधिदेय ऐसी दर से और ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य.पूर्व भारत-अधिराज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के विषय में लागू थे.

विधान-कार्यप्रणाली

विधेयकों के पुर:स्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान.

८७. (१) मुद्राविधेयकों तथा अन्य आर्थिक-विधेयकों के विषय में इस संविधान के अनुच्छेद ८६ और ६७ के, प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक संसद् के किसी आगार में प्रारम्भ हो सकेगा.

(२) इस संविधान के अनुच्छेद ८८ और ८९ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक संसद् के आगारों से पारित न समझा जायगा जब तक कि, या तो बिना संशोधन के या दोनों आगारों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों आगारों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो.

(३) आगारों के सत्रावसान के कारण, संसद् में लम्बमान विधेयक व्यपगत न होगा (गिर न जायेगा).

(४) राज्य-परिषद् में लम्बमान विधेयक, जिसको लोकसभा ने पारण नहीं किया है, लोकसभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा.

(५) कोई विधेयक, जो लोकसभा में लम्बमान है अथवा जो लोकसभा से पारित हो कर राज्य-परिषद् में लम्बमान है, इस संविधान के अनुच्छेद ८८ के अधीन रहते हुये, लोकसभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा.

कुछ अवस्थाओं में आगारों की संयुक्त बैठक.

८८. (१) यदि किसी विधेयक के एक आगार में पारित होने और दूसरे आगार को परेषित किये जाने के पश्चात्––

(क) दूसरे आगार द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है; अथवा

(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों आगार अन्ततः असहमत हो चुके हैं; अथवा

(ग) विधेयक प्राप्ति की तिथि से, बिना इसको पारण किये, दूसरे आगार को छः से अधिक मास बीत चुके है,

तो, लोकसभा के विलयन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर विचार करने और मत देने के प्रयोजनार्थ संयुक्त अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय की अधिसूचना, यदि वे आगार बैठे हुये हैं तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बैठे हुये नहीं हैं तो लोकाधिसूचना द्वारा प्रधान आगारों को देगा:

पर इस खंड में की कोई बात किसी मुद्रा विधेयक को लागू न होगी.

(२) ऐसी छः मास की अवधि की संगणना में, जो कि इस अनुच्छेद के खंड (१) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में दोनों आगारों का सत्रावसान अथवा चार से अधिक दिनों के लिये स्थगन हुआ है.

(३) जब प्रधान, आगारों को संयुक्त अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय को इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो तो कोई आगार विधेयक पर आगे कार्यवाही न करेगा किन्तु प्रधान, अधिसूचना की तिथि के पश्चात् किसी समय, आगारों को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजनार्थ संयुक्त अधिवेशन में बुला सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है, तो आगार तदनुसार अधिवेशन में बैठेंगे.

(४) यदि, आगारों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिनको संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों आगारों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनों आगारों से पारित समझा जायेगा:

पर संयुक्त बैठक में–––

(क) यदि विधेयक, एक आगार से पारित हो कर दूसरे आगार द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है और उस आगार को, जिसमें वह उद्भूत हुआ था, लौटा दिया गया है तो ऐसे

संशोधनों (यदि कोई हों) के अतिरिक्त, जैसे कि विधेयक के पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्थापित न किये जायेंगे ;

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौटाया जा चुका है तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन जैसे कि ऊपर कथित है तथा ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से संगत है जिन पर आगारों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे ;

और अध्यासी व्यक्ति का निर्णय, कि इस खंड के अधीन कौन से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा.

(५) इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी तथा उसमें विधेयक पारित हो सकेगा यद्यपि प्रधान के, आगारों को अधिवेशन में बुलाने के अभिप्राय की अधिसूचना के पश्चात् लोक सभा का विलयन बीच में आ चुका है.

मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्य प्रणाली.

८९. (१) राज्य-परिषद् में मुद्रा-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा.

(२) लोकसभा से पारित हो जाने के पश्चात्, मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद् को इसके अभिस्तावों के लिये, पारेषित किया जायेगा ; और राज्य-परिषद्, विधेयक की प्राप्ति-तिथि के तीस दिन की अवधि के भीतर, विधेयक को अपने अभिस्तावों सहित लोकसभा को लौटा देगी और तब लोकसभा, राज्य-परिषद् के अभिस्तावों में से सब को अथवा किसी को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी.

(३) यदि राज्य-परिषद् के अभिस्तावों में से किसी को, लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो मुद्रा-विधेयक, राज्य-परिषद् द्वारा अभिस्तावित तथा लोकसभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों आगारों द्वारा पारित समझा जायेगा.

(४) यदि राज्य-परिषद् के अभिस्तावों में से किसी को भी लोकसभा स्वीकार नहीं करती तो मुद्राविधेयक, राज्य-परिषद् द्वारा अभिस्तावित किसी संशोधन के बिना, उस रूप में दोनों आगारों द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमें कि वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.

(५) यदि लोकसभा द्वारा पारित, तथा राज्य-परिषद् को उसके अभिस्तावों के लिये पारेषित मुद्रा-विधेयक, उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को लौटाया नहीं जाता तो, उक्त अवधि के अवसान पर यह दोनों आगारों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोकसभा ने उसको पारित किया था.

मुद्रा-विधेयकों की परिभाषा.

९०. (१) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, वह विधेयक मुद्रा-विधेयक समझा जायेगा जिस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले प्रावधान ही हैं, अर्थात् :—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन अथवा आनियमन ;

(ख) भारत-शासन द्वारा मुद्रा ऋण लने का, अथवा प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत-शासन द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किसी आर्थिक भार से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, आनियमन ;

(ग) प्रदाय ;

(घ) भारत के आयव्ययों का नियोजन ;

(ङ) किसी व्यय को भारत-आगमों पर प्रभृत व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि की वृद्धि ;

(च) भारत-आगमों के लेखे में मुद्राप्राप्ति, अथवा ऐसी मुद्रा के समारक्षण या निर्गम, अथवा भारत-शासन के लेख का अंकेक्षण; अथवा

(छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदों में उल्लिखित विषयानुषंगी कोई विषय.

(२) कोई विधेयक केवल इसी कारण से मुद्रा-विधेयक न समझा जायेगा, कि वह अर्थ-दंड या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का, अथवा अनुज्ञाओं के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है.

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक मुद्रा-विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा.

(४) अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन जब मुद्रा-विधेयक राज्य-परिषद् को भेजा जाता है और जब वह आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अधीन अनुमति के लिये प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो प्रत्येक मुद्रा-विधेयक पर लोक-सभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाण अंकित रहेगा कि वह मुद्रा-विधेयक है.

विधेयकों पर अनुमति.

९१. जब संसद् के दोनों आगारों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया है तो वह प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

पर प्रधान, अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक उपस्थापन के पश्चात् अधिक से अधिक छः सप्ताह में, उस विधेयक को, यदि वह मुद्रा-विधेयक नहीं है, तो आगारों को संदेश के साथ लौटा सकेगा और इस संदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि वे इस विधेयक पर अथवा इस के किसी उल्लिखित प्रावधान पर पुनर्विचार करें और विशेषतः उन संशोधनों के पुरःस्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करें जिनको उसने अपने संदेश में अभिस्तावित किया हो, और आगार विधेयक पर तदनुसार विचार करेंगे.

आर्थिक विषयों में कार्य-प्रणाली

वार्षिक आर्थिक विवरण.

९२. (१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये संसद् के दोनों आगारों के समक्ष प्रधान, भारत-शासन की उस वर्ष के लिये आगणित प्राप्ति और व्यय का विवरण-पत्र, रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक आर्थिक विवरण" के नाम से निर्देश किया गया है.

(२) वार्षिक आर्थिक विवरण में समाविष्ट व्यय की आगणना में—

(क) जो व्यय इस संविधान में, भारत-आगमों पर प्रभृत-व्यय के रूप से वर्णित है, उनकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, और

(ख) भारत-आगमों से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां,

पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी और आगम-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से विभेद किया जायेगा.

(३) निम्न व्यय भारत-आगमों पर प्रभृत्त व्यय होगा--

(क) प्रधान के परिलाभ और अधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;

(ख) राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के परिलाभ और अधिदेय ;

(ग) ऐसे ऋण-प्रभार, जिनकी देयता भारत-शासन पर है, जिनमें ब्याज, प्रतिस्थापन प्रणीधि प्रभार तथा निष्क्रयण प्रभार, और उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण निष्क्रयण सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित होंगे ;

(घ) (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन ;

(२) संघान न्यायालय के न्यायाधीशों, को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले उत्तर वेतन ;

(३) जो उच्च न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ तथा २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में समाविष्ट किसी क्षेत्र के अन्दर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व करता था, उसके न्यायाधीशों को अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले उत्तर वेतन ;

(ङ) किसी न्यायालय अथवा विवाची धर्माधिकरण के निर्णय, आदेश (डिक्री) अथवा परिनिर्णय (अवार्ड) के संतोषण के लिये अपेक्षित कोई राशियां ;

(च) इस संविधान से अथवा संसद् से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभृत्त घोषित किया गया कोई अन्य व्यय.

संसद् में आगणना-विषयक कार्यप्रणाली.

६३. (१) जितनी आगणनायें भारत-शासनों के आगमों पर प्रभृत्त व्यय से सम्बद्ध हैं वे, संसद् में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अन्वय न किया जायगा कि वह, संसद् के किसी आगार में इनमें से किसी आगणना के पर्यालोचन को रोकती है.

(२) उक्त आगणनाओं में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं, वे, लोकसभा के समक्ष अनुदान मांग के रूप में रखी जायेंगी और लोकसभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे.

(३) प्रधान के अभिस्ताव के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी.

प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन.

६४. (१) प्रधान अपने हस्ताक्षर द्वारा--

(क) अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के अधीन लोकसभा द्वारा किये गये अनुदानों का,

(ख) भारत के आगमों पर प्रभृत्त व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित विविध राशियों का, किन्तु जो संसद् के समक्ष पूर्व रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी अवस्था में भी अधिक नहीं,

उल्लेख करने वाली अनुसूची को प्रामाणिक करेगा.

(२) इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची लोकसभा के समक्ष रखी जायगी किन्तु संसद् में पर्यालोचन अथवा मतदान के लिये खुली न होगी.

(३) आगामी निकटवर्ती दो अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारत-आगमों में से कोई भी व्यय सम्यक्-प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि वह इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची में उल्लिखित नहीं है.

व्यय के अनुपूरक विवरण.

९५. यदि किसी आर्थिक वर्ष में, भारत-आगमों से, उस वर्ष के लिये उस समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और व्यय आवश्यक हो जाता है, तो प्रधान उक्त व्यय की आगणित राशि को दिखाने वाले अनुपूरक विवरण को संसद् के दोनों आगारों के समक्ष रखवायेगा, और पूर्वगामी अनुच्छेदों के प्रावधान उस विवरण तथा उस व्यय के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक आर्थिक विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हैं.

अतिशायी अनुदान.

९६. यदि किसी आर्थिक वर्ष में भारत-आगमों से किसी सेवा पर, जिस पर कि संसद् का मत आवश्यक है, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशि से अधिक व्यय कर दिया गया है तो लोक सभा के समक्ष, उस आधिक्य के लिये मांग उपस्थित की जायेगी और इस संविधान के अनुच्छेद ९३ और ९४ के प्रावधान ऐसी मांग के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे अनुदान की मांग के लिये प्रभावी हैं.

आर्थिक विधेयकों के लिये विशेष प्रावधान.

९७. (१) इस संविधान के अनुच्छेद ९० के खंड (१) के (क) से (च) तक पदों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक अथवा संशोधन प्रधान के अभिस्ताव के बिना पुरःस्थापित अथवा प्रस्तावित न किया जायगा और ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक राज्य-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायगा :

पर किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के अधीन किसी अभिस्ताव की अपेक्षा न होगी.

(२) कोई विधेयक अथवा संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला, केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि वह अर्थदंड या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का अथवा अनुज्ञाओं (लाईसेंस) के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है.

(३) जिस विधेयक के अधिनियम बनाये जाने, और प्रवतन में लाये जाने पर, भारत-आगमों से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद् के किसी आगार द्वारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस आगार को प्रधान ने अभिस्तवन न किया हो.

सामान्य कार्यप्रणाली

कार्यप्रणाली के नियम.

९८. (१) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद् का प्रत्येक आगार अपनी कार्यप्रणाली के तथा अपने कार्य-संचालन के आनियमन के लिये नियम बना सकेगा.

(२) जब तक इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत अधिराज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे संपरिवर्तनों तथा उपयोजनाओं के साथ जिन्हें राज्य-परिषद् का सभापति अथवा लोक सभा का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो करे, संसद् के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे.

(३) राज्य-परिषद् के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, प्रधान, दोनों आगारों की संयुक्त बैठक सम्बन्धी तथा, उनमें परस्पर संचार सम्बन्धी कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा.

(४) दोनों आगारों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति अध्यासी होगा, जिसका इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमों के अनुसार निश्चय हो.

संसद् में प्रयोक्तव्य भाषा.

९९. (१) संसद् में कार्य, हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जायगा :

पर राज्य-परिषद् का सभापति, अथवा लोकसभा का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, किसी सदस्य को, जो इन में से किसी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में आगार को सम्बोधन करने की आज्ञा दे सकेगा.

(२) राज्य-परिषद् का सभापति अथवा लोकसभा का अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य भाषा में दिये हुए भाषण का हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में संक्षेप राज्य-परिषद् अथवा लोकसभा में, जैसी कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रबन्ध करेगा और ऐसा संक्षेप उस आगार की कार्यवाहियों के उल्लेख-पत्र में समाविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह भाषण दिया गया था.

संसद् में पर्यालोचन पर आयंत्रण.

१००. (१) इसके पश्चात् प्रावहित रीति से न्यायाधीश के निष्कासन के लिये प्रधान के समक्ष प्रार्थनात्मक अभिलेख के उपस्थापन के प्रस्ताव के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यपालन से सम्बद्ध आचरण के विषय में संसद् में कोई पर्यालोचन न होगा.

(२) इस अनुच्छेद में "उच्च न्यायालय" के निर्देश में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा, जो इस भाग के अध्याय ४ में दिये हुए किसी प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय है.

संसद् की कार्यवाहियों की न्यायालय परिपृच्छा न करेंगे.

१०१. (१) कार्यप्रणाली में, किसी कथित अनियमिता के आधार पर संसद् की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न उठाई जायेगी.

(२) संसद् का कोई अधिकारी अथवा अन्य सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा अथवा इसके अधीन, संसद् में कार्यप्रणाली को अथवा कार्य-संचालन को आनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा.

अध्याय ३.—प्रधान की विधायिनी शक्तियां

संसद् के विश्रान्तिकाल में अध्यादेश के प्रवर्तन की प्रधान की शक्ति.

१०२. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनों आगार सत्रस्थ हैं, यदि किसी समय प्रधान को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेश प्रवर्तन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के कारण आवश्यक दीखें.

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रवर्तित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा

जो प्रधान द्वारा स्वीकृत संसद् के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) संसद् के दोनों आगारों के समक्ष रखा जायेगा, और संसद् के पुनः अधिविष्ट होने से छः सप्ताह के अवसान पर, अथवा, यदि उस कालावधि के अवसान से पूर्व उसकी प्रतिनिन्दा का संकल्प दोनों आगारों से पारित हो जाता है, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारण होने पर, प्रवृत्त न रहेगा, और

(ख) प्रधान द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत किया जा सकता है.

व्याख्या.—जब संसद् के आगार भिन्न भिन्न तिथियों में पुनः एकत्रित होने के लिये बुलाये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनार्थ छः सप्ताह की अवधि की गणना उन तिथियों में से पिछली तिथि से की जायेगी.

(३) यदि और जिस मात्रा तक इस अनुच्छेद के अधीन बनाया हुआ अध्यादेश कोई ऐसा प्रावधान करता है जिसे इस संविधान के अधीन संसद् को बनाने की शक्ति न हो तो वह शून्य होगा.

अध्याय ४.—संघ का न्याय-मंडल.

र्वोच्च न्याया-
य की स्थापना
था संघटन.

१०३. (१) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के प्रधान न्यायाधीश तथा सात से अन्यून उतने न्यायाधीशों का बनेगा, जितनों का संसद् विधि द्वारा विनिधान करे.

(२) सर्वोच्च न्यायालय के तथा राज्यों में के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से ऐसों के साथ जैसे कि तदर्थ आवश्यक हों, परामर्श करके प्रधान अपने हस्ताक्षरित और मुद्रांकित अधिपत्र द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह ६५ वर्ष की अवस्था प्राप्त होने तक पद धारण करेगा :

पर मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सर्वदा परामर्श किया जायेगा :

पर यह और भी कि—

(क) कोई न्यायाधीश प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) खंड (४) में प्रावहित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा.

(३) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो और—

(क) किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश न रह चुका हो ; अथवा

(ख) किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो.

व्याख्या १.—इस खंड में उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है वह उच्च न्यायालय जिसका क्षेत्राधिकार भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में है अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व था.

व्याख्या २.—इस खंड के प्रयोजनार्थ अधिवक्ता रहने की कालावधि की गणना में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया हो.

(४) सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से निष्कासित न किया जायेगा, जब तक कि सिद्ध दुराचार अथवा असामर्थ्य के कारण निष्कासन के लिये, संसद् के दोनों आगारों द्वारा, उपस्थित तथा मत देने वालों में से दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों से समर्थित अभिलेख प्रधान के समक्ष एक ही सत्र में उपस्थित किये जाने के पश्चात्, प्रधान ने आदेश न दिया हो.

(५) अन्तिम पूर्वगामी खंड के अधीन किसी अभिलेख के उपस्थापन की, तथा, न्यायाधीश के दुराचार अथवा असामर्थ्य के अनुसंधान तथा सिद्धि की, कार्य-प्रणाली का संसद् विधि द्वारा आनियमन कर सकेगी.

(६) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद प्रवेश के पूर्व प्रधान अथवा उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

(७) कोई व्यक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवक्ता का कार्य न करेगा.

न्यायाधीशों के वेतन आदि.

१०४. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों और अधिदेयों के, तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जैसे कि समय समय पर संसद् द्वारा बनाई विधि से, अथवा विधि के अधीन नियत किये गये हों, और जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे वेतनों और अधिदेयों के तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है :

पर न तो न्यायाधीश के वेतन में और न उसके अवकाश अथवा उत्तर वेतन सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्, कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो.

स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति.

१०५. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक, जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

एतदर्थ (एडहॉक) न्यायाधिशों की नियुक्ति.

१०६. (१) यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को करने अथवा चालू रखने के लिये न्यायाधीशों का गणपूरक प्राप्य न हो, तो सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर के, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अपने मनोनेय न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में, एतदर्थ न्यायाधीश के रूप में, जितनी भी कालावधि के लिये आवश्यक हो, उपस्थिति की, लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा.

(२) इस प्रकार मनोनीत न्यायाधीश का कर्तव्य होगा, कि अपने पद के अन्य कर्तव्यों की अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में, उस समय तथा उस

कालावधि के लिये जिसके लिये उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, समस्त क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करेगा.

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थिति.

१०७. इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी समय भी, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति से, जो सर्वोच्च न्यायालय के अथवा संघान न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने की तथा कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, और इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा :

पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी.

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान.

१०८. सर्वोच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा और देहली में तथा ऐसे अन्य स्थान अथवा स्थानों में, यदि कोई हो, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश समय समय पर प्रधान के अनुमोदन से नियुक्त करे, बैठेगा.

सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र.

१०९. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुये—

(क) भारत-शासन और एक अथवा अधिक राज्यों के मध्य ; अथवा

(ख) एक ओर भारत-शासन और एक राज्य अथवा राज्यों तथा दूसरी ओर एक अथवा अधिक अन्य राज्यों के मध्य ; अथवा

(ग) दो या अधिक राज्यों के मध्य,

विवाद में, जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्गत है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर है, वहां तक, अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा :

पर उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न विवादों पर न होगा—

(१) वह विवाद जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य एक पक्ष में है, यदि वह विवाद इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व की हुई, और उस तिथि के पश्चात् प्रवृत्त रही हुई अथवा प्रवृत्त रहने वाली किसी संधि, संविदा, अभियुक्ति, सनद अथवा अन्य तत्सदृश विलेख के किसी प्रावधान से उत्पन्न हुआ है ;

(२) वह विवाद, जिसमें कोई राज्य एक पक्ष में है यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, संविदा, अभियुक्ति, सनद अथवा अन्य तत्सदृश विलेख के, प्रावधान से उत्पन्न हुआ है जो यह प्रावधान करता है कि उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार ऐसे विवाद पर न होगा.

विशेष अवस्थाओं में राज्यों के उच्च न्यायालयों से पुर्नविचार प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय का पुर्नविचार क्षेत्राधिकार.

११०. (१) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी मामले में इस संविधान के निवर्चन का कोई सारवद्-विधि-प्रश्न अन्तर्धृत है तो राज्य के उच्च न्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक, चाहे दांडिक, चाहे अन्य कार्यवाही में दिये निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुर्नविचार प्रार्थना (अपील) सर्वोच्च न्यायालय को हो सकेगी.

(२) जहां कि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाणपत्र देना अस्वीकार कर दिया हो तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसे संतोष हो जाय कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवद्-विधि-प्रश्न अन्तर्धृत है तो, ऐसे निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुर्नविचार प्रार्थना के लिये विशेष अनुमति दे सकेगा.

(३) जहां ऐसा प्रमाणपत्र अथवा ऐसी अनुमति दे दी गई हो वहां मामले में कोई पक्षवान केवल इसी आधार पर नहीं कि कोई पूर्वोक्त प्रश्न, अशुद्ध निर्णीत हुआ है, किन्तु किसी अन्य अधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय को पुर्नविचार प्रार्थना कर सकेगा.

व्याख्या .—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "अन्तिम आदेश" पद में ऐसे वाद-हेतु का निर्णायक आदेश भी समाविष्ट है, जो यदि पुर्नविचारप्रार्थी के पक्ष में निर्णीत हो तो उस मामले का अन्तिम निर्णय करने के लिये पर्याप्त होगा.

प्रथम अनसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अतिरिक्त भारत के राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालयों से अन्य मामले की पुर्नविचार प्रार्थना में सर्वोच्च न्यायालय का पुर्नविचार-क्षेत्राधिकार.

१११. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अतिरिक्त भारत के राज्यक्षेत्र में उच्च न्यायालय की व्यवहार विषयक कार्यवाही में दिये गये निर्णय, प्रादेश, अथवा अन्तिम आदेश की पुर्नविचार प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे—

(क) कि विवादग्रस्त विषय की राशि अथवा मूल्य प्रथम बार के न्यायालय में बीस हजार रुपये से कम न था और पुर्नविचार-प्रार्थना-गत विवद में भी उस से कम नहीं है; या

(ख) कि निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश इतनी राशि अथवा मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध किसी अभ्यर्थना अथवा प्रश्न को प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप में अन्तर्धारण करता है ; या

(ग) कि अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में पुर्नविचार प्रार्थना के समुपयुक्त है ;

और जहां कि पुर्नविचार प्रार्थित निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश विनान्तर नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपोषण करता है तो खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न मामले में पुर्नविचार प्रार्थना तब हो सकेगी जब उच्च-न्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि पुर्नविचार प्रार्थना में कोई सारवद् विधि प्रश्न अन्तर्धृत है.

(२) इस संविधान के अनुच्छेद ११० में किसी बात के होते हुये भी, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से पुर्नविचार प्रार्थना करने वाला कोई प्रक्षवान ऐसी पुर्नविचार प्रार्थना में एक कारण यह भी बता सकेगा कि इस में संविधान के निर्वचन का सारवद् विधि-प्रश्न अन्तर्धृत है जिसका अशुद्ध निर्णय किया गया है.

कुछ अन्य मामलों में पुर्नविचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति.

११२. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अतिरिक्त, भारत के राज्यक्षेत्र में, इस संविधान के अनुच्छेद ११० अथवा अनुच्छेद १११ के प्रावधान जिन मामलों में लागू नहीं हैं उन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेक से किसी न्यायालय अथवा धर्माधिकरण द्वारा किसी वाद अथवा विषय में दिये हुये किसी निर्णय, प्रादेश अथवा अन्तिम आदेश की पुर्नविचार प्रार्थना के लिये विशेष अनुमति अनुदान कर सकेगा.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ अभियोगों में सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्था प्रार्थना.

११३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के उच्च न्यायालय में यदि किसी व्यवहार, दंड अथवा अन्य कार्यवाही के वर्तन में संसद् की, अथवा ऐसे राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य के विधान-मंडल की, किसी विधि की प्रयोज्यता अथवा निर्वचन सम्बन्धी कोई प्रश्न, जो ऐसी कार्यवाही में किसी वाद-हेतु के निश्चयन के लिये महत्वपूर्ण हो, उत्पन्न होता है, तो उच्च न्यायालय, स्वेच्छा से अथवा पक्षों में से किसी की प्रार्थना पर, ऐसे प्रश्न का विशेष निर्देश करते हुए तथा उस पर अपनी मति देते हुए उस मामले का विवरण बना सकेगा और ऐसे प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसकी मति के लिये, भेज सकेगा.

(२) जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय खंड (१) के अधीन मामले का विवरण बनाना अस्वीकार करे तो सर्वोच्च न्यायालय मामले का इस प्रकार विवरण बनाये जाने की अपेक्षा कर सकेगा.

(३) जब इस अनुच्छेद के खंड (१) के अथवा (२) के अधीन किसी मामले का ऐसा विवरण बना दिया जाता है तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त न हो जाये तब तक उच्च न्यायालय सब कार्यवाही रोक देगा.

(४) पक्षों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार भेजे हुए प्रश्न का निर्णय करेगा, और अपनी मति की एक प्रतिलिपि उस उच्च न्यायालय को भिजवायेगा और उसकी प्राप्ति पर वह उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मत्यनुकूल उस मामले को निपटाने लगेगा.

(५) सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रक्रम पर इस अनुच्छेद के अधीन विवरण बनाये हुए मामले को इस लिये लौटा सकेगा कि उसमें और दूसरे तथ्यों का विवरण दिया जाये.

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि.

११४. (१) संघ-सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें संसद्, विधि द्वारा, प्रदान करे.

(२) यदि संसद्, सर्वोच्च न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शक्तियों के प्रयोग का विधि द्वारा प्रावधान करे तो, किसी विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें भारत-शासन और कोई राज्य विशेष संविदा द्वारा प्रदान करे.

कुछ लेखों के निकालने का सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति-प्रदान.

११५. इस संविधान के अनुच्छेद २५ के खंड (२), (जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन कराने से सम्बद्ध है,) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये बन्द्युपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा तथा उत्प्रेषण लेखों के, अथवा इनमें से किसी प्रकार के निदेशों अथवा आदेशों को निकालने की शक्ति संसद् विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान कर सकेगी.

सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां.

११६. इस संविधान के प्रावधानों में से किसी से अनसंगत ऐसी अनुपूरक शक्तियों का संसद्, विधि द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के लिये प्रावधान कर सकेगी जैसी कि उस न्यायालय को, इस संविधान से अथवा उस के अधीन प्रवत्त क्षेत्राधिकार के अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक अथवा वांछनीय प्रतीत हो.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी.

११७. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि, भारत-राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी.

सर्वोच्च न्यायालय के प्रादेशों और आदेशों का प्रवर्तन तथा प्रलेखों को प्रकट कराने आदि के आदेश.

११८. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा प्रादेश, अथवा ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि इसके समक्ष लम्बमान किसी वाद अथवा विषय में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो, और इस प्रकार दिया हुआ प्रादेश अथवा आदेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में ऐसी रीति से प्रवर्तनीय होगा जैसी कि संसद् किसी विधि द्वारा अथवा अधीन, विनिधान करे.

(२) संसद् द्वारा एतद्विषयक बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, किसी व्यक्ति को उपस्थित कराने के, किन्हीं प्रलेखों को प्रकट अथवा प्रस्तुत कराने के, या अपने किसी अपमान के अनुसंधान कराने अथवा दंड दिलाने के प्रयोजनार्थ कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी.

सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की प्रधान की शक्ति.

११९. (१) यदि किसी समय प्रधान को दीखे कि विधि अथवा तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है अथवा उत्पन्न होने की सम्भावना है जो इस प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति लेना उचित होगा, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय के पास विचारार्थ भेज सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, प्रधान को उस पर अपनी मति का प्रतिवेदन कर सकेगा.

(२) प्रधान, इस संविधान के अनुच्छेद १०९ के परादिक के खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वर्णित प्रकार के विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेज सकेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उसका निर्णय करेगा और इस का प्रतिवेदन प्रधान को करेगा.

असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेंगे.

१२०. भारत राज्यक्षेत्र के असैनिक और न्यायिक, सब प्राधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेंगे.

न्यायालय के नियम आदि.

१२१. (१) संसद् द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर, प्रधान के अनुमोदन से उस न्यायालय के आचार और कार्य-प्रणाली के सामान्यतः आनियमन के लिये, नियम बना सकेगा और इन नियमों में निम्न नियमों का भी समावेश होगा—

(क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध नियम,

(ख) पुर्नविचारप्रार्थनाओं को सुनने की तथा अन्य विषयों की, कार्यप्रणाली से सम्बद्ध नियम. अन्य विषयोंमें वह समय भी सम्मिलित है जिस में पुर्नविचार प्रार्थनाएं न्यायालय में प्रवेश की जायें और जो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं को तत्सम्बन्धी अपने निवेदन करने के लिये दिया जाये,

(ग) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के अथवा उनके आनुषंगिक-परिव्ययों सम्बन्धी तथा उसमें के कार्यवाह के सम्बन्ध में प्रभृत शुल्क सम्बन्धी नियम,

(घ) प्रतिभू (बेल) के स्वीकरण सम्बन्धी नियम,

(ङ) कार्यवाहियों के स्थगन सम्बन्धी नियम,

(च) किसी पुर्नविचार प्रार्थना के, जो न्यायालय को तुच्छ अथवा, प्रबाधी या विलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई प्रतीत होती है, संक्षेपतः निश्चयन को प्रव्यहित करने वाले नियम.

(२) इस संविधान के निर्वचन विषयक सारवद् विधि प्रश्न अन्तर्धारी किसी मामले का निर्णय करने के लिये, अथवा इस संविधान के अनुच्छेद ११९ के अधीन भेजे हुए प्रश्न के सुनने के लिये, बैठने वाले न्यायाधीशों की अलपिष्ठ संख्या पांच होगी :

पर, उक्त प्रयोजनों के लिये प्रत्येक न्यायाधीश बैठने के लिये स्वतन्त्र होगा जब तक कि वह रुग्णावस्था, वैयक्तिक हित, अथवा अन्य पर्याप्त कारण से ऐसा करने के अयोग्य न हो.

(३) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा इस संविधान के अनुच्छेद ११९ के अधीन किसी प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ कोई मति न्यायालय के खुले अधिवेशन में ही दी जायेगी.

(४) मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सम्मति के बिना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न कोई ऐसा प्रतिवेदन किया जायेगा और न कोई निर्णय दिया जायेगा, किन्तु इस खंड की कोई बात किसी न्यायाधीश को, जो सम्मत नहीं होता, अपनी भिन्न मति अथवा निर्णय देने में अवरोध करने वाली न समझी जायेगी.

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, तथा सेवकों के वेतन, अधिदेय और उत्तरवेतन और सर्वोच्च न्यायालय के व्यय.

१२२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनों, अधिदेयों तथा उत्तर वेतनों को भारत का मुख्य न्यायाधीश प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा.

(२) सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों, को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले समस्त वेतन, अधिदेय, तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित हैं, भारत-आगमों पर प्रभृत होंगे, और उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क तथा अन्य मुद्रायें भारत आगमों की भाग होंगी.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों के उच्च न्यायालयों के प्रति निर्देशों का अन्वय.

१२३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अन्तर्गत, अथवा वहां क्षेत्राधिकार रखने वाले, उच्च न्यायालय के प्रति इस अध्याय के अनुच्छेद १०३ और १०६ के निर्देश, उस न्यायालय के प्रति समझे जायेंगे जिसे प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय और उस राज्य के नरेश से परामर्श करने के पश्चात् ऐसा संतोष होने पर कि वह न्यायालय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के उच्च न्यायालयों में से किसी के साथ तुलना के योग्य है, उन अनुच्छेदों के प्रयोजनार्थ, उच्च न्यायालय घोषित करे.

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के उच्च न्यायालय के प्रति, इस अध्याय के अनुच्छेद ११० और ११३ में, जो निर्देश किये गये हैं वे, उस कार्यवाही के विषय में जिसके सम्बन्ध में पुर्नविचार प्रार्थना अथवा प्रेष्टि का प्रावधान उन अनुच्छेदों में किया गया है, उस राज्य के अन्तिम क्षेत्राधिकार रखनेवाले न्यायालय के प्रति समझे जायेंगे.

अध्याय ५. भारत का महांकेक्षक

भारत का महांकेक्षक.

१२४. (१) भारत का एक महांकेक्षक होगा, जिसको प्रधान नियुक्त करेगा और वह अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से निष्कासित किया जायेगा जिस रीति और जिन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निष्कासित किया जाता है.

(२) महांकेक्षक के वेतन, अधिदेय और सेवा के अन्य प्रतिबन्ध ऐसे होंगे जैसे कि संसद् विधि द्वारा निश्चय करे और जब तक संसद् उनका निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची के उल्लेखानुसार होंगे:

पर न तो महांकेक्षक के वेतन में और न उसके अवकाश, उत्तरवेतन अथवा सेवानिवर्तन वयस-सम्बन्धी अधिकारों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो.

(३) अपने पद-धारण के पर्यवसान के पश्चात् महांकेक्षक भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन और पद का पात्र न होगा.

(४) महांकेक्षक के कर्मचारियों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनों, अधिदेयों तथा उत्तरवेतनों को महांकेक्षक प्रधान से परामर्श करके नियत करेगा.

(५) महांकेक्षक तथा उसके कर्मचारियों को, अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय और उत्तरवेतन भारत-आगमों पर प्रभृत्त होंगे.

महांकेक्षक के कर्तव्य और शक्तियां.

१२५. महांकेक्षक भारत-शासन के, और किसी राज्य के शासन के, लेखा-सम्बन्धी ऐसे कर्तव्यों का पालन, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, करेगा जैसी कि किसी संसत्कृत विधि द्वारा, अथवा उसके अधीन, विनिहित हैं अथवा होवें.

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में "संसत्कृत विधि" पद में भारत के राज्यक्षेत्र में उस समय के लिये प्रवृत्त प्रत्येक वर्तमान विधि का समावेश है.

लेखे के विषय में निदेश देने की महांकेक्षक की शक्ति.

१२६. भारत-शासन का लेखा वैसे रूप में रखा जायेगा जैसे कि भारत का महांकेक्षक, प्रधान के अनुमोदन से, विनिधान करे, और जिन रीतियों अथवा सिद्धान्तों के अनुसार किसी राज्य के शासन का कोई लेखा रखा जाना चाहिये उनके विषय में भारत का महांकेक्षक, प्रधान के अनुमोदन से, जो कुछ निदेश दे उसके अनुसार लेखा रखवाना उस राज्य के शासन का कर्तव्य होगा.

अंकेक्षण-प्रतिवेदन.

१२७. भारत के महांकेक्षक के भारत-शासन लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को प्रधान के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और प्रधान उनको संसद् के समक्ष रखवायेगा.

भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्य

अध्याय १.—सामान्य

परिभाषा.

१२८. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य होगा.

अध्याय २.—अधिशासि-वर्ग

शासक

राज्यों के शासक.

१२९. प्रत्येक राज्य के लिये एक शासक होगा.

राज्यों की अधिशासी शक्ति

१३०. (१) राज्य की अधिशासी शक्ति, शासक में निहित होगी, और वह इस का प्रयोग, संविधान तथा विधि के अनुसार कर सकेगा.

(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से—

(क) जो प्रकार्य किसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को दिये हुए हैं वे प्रकार्य शासक को हस्तांतरित किये हुए न समझे जायेंगे, या

(ख) शासक के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को, विधि द्वारा प्रकार्य प्रदान करने में संसद् अथवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा न होगी.

शासक का निर्वाचन.

१३१. राज्य के शासक का निर्वाचन, उन सब व्यक्तियों के, (डायरेक्ट वोट) अव्यवहित मत से होगा, जिनको उस राज्य की विधान-सभा के लिये सामान्य निर्वाचन में मत देने का अधिकार है.

विकल्पत:

शासक की नियुक्ति.

१३१. किसी राज्य के शासक को, प्रधान अपने हस्ताक्षरित और मुद्रांकित अधिपत्र द्वारा, चार ऐसे अभ्यर्थियों की तालिका में से नियुक्त करेगा जिनका निर्वाचन उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा अथवा जहां राज्य में विधानपरिषद् है वहां संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित विधान-सभा और विधान-परिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़शलाका द्वारा होगा.

शासक की पदावधि.

१३२. शासक अपनी पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

पर—

(क) शासक, राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष को, अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार है, वहां राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष, और विधान परिषद् के सभापति, को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर, शासक इस संविधान के अनुच्छेद १३७ में प्रावहित रीति से किये हुए प्राभियोग द्वारा पद से निष्कासित किया (हटाया) जा सकेगा ;

(ग) शासक अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पदप्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा ;

शासक की पुर्निर्वाचन/पुर्नियुक्ति के लिये पात्रता.

१३३. कोई व्यक्ति जो शासक के पदपर (रूप में पदारूढ) है अथवा रह चुका है, उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, पुर्निर्वाचन/पुर्नियुक्ति का पात्र होगा.

शासक निर्वाचित होने के लिये योग्यतायें.

१३४. (१) कोई व्यक्ति शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो.

(२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा—

(क) यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया गया है:

पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक न होगा ; अथवा

(ख) यदि वह भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन, अथवा उक्त शासनों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ है.

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर आरूढ़ केवल इसी लिय न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है ; अथवा

(ख) वह प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मंत्री है, यदि वह, उस राज्य के विधानमंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां विधान-मंडल के अवरागार के प्रति उत्तरदायी है और यदि विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी भी स्थिति हो, तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य निर्वाचित हैं.

विकल्पत:

शासक नियुक्त होने के लिये योग्यताएं.

१३४. (१) कोई व्यक्ति शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो

(२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा, यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया गया है :

पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिये उस राज्य का निवासी होना आवश्यक न होगा.

शासकपद के प्रतिबन्ध.

१३५. (१) शासक न तो संसद् का और न प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा और यदि संसद् का अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई सदस्य शासक निर्वाचित्/नियुक्त हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद् का अथवा उस विधान-मंडल का अपना स्थान, जैसी भी स्थिति हो, शासक-पद-प्रवेश-तिथि से, रिक्त कर दिया है.

(२) शासक, परिलाभ का अन्य कोई पद अथवा स्थिति धारण न करेगा.

(३) शासक के लिये पदावास रहेगा और उसको वे परिलाभ और अधिदेय दिये जायेंगे जो कि उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित परिलाभ तथा अधिदेय दिये जायेंगे.

(४) शासक के परिलाभ तथा अधिदेय उसकी पदावधि में घटाये न जायेंगे.

पदग्रहण से पूर्व शासक अथवा शासक के प्रकार्यों को निर्वाहन करनेवाले व्यक्ति की निश्चयोक्ति अथवा शपथ.

१३६. प्रत्येक शासक और शासक के प्रकार्य करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व, उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के समक्ष निम्न रूप में निश्चयोक्ति करेगा अथवा शपथ लेगा, अर्थात् :—

"मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक निश्चयोक्ति करता (शपथ लेता) हूं कि मैं सच्चे हृदय से . . . . (अमुक राज्य) के शासक पद का निष्पादन (अथवा शासक के प्रकार्यों का निर्वाहन) करूंगा तथा अपनी उत्कृष्टतम योग्यता से संविधान और विधि का रक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं अपने को . . . . (अमुक राज्य) की जनता की सेवा और कल्याण में तनमन से लगाऊंगा".

शासक पर प्राभियोग चलाने की कार्य-प्रणाली.

१३७. (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये जब शासक का प्राभियोग करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान उस राज्य की विधान सभा करेगी.

(२) ऐसे किसी दोषारोप का तब तक पुरोधान न किया जायेगा जब तक कि—

(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापना, एक संकल्परूप में न हो जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो जिस पर विधान-सभा के तीस से अन्यून सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तुत करने का विचार प्रकट किया हो, और

(ख) इस संकल्प का समर्थन, विधान-सभा के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या ने किया हो.

(३) जब दोषारोप का पुरोधान इस प्रकार किया जा चुके, तब विधान-सभा का अध्यक्ष राज्य-परिषद् के सभापति को सूचित करेगा और तब राज्य-परिषद्, दोषारोप के अनुसन्धान के लिये, एक समिति नियुक्त करेगा जो ऐसे व्यक्तियों की भी हो सकेगी अथवा जिसमें ऐसे व्यक्ति भी रह सकेंगे जो राज्य-परिषद् के सदस्य नहीं हैं और शासक को इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधान कराने का अधिकार होगा.

(४) यदि अनुसंधान के परिणामस्वरूप, शासक के विरुद्ध पुरोधान किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, राज्य-परिषद् के समस्त सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित हो कर पार हो जाता है, तो उस संकल्प का प्रभाव, विधान-सभा के अध्यक्ष के पास उस संकल्प को भेजने की तिथि से, शासक का अपने पद से निष्कासन होगा.

विशेष सम्भाव्यताओं में शासक के प्रकार्य निर्वाहनार्थ प्रावधान बनाने की राज्य के विधान मंडल (प्रधान) की शक्ति.

१३८. इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता में किसी राज्य का विधान-मण्डल उस राज्य के प्रकार्य निर्वाहनार्थ जैसा उचित समझे वैसा प्रावधान बना सकेगा.

विकल्पश :

इस अध्याय में अप्रावहित किसी सम्भाव्यता में प्रधान किसी राज्य के शासक के प्रकार्य-निर्वाहनार्थ जैसा उचित समझे वैसा प्रावधान बना सकेगा.

शासक-पद की रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका संघटनार्थ निर्वाचन) समय.

१३९. (१) शासक की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका के संघटनार्थ निर्वाचन) अवधि-अवसान से पूर्व ही, पूर्ण कर लिया जायेगा.

(२) शासक की मृत्यु, पदत्याग अथवा निष्कासन, अथवा अन्य कारण से हुई पद की रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचन (तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन), रिक्ति होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, किया जायेगा और रिक्ति-पूर्ति के लिये निर्वाचित (नियुक्त) व्यक्ति, इस संविधान के अनुच्छेद १३२ में प्रावहित पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये पद-धारण करने का अधिकारी होगा.

शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन) से उद्भूत अथवा सम्बद्ध विषय.

१४०. (१) शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका संघटनार्थ निर्वाचन) से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सब संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ट और निर्णीत होंगे और उसका निर्णय अन्तिम होगा.

(२) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्ति के लिये तालिका-संघटनार्थ निर्वाचन) विषयक अथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन, उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा कर सकेगा.

क्षमण आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के स्थगन, परिहरण अथवा लघ्वादेशन करने की, शासक की शक्ति.

१४१. जिस विषय के लिये किसी राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दोष प्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमण, प्रविलम्बन, प्रास्थगन, या परिहरण प्रदान करने की, अथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेशन करने की, उस राज्य के शासक को शक्ति होगी.

राज्यों की अधिशासी शक्ति का विस्तार.

१४२. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति के अन्तर्गत होंगे—

(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है ; और

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से अथवा राज्यों के समूह से, इस संविधान के अनुच्छेद २३६ अथवा २३७ के अधीन की गई किसी संविदा के अनुसार प्रयोक्तव्य अधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग.

मन्त्रि-परिषद्

शासक को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्.

१४३. (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा अथवा इसके अधीन शासक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रकार्यों अथवा उनमें से किन्हीं के पालन में स्वविवेक का प्रयोग करेगा, उन बातों को छोड़ कर, शासक को अपने प्रकार्यों का पालन करने में सहायता तथा मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रमुख मुख्यमन्त्री होगा.

(२) यदि कोई प्रश्न उठता है, कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिसके सम्बन्ध में, इस संविधान के द्वारा अथवा अधीन शासक को स्वविवेक से कार्य करना अपेक्षित है तो शासक का स्वविवेक से किया हुआ निर्णय अन्तिम होगा, और शासक द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण कोई प्रश्न न किया जायेगा कि १
उसे स्वविवेक से कार्य करना या न करना चाहिये था.

(३) क्या मन्त्रियों ने शासक को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी तो क्या, इस प्रश्न पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा न की जायेगी.

मंत्रियों संबंधी अन्य प्रावधान.

१४४. (१) अपने मन्त्रियों की नियुक्ति शासक करेगा और वे उसके प्रसादकाल तक अपने पद पर आसीन रहेंगे: १

पर बिहार, मध्यप्रान्त और बरार तथा उड़ीसा राज्यों में वनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मन्त्री रहेगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का अथवा किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकेगा.

(२) किसी मन्त्री के अपने पद पर प्रवेश होने से पहिले, शासक उसको तृतीय अनुसूची मे एतदर्थ दिये हुये प्रपत्रों के अनुसार, पद तथा गूढ़ता की शपथें दिलायेगा. २

(३) कोई मन्त्री, जो छः निरन्तर मासों की किसी अवधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस अवधि के पश्चात्, मन्त्री न रहेगा.

(४) अपने मन्त्रियों को चुनने में और उनके साथ अपने व्यवहारों में शासक चतुर्थ अनुसूची में दिये हुये निदेशों पर सामान्यतः चलेगा, पर शासक द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण से कोई प्रश्न न किया जायेगा कि वह उन निदेशों २
के अनुकूल नहीं की गई थी.

(५) मन्त्रियों के वेतन तथा अधिदेय वे ही होंगे जो समय समय पर उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चय करे, और जब तक उस राज्य का विधान-मंडल ऐसा निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अनुसार होंगे.

(६) इस अनुच्छेद के अधीन मन्त्रियों की नियुक्ति और वियुक्ति से सम्बद्ध ३
अपने प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा.

राज्य का महाधिवक्ता

राज्य का महाधिवक्ता.

१४५. (१) प्रत्येक राज्य का शासक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा.

(२) महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि, वह उस राज्य के शासन को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे और ऐसे विधि-रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो उसे शासक समय समय पर भेजे अथवा सौंपे तथा उन प्रकार्यों का पालन करे जो उसे इस संविधान अथवा उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि के द्वारा अथवा अधीन दिये गये हों

(३) राज्य के मुख्य मन्त्री के पदत्याग पर, महाधिवक्ता अपने पद से निवृत्त होगा, पर वह अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा अपनी पुनर्नियुक्ति होने तक पदासीन रह सकेगा.

(४) महाधिवक्ता को वे परितोषण दिये जायेंगे जो शासक निश्चय करे.

शासन-कार्य का संचालन

राज्य-शासन-कार्य का संचालन.

१४६. (१) किसी राज्य के शासन की समस्त अधिशासी कार्यवाही शासक के नाम से की गई कही जायेगी.

(२) शासक के नाम से दत्त और निष्पादित आदेशों तथा अन्य विलेखों का प्रमाणिकन उस रीति से किया जायेगा जो शासक द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणकित आदेश अथवा विलेख की मान्यता पर आक्षेप इस आधार पर न किया जायेगा कि यह, शासक द्वारा दत्त अथवा निष्पादित आदेश अथवा विलेख नहीं है.

शासक को संसूचना देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्तव्य.

१४७. प्रत्येक राज्य के मुख्यमन्त्री का कर्तव्य होगा—

(क) राज्य कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, मन्त्रि-परिषद् के समस्त निर्णय तथा विधानार्थ प्रस्थापनाएं, शासक को पहुंचाना ;

(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, तथा विधानार्थ प्रस्थापनाओं सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जिसे शासक मंगावे; और

(ग) किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने निर्णय कर दिया है किन्तु मन्त्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, शासक के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचारार्थ रखना.

अध्याय ३.----राज्य का विधान-मंडल

सामान्य

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के विधान-मंडलों का संघटन.

१४८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो शासक, और

(क) ——————————राज्यों में, दो आगारों का ;

(ख) अन्य राज्यों में, एक आगार का,

बनेगा.

(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां एक विधान-परिषद् और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां केवल एक आगार है वहां यह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा.

विधान-सभाओं की रचना.

१४९. (१) इस संविधान के अनुच्छेद २९४ और २९५ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा, अव्यवहित निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से बनेगी.

(२) निर्वाचन, प्रौढ मताधिकार के आधार पर होगा ; अर्थात् प्रत्येक जानपद जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस संविधान अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के किसी विधि के अधीन, अनिवास, मनोविक्षेप, पातक, अथवा भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निर्योग्य नहीं किया है, ऐसे निर्वाचनों में मतदाता पंजीयित होने का अधिकारी होगा.

(३) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र का प्रतिनिधान, उस निर्वाचनक्षेत्र की अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में दी हुई जनसंख्या के आधार पर होगा और आसाम के स्वायत्त शासी मंडलों को छोड कर जनसंख्या के प्रत्येक लाख के लिय एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा :

पर किसी राज्य को विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था में तीन सौ से अधिक अथवा साठ से कम न होगी.

(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचनक्षत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के अनुच्छेद २८९ के प्रावधानों के अधीन रहते हुय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा निश्चय करे :

पर उस समय वर्तमान विधान-सभा के विलयन होने तक इस पुनर्व्यवस्थापन का प्रभाव विधान-सभा में प्रतिनिधान पर न पडेगा.

विधान परिषदों की रचना.

१५०. (१) जिस राज्य में विधान-परिषद् है, वहां परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या के पच्चीस प्रतिशत् से अधिक न होगी.

(२) किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या में से—

(क) आधी, इस अनुच्छेद के खंड (३) के अनुसार निर्मित अभ्यर्थियों की तालिकाओं में से, चुनी जायेगी ;

(ख) एक-तिहाई, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्य, अनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के अनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा, निर्वाचित करेंगे ;

(ग) शेष शासक मनोनीत करेगा.

(३) किसी राज्य की विधान-परिषद् के प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व, और तत्पश्चात् इस संविधान के अनुच्छेद १५१ के खंड (२) के अनुसार प्रत्येक त्रैवार्षिक निर्वाचन के पूर्व, अभ्यर्थियों की पांच तालिकाएं बनाई जायेंगी, जिन में से एक में उस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के नाम रहेंगे और शेष चार में क्रमशः ऐसे व्यक्तियों के नाम रहेंगे जिन्हें निम्न विषयों-सम्बन्धी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात :—

(क) साहित्य कला, और विज्ञान ;

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन, और तत्सम्बन्धी विषय ;

(ग) अभियन्त्रणा और वास्तु शास्त्र ;

(घ) लोक-प्रशासन और समाजिक सेवाएं.

(४) इस अनुच्छेद के खंड (३) के अनुसार निर्मित प्रत्येक तालिका में, उस तालिका में से चुने जाने वालों की संख्या से कम से कम दूनी संख्या होगी.

(५) उपनिर्वाचन के लिये, इस अनुच्छेद के खंड (३) और (४) ऐसी उपयोजनाओं और संपरिवर्तनों के साथ, प्रभावी होंगे जिन्हें उस राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा विनिहित करे.

राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि.

१५१. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विलयन न कर दी जाये, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और पांच वर्ष की उक्त अवधि के अवसान का प्रभाव विधान-सभा का विलयन होगा.

(२) किसी राज्य की विधान-परिषद् का विलयन न किया जायेगा, किन्तु उसके सदस्यों में से, एक-तिहाई की यथा शक्य निकटतम संख्या, उस राज्य के विधान-मंडल से, विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक तृतीय वर्ष की समाप्ति पर, निवृत्त होगी.

राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये आयु-सीमा.

१५२. कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल में स्थान पाने के योग्य न होगा जब तक वह विधान-सभा के स्थान की दशा में पच्चीस वर्ष की, और विधान-परिषद् के स्थान की दशा में पैंतीस वर्ष की, आयु से अन्यून न हो.

राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन.

१५३. (१) राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाया जायेगा, तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक, और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तिथि, के बीच छः मास का अन्तर न होगा.

(२) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, शासक, समय समय पर—

(क) आगारों को अथवा किसी आगार को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये बुला सकेगा ;

(ख) आगार अथवा आगारों का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ग) विधान-सभा का विलयन कर सकेगा.

(३) इस अनुच्छेद के खंड (२) के उपखंड (क) और (ग) में दिये हुये प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा.

आगारों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का शासक का अधिकार.

१५४. (१) विधान-सभा को, अथवा किसी राज्य में विधान-परिषद होने की अवस्था में, उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक आगार को, अथवा एकत्र हुये दोनों आगारों को, शासक सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा.

(२) शासक, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बमान किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों को भेज सकेगा और जिस आगार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो, वह आगार उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविध शीघ्रता से विचार करेगा.

प्रत्येक सत्रारम्भ में शासक का विशेष अभिभाषण, तथा अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों का विधान-मंडल में पर्यालोचन.

१५५. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में, विधान-सभा को, अथवा किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, एकत्र हुये दोनों आगारों को, शासक सम्बोधन करेगा और बुलाने का कारण विधान-मंडल को बतलायेगा.

(२) किसी भी आगार की कार्यप्रणाली के आनियामक नियमों द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा आगार के अन्य कार्य पर इस पर्यालोचन को पूर्ववर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा.

आगारों विषयक, मन्त्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार.

१५६. राज्य के प्रत्येक मन्त्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह, उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, दोनों आगारों में तथा आगारों की किसी संयुक्त (बैठक) अधिवेशन में, बोले और अन्यथा उनकी कार्यवाहियों में भाग ले, तथा विधान-मंडल की किसी समिति में, जिस में उसका नाम सदस्यरूप में दिया गया हो, बोले तथा अन्यथा कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का अधिकार न होगा.

राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी

विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.

१५७. राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यथा सम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब, सभा किसी अन्य सदस्य को, स्थित्यनुसार, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चुनेगी.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पदत्याग तथा पदनिष्कासन.

१५८. किसी विधान-सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद पर आरूढ सदस्य—

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, और अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पदत्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के लिये, सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम से कम चौदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो :

पर यह और भी कि, जब कभी विधान-सभा का विलयन किया जाये तो विलयन के पश्चात् होने वाली विधान-सभा के प्रथम अधिवेशन के सद्यःपूर्व तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा.

अध्यक्षपद के कर्तव्य-पालन की, अथवा अध्यक्ष के स्थानापन्न होने की, उपाध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति.

१५९. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य जिसे, शासक तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) विधान-सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जिसका सभा की कार्यप्रणाली के नियमों से निश्चय किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चय करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति.

१६०. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्, जहां ऐसी परिषद् है, यथासम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपने सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब जब सभापति अथवा उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद् किसी अन्य सदस्यों को स्थित्यनुसार सभापति अथवा उपसभापति चुनेगी.

सभापति तथा उपसभापति की पदरिक्ति' पदत्याग तथा पदनिष्कासन.

१६१. किसी विधान-परिषद् के सभापति अथवा उपसभापति के पद पर आरूढ सदस्य—

(क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर देगा ;

(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है, और सभापति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद त्याग सकेगा ; और

(ग) असामर्थ्य अथवा विश्रम्भाभाव के लिये, परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से निष्कासित किया जा सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की, कम से कम चौदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो.

सभापति-पद के कर्तव्य-पालन की, अथवा सभापति के स्थानापन्न होने की, उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति.

१६२. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, तब उपसभापति, अथवा यदि उपसभापति का पद भी रिक्त हो तो, विधान-परिषद् का ऐसा सदस्य जिसे, शासक तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) विधान-परिषद् की किसी बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में, उपसभापति अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जिसका परिषद् की कार्यप्रणाली के नियमों से निश्चय किया जाये, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न है तो, अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और सभापति तथा उपसभापति के वेतन तथा अधिदेय.

१६३. विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को और विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को वे वेतन तथा अधिदेय दिये जायेंगे जो क्रमशः, राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस तरह न बने तब तक, वे वेतन और अधिदेय दिये जाएँगे जो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित हैं.

कार्य-संचालन

आगारों में मतदान ; रिक्तियों के होते हुये भी आगारों के कार्य करने की शक्ति तथा गणपूरक.

१६४. (१) इस संविधान में प्रावहित अवस्था को छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में अथवा दोनों आगारों की संयुक्त बैठक में, सब प्रश्नों का निश्चयन, अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड कर, उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा.

अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा पर मत-समता की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा.

(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी राज्य के विधान-मंडल के किसी भी आगार को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चले कि कोई अनधिकृत व्यक्ति कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाही मान्य होगी.

(३) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् की बैठक में किसी समय भी गणपूरक न रहे तो अध्यक्ष अथवा सभापति अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि या तो आगार को स्थगित कर दे या बैठक को तब तक के लिये विलम्बित कर दे जब तक गणपूरक न हो जाये.

गणपूरक, दस सदस्यों का, अथवा आगार के सदस्यों की समस्त संख्या के छठे भाग का होगा, इन में जो भी अधिक हो.

सदस्यों की निर्योग्यताएँ

सदस्य द्वारा घोषणा.

१६५. राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, शासक अथवा शासक द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रपत्र के अनुसार, घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

स्थानों की रिक्ति.

१६६. (१) कोई व्यक्ति, राज्य के विधान-मंडल के दोनों आगारों का सदस्य न होगा और जो व्यक्ति दोनों आगारों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे आगार के स्थान को रिक्त करने के लिये, उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा प्रावधान बनायेगा.

(२) कोई व्यक्ति, संसद् और किसी राज्य के विधान-मंडल इन दोनो का सदस्य न होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और किसी राज्य के विधान-मंडल इन दोनों का सदस्य चुना गया है तो उस राज्य के शासक द्वारा निर्मित नियमों में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर, उस व्यक्ति का उस राज्य के विधान-मंडल का स्थान रिक्त हो जायेगा, यदि उसने संसद का अपना स्थान पहिले ही रिक्त न कर दिया हो.

(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के आगार का सदस्य—

(क) निकटतम आगामी अनुच्छेद के खंड (१) में वर्णित निर्योग्यताओं का पात्र हो जाता है; अथवा

(ख) स्थित्यनुसार अध्यक्ष अथवा सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा.

(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के आगार का सदस्य साठ दिनों की अवधि तक बिना आगार की अनुमति के उसके सब अधिवेशनों में अनुपस्थित रहे तो आगार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

पर उक्त अवधि की संगणना में किसी ऐसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में आगार का सत्रावसान, अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगन, हुआ है.

सदस्यता के लिये निर्योग्यताएँ.

१६७. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा—

(क) यदि वह भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन लाभपद पर आरूढ है, ऐसे पद को छोड़कर जिसके धारण करने वाले का निर्योग्य न होना, उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा, घोषित किया है ;

(ख) यदि वह विक्षिप्त है और अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ;

(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुषक्ति अथवा अभिलग्नता स्वीकार किये हुए है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद है अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद के अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों का अधिकारी है ;

(ङ) यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा अथवा अधीन इस प्रकार निर्योग्य कर दिया गया है.

(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति, भारत-शासन के, अथवा प्रथम अनुसूची में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के अधीन, लाभपद पर आरूढ़ केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि—

(क) वह या तो भारत का, या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का, मन्त्री है ; अथवा

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का मन्त्री है यदि वह, उसराज्य के विधान-मंडल के प्रति अथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो आगार हैं, वहां विधान-मंडल के अवर-आगार के प्रति, उत्तरदायी है और यदि (स्थित्यनुसार) विधान-मंडल के अथवा आगार के, जैसी कि स्थिति ो, तीन-चौथाई से अन्यन सदस्य निर्वाचित हैं.

अनुच्छेद १६५ के अधीन घोषणा किये बिना, अथवा योग्य न होते हुये अथवा निर्योग्य किये जाने पर बैठने और मतदान के लिये दंड.

१६८. यदि कोई व्यक्ति राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है जब कि उसने इस संविधान के अनुच्छेद १६५ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की है, अथवा जब वह जानता है, कि मैं योग्य नहीं हूं, अथवा उसकी सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूँ, अथवा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रावधानों से ऐसा करने से वर्जित कर दिया गया हूँ तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाँच सौ रुपये के दण्ड का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में प्रत्यादत्त होगा.

सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियां

सदस्यों के विशेषाधिकार आदि.

१६९. (१) विधान-मंडल की कार्यप्रणाली के आनियामक नियमों और १
स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्-स्वातंत्र्य होगा.

(२) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुये किसी मत के सम्बन्ध में, विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध, किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, १
विधान-मंडल के किसी आगार के प्राधिकार के द्वारा अथवा अधीन किसी विवरण-पत्र, पत्र, मतों अथवा कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी.

(३) अन्य बातों में, राज्य के विधान-मंडल के आगार के सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियां वेही होंगी जो वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि- २
द्वारा परिभाषित करे, और वे जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेन्ट के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त है.

(४) जिन्हें, इस संविधान के सामर्थ्य से राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधि- २
कार है, उनके सम्बन्ध में इस अनुच्छेद के खंड (१), (२) और (३) के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू है.

सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय.

१७०. राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद् के सदस्य उन वेतनों तथा अधिदेयों को पाने के अधिकारी होंगे जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, विधि ३
द्वारा, समय समय पर निश्चित करे और जब तक तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, अधिदेय ऐसी दर से और ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपूर्व उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थे.

विधान-कार्यप्रणाली

विधेयकों के पुरःस्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान.

१७१. (१) मुद्रा विधेयकों तथा अन्य आर्थिक विधेयकों के विषय में इस संविधान के अनुच्छेद १७३ और १८२ के, प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार में, प्रारम्भ हो सकेगा.

(२) इस संविधान के अनुच्छेद १७२ और १७३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के आगारों से, पारित न समझा जायेगा, जब तक कि या तो बिना संशोधन के या दोनों आगारों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों आगारों (ने उसको स्वीकार न कर लिया हो) द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो.

(३) आगार अथवा आगारों के सत्रावसान के कारण, किसी राज्य के विधान-मंडल में लम्बमान विधेयक व्यपगत न होगा.

(४) किसी राज्य की विधान-परिषद में लम्बमान विधेयक, जिसको विधान-सभा ने पारण नहीं किया है, विधान-सभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा.

(५) कोई विधेयक, जो किसी राज्य की विधान-सभा में लम्बमान है अथवा जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान-परिषद् में लम्बमान है, वह विधान-सभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा.

कुछ अवस्थाओं में, विधान-परिषदों वाले राज्यों के दोनों आगारों का संयुक्त अधिवेशन.

१७२. (१) विधान-परिषद् वाले किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, किसी विधेयक के पारित होने, और विधान-परिषद् को पारेषित किये जाने, के पश्चात्, विधान-परिषद् द्वारा विधेयक की प्राप्ति तिथि से, दोनों आगारों द्वारा विधेयक को पारण किये बिना, यदि छः से अधिक मास बीत जायें तो, विधान-सभा के विलयन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है तो, विधेयक पर विचार करने और मत देने के प्रयोजनार्थ, शासक आगारों को संयुक्त अधिवेशन के लिये बुला सकेगा :

पर इस खंड में की कोई बात किसी मुद्रा विधेयक पर लागू न होगी.

(२) ऐसे छः मास की अवधि की संगणना में, जो कि इस अनुच्छेद के खण्ड (१) में निर्दिष्ट है, किसी एसी अवधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिसमें दोनों आगारों का सत्रावसान अथवा चार से अधिक दिनों के लिये स्थगन हुआ है.

(३) यदि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार आहूत दोनों आगारों की संयुक्त बैठक में, विधेयक, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिनको संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों आगारों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो इस संविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनों आगारों पारित समझा जायेगा :

पर संयुक्त बैठक में—

(क) यदि, विधान-परिषद् ने विधेयक को संशोधनों सहित पारण न किया हो और विधान-सभा को लौटा दिया हो, तो उन संशोधनों (यदि कोई हों) के अतिरिक्त, जो विधेयक के पारण में विलम्ब के कारण आवश्यक हो गये हों, विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्थापित न किये जायेंगे ;

(ख) यदि विधान-परिषद् ने विधेयक को इस प्रकार पारण कर दिया है और लौटा दिया है तो विधेयक पर केवल पूर्वोक्त संशोधन, तथा ऐसे अन्य संशोधन जो उन विषयों से संगत हैं जिन पर आगारों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे ;

और अध्यासी व्यक्ति का निर्णय, कि इस खंड के अधीन कौन से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा.

मुद्रा विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली.

१७३. (१) विधान-परिषद् में मुद्रा विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा.

(२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् को इसके अभिस्तावों के लिये, पारेषित किया जायेगा, और विधान-परिषद्, विधेयक की प्राप्ति-तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, विधेयक को अपने अभिस्तावों सहित विधान सभा को, लौटा देगी और तब विधान-सभा, विधान-परिषद् के अभिस्तावों में से सब को अथवा किसी को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी.

(३) यदि विधान-परिषद् के अभिस्तावों में से किसी को, विधान-सभा स्वीकार कर लेती है तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा अभिस्तावित तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों आगारों द्वारा पारित समझा जायेगा.

(४) यदि विधान-परिषद् के अभिस्तावों में से किसी को भी विधान-सभा स्वीकार नहीं करती तो मुद्रा-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा अभिस्तावित संशोधनों के बिना विधान-सभा से पारित समझा जायेगा.

(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित, तथा विधान-परिषद् को उसके अभिस्तावों के लिये पारेषित मुद्रा-विधेयक, उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया नहीं जाता तो, उक्त अवधि के अवसान पर यह दोनों आगारों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमें विधान-सभा ने उसको पारित किया था.

मुद्रा विधेयको की परिभाषा.

१७४. (१) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, वह विधेयक मुद्रा-विधेयक समझा जायेगा जिसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले प्रावधान ही हों, अर्थात्—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन, अथवा आनियमन ;

(ख) राज्य द्वारा मुद्राऋण लेनेका, अथवा प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किसी आर्थिक भार से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, आनियमन ;

(ग) प्रदाय ;

(घ) राज्य के आगमों का नियोजन ;

(ङ) किसी व्यय को राज्य आगमों पर प्रभृत्त व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि की वृद्धि ;

(च) राज्य आगमों के लेखे में मुद्रा-प्राप्ति, अथवा ऐसी मुद्रा का समारक्षण या निर्गम अथवा राज्य के लेखे का अंकेक्षण ; अथवा

(छ) इस खंड के (क) से (च) तक के पदों में उल्लिखित विषयानुसंगी कोई विषय.

(२) कोई विधेयक केवल इसी कारण से मुद्राविधेयक न समझा जायेगा, कि वह, अर्थदंड (जुर्माना), या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का, अथवा अनुज्ञाओं के लिये शुल्क की, या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है.

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक मुद्राविधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा.

(४) अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अधीन जब मुद्राविधेयक विधान-परिषद् को भेजा जाता है और जब वह आगामी अनुवर्ती अनुच्छेद के अधीन अनुमति के लिये शासक के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो प्रत्येक मुद्राविधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षरित प्रमाण, अंकित रहेगा कि वह मुद्राविधेयक है.

विधेयकों पर अनुमति.

१७५. जो विधेयक किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल के दोनों आगारों द्वारा, पारित कर दिया गया है, वह शासक के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और शासक घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है या उस विधेयक को प्रधान के विचारार्थ आरक्षित रखता है.

पर, जहां विधान-मंडल का केवल एक आगार है और विधेयक को उस आगार ने पारित कर दिया है, तो शासक स्वविवेक से विधेयक को संदेश के साथ लौटा सकेगा और इस संदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि आगार इस विधेयक पर अथवा इस के किन्हीं उल्लिखित प्रावधानों पर पुनर्विचार करे और विशेषतः उन संशोधनों के पुरःस्थापित करने की वांछनीयता पर पुनर्विचार करे जिनको उसने अपने संदेश में अभिस्तावित किया हो, और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तब आगार उस पर तदनुसार विचार करेगा और यदि आगार विधेयक को संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना पुनः पारण करे, और शासक के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित करे तो शासक उस पर अनुमति नहीं रोकेगा.

विचारार्थ आरक्षित विधेयक

१७६. जब कोई विधेयक प्रधान के विचार के लिये शासक द्वारा आरक्षित किया जाये तो प्रधान विधेयक पर अपनी अनुमति देने अथवा रोक लेने की घोषणा करेगा :

पर, जहां विधेयक मुद्राविधेयक न हो, वहां प्रधान, उस विधेयक को, राज्य के विधान-मंडल के उस आगार को अथवा स्थित्यनुसार उन आगारों को, अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के परादिक में उल्लिखित संदेश के साथ लौटाने के लिये, शासक को आदेश दे सकता है और जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तो एक अथवा दोनों आगार उस पर उस संदेश के पाने की तिथि से छः मास की अवधि के भीतर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि वे उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के पुनः पारण करें तो वह, प्रधान के समक्ष उसके विचारार्थ पुनः उपस्थित किया जायेगा.

आर्थिक विषयों में कार्यप्रणाली

वार्षिक आर्थिक विवरण.

१७७. (१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये, राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों के समक्ष, शासक, उस राज्य की उस वर्ष के लिये आगणित प्राप्ति और

व्यय का विवरणपत्र रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक आर्थिक विवरण" के नाम से निर्देश किया गया है.

(२) वार्षिक आर्थिक विवरण में समाविष्ट व्यय की आगणनाओं में—

(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य-आगमों पर प्रभृत्त व्यय के रूप से वर्णित है उनकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां ; और

(ख) राज्य-आगमों से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां ;

पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी, और आगम-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से विभेद किया जायेगा.

(३) निम्न व्यय प्रत्येक राज्य के आगमों पर प्रभृत्त व्यय होगा—

(क) शासक के परिलाभ और अधिदेय तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;

(ख) विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के और किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में, विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के भी परिलाभ और अधिदेय ;

(ग) ऐसे ऋण-प्रभार, जिनकी देयता राज्य पर है, जिनमें ब्याज प्रतिस्थापन प्रणीवि प्रभार तथा निष्क्रयण प्रभार और उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण-निष्क्रयण सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित होंगे ;

(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और अधिदेयों सम्बन्धी-व्यय ;

(ङ) किसी न्यायालय अथवा विवाची धर्माधिकरण के निर्णय, आदेश अथवा परिनिर्णय के संतोषण के लिये अपेक्षित कोई राशियां ;

(च) इस संविधान से, अथवा राज्य के विधान-मंडल से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभृत्त घोषित किया गया कोई अन्य व्यय.

विधान-मंडल में आगणना-विषयक-कार्य-प्रणाली.

१७८. (१) जितनी आगणनायें राज्य के आगमों पर प्रभृत्त व्यय से सम्बद्ध है वे, विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अन्वय न किया जायेगा कि वह, विधान-मंडल में, इनमें से किसी आगणना के पर्यालोचन को, रोकती है.

(२) उक्त आगणनाओं में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं, वे, विधान-सभा के समक्ष अनुदान मांग के रूप में रखी जायेंगी और विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित राशि को कम करके, स्वीकार करे.

(३) शासक के अभिस्ताव के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी.

प्राधिकृत व्यय की अनुसूची का प्रामाणिकन.

१७९. (१) शासक अपने हस्ताक्षर द्वारा—

(क) अन्तिम पूर्वगामी अनुच्छेद के अधीन विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों का ;

(ख) राज्य के आगमों पर प्रभृत्त व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित विविध राशियों का, किन्तु जो आगार अथवा आगारों के समक्ष, पूर्व रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी अवस्था में भी अधिक नहीं ;

उल्लेख करने वाली सूची को प्रामाणिक करेगा

(२) इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची विधान-सभा के समक्ष रखी जायेगी किन्तु विधान-मंडल में पर्यालोचन अथवा मतदान खुली न रहेगी.

(३) आगामी निकटवर्ती दो अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, राज्यों के आगमों में से कोई भी व्यय सम्यक प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि वह इस प्रकार प्रामाणिक की हुई अनुसूची में उल्लिखित नहीं है.

व्यय के अनुपूरक विवरण.

१८०. यदि किसी आर्थिक वर्ष में, राज्य के आगमों से उस वर्ष के लिये उस समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और व्यय आवश्यक हो जाता है, तो शासक, उक्त व्यय की आगणित राशि को दिखाने वाले अनुपूरक विवरण को आगार अथवा आगारों के समक्ष रखवायेगा, और पूर्वगामी अनुच्छेदों के प्रावधान उस विवरण तथा उस व्यय के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक आर्थिक विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हैं.

अतिशायी अनुदान.

१८१. यदि किसी आर्थिक वर्ष में राज्य के आगमों से किसी सेवा पर, जिस पर कि विधान-सभा का मत आवश्यक है, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये अनुदत्त राशि से अधिक व्यय कर दिया गया है तो, विधान-सभा के समक्ष उस आधिक्य के लिये मांग उपस्थित की जायेगी और इस संविधान के अनुच्छेद १७८ और १७९ के प्रावधान ऐसी मांग के सम्बन्ध में वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे अनुदान की मांग के लिये प्रभावी हैं.

आर्थिक विधेयकों के लिये विशेष प्रावधान.

१८२. (१) इस संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के (क) से (च) तक पदों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक अथवा संशोधन शासक के अभिस्ताव के बिना पुरःस्थापित अथवा प्रस्तावित न किया जायेगा और ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक विधान-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायेगा :

पर किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के अधीन किसी अभिस्ताव की अपेक्षा न होगी.

(२) कोई विधेयक अथवा संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला, केवल इसी कारण से न समझा जायेगा कि वह अर्थ दंड या अन्य आर्थिक शास्ति के आरोपण का अथवा अनुज्ञाओं के लिये शुल्क की या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की अभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनार्थ किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहरण, परिवर्तन या आनियमन का प्रावधान करता है.

(३) जिस विधेयक के अधिनियम बनाये जाने, और प्रवर्तन में लाये जाने पर, राज्य के आगमों से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी आगार द्वारा पारित न किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस आगार को प्रधान ने अभिस्ताव न किया हो.

सामान्य कार्यप्रणाली

कार्यप्रणाली के नियम.

१८३. (१) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई आगार अपनी कार्यप्रणाली के तथा अपने कार्यसंचालन के आनियमन के लिये नियम बना सकेगा.

(२) जब तक इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व, राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे, ऐसे संपरिवर्तनों तथा उपयोजनों के साथ जिन्हें विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति, जैसी भी स्थिति हो, करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे.

(३) विधान-परिषद् वाले राज्य में, विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्, शासक, दोनों आगारों की संयुक्त बैठक-सम्बन्धी, तथा, उनमें परस्पर संचार-सम्बन्धी, कार्यप्रणाली के नियम बना सकेगा.

(४) दोनों आगारों की संयुक्त बैठक में विधान-सभा का अध्यक्ष, अथवा उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति अध्यासी होगा जिसका इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमों के अनुसार निश्चय हो.

राज्यों के विधान-मंडलों में प्रयोक्तव्य भाषा.

१८४. (१) किसी राज्य के विधान-मंडल में कार्य, उस राज्य में सामान्यतया प्रयुक्त भाषा या भाषाओं में, अथवा हिन्दी में, अथवा अंग्रेजी में, किया जायेगा.

(२) विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति, जब कभी वह उचित समझे, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य भाषा में दिये हुये भाषण का, उस राज्य में सामान्यतया प्रयुक्त किसी भाषा में अथवा अंग्रेजी में संक्षेप, विधान-सभा में अथवा विधान-परिषद् में, जैसी कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रबन्ध करेगा और ऐसा संक्षेप उस आगार की कार्यवाहियों के उल्लेखपत्र में समाविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह भाषण दिया गया था.

विधान-मंडल में पर्यालोचन पर आयंत्रण.

१८५. (१) सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य-पालन से सम्बद्ध आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई पर्यालोचन न होगा.

(२) इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी भी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस संविधान के भाग ५ के अध्याय ४ में दिये हुये किसी प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय है.

विधान-मंडल की कार्यवाहियों की, न्यायालय परिपृच्छा न करेंगे.

१८६. (१) कार्यप्रणाली में, किसी कथित अनियमिता के आधार पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न उठाई जायेगी.

(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिकारी अथवा अन्य सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा अथवा इसके अधीन, उस विधान-मंडल में कार्यप्रणाली को अथवा कार्यसंचालन की आनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा.

अध्याय ४.—शासक की विधायिनी शक्ति

विधान-मंडल के विश्रान्तिकाल में शासक की अध्यादेश-प्रवर्तनशक्ति.

१८७. (१) उस समय को छोड कर जब, राज्य की विधान-सभा, और जिस राज्य में विधान-परिषद् है वहां, विधान-मंडल के दोनों आगार, सत्रस्थ हैं, यदि किसी समय शासक को यह निश्चय हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेश प्रवर्तन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों के कारण आवश्यक दीखें:

पर शासक, प्रधान के निदेश के बिना, कोई ऐसा अध्यादेश प्रवर्तन न करेगा यदि राज्य के विधान-मंडल का, उन्हीं प्रावधानों वाला अधिनियम इस संविधान के प्रावधानों के अधीन अमान्य होता, जब तक कि प्रधान के विचार के लिये आरक्षित किया जा कर, उसे प्रधान की स्वीकृति न मिल गई होती.

(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रवर्तित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो शासक द्वारा स्वीकृत राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, और जहां राज्य में विधान-परिषद् है वहां दोनों आगारों के समक्ष रखा जायेगा और विधान-मंडल के पुनः अधिविष्ट होने से छः सप्ताह के अवसान पर, अथवा यदि उस कालावधि के अवसान से पूर्व उसकी प्रतिनिन्दा का संकल्प विधान-सभा से पारित और यदि विधान-परिषद् है तो उससे स्वीकृत, हो जाता है तो संकल्प पारण होने पर, अथवा संकल्प स्वीकृत होने पर, जैसी स्थिति हो, प्रवृत्त न रहेगा ; और

(ख) शासक द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत किया जा सकता है.

व्याख्या.—जब विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के आगार भिन्न भिन्न तिथियों में पुनः एकत्रित होने के लिये बुलाये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनार्थ छः सप्ताह की अवधि की गणना उन तिथियों में से पिछली तिथि से की जायेगी.

(३) इस अनुच्छेद के अधीन प्रवर्तित अध्यादेश, यदि और जिस मात्रा तक ऐसा प्रावधान करता है जो विधान-मंडल द्वारा निर्मित और शासक द्वारा स्वीकृत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा :

पर, राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम का, संसद् अधिनियम से अथवा किसी वर्तमान विधि से, किसी समवर्ती सूची में अंकित किसी विषय के सम्बन्ध में, विरोध का प्रभाव दर्शानेवाले इस संविधान के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधान के निदेश से प्रवर्तित अध्यादेश, उस राज्य के विधान-मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो प्रधान के विचार के लिये रखा गया है और जिस को उसने स्वीकृति दे दी.

अध्याय ५.—गम्भीर सद्यस्कृत्य स्थिति विषयक प्रावधान

गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति में शासक की शक्ति.

१८८. (१) यदि किसी समय किसी राज्य के शासक को समाधान हो जाये कि, गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की शान्ति और अक्षोभ शंकास्पद हो गए हैं और इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य का शासन चलाना सम्भव नहीं रहा, तो वह उदघोषणा के द्वारा घोषित कर सकेगा कि मैं अपने

प्रकार्यों को उद्‌घोषणा में उल्लिखित मात्रा तक, स्वविवेक से प्रयोग में लाऊँगा. ऐसी किसी उद्‌घोषणा में ऐसे आनुषंगिक तथा समनुवर्ती प्रावधान रह सकेंगे जैसे शासक को उद्‌घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक अथवा वाञ्छनीय दीखें. इन प्रावधानों में, राज्य के किसी निकाय अथवा प्राधिकारी संबंधी इस संविधान के किन्हीं प्रावधानों के प्रवर्त्तन को पूर्णतः अथवा अंशतः स्थगन करने के लिये प्रावधानों का समावेश हो सकेगा :

पर इस खण्ड की किसी भी बात से शासक को यह प्राधिकार न होगा कि वह उच्च न्यायालयों संबंधी इस संविधान के किसी प्रावधान के प्रवर्त्तन को या तो पूर्णतः अथवा अंशतः स्थगन करे.

(२) शासक, उद्‌घोषणा की संसूचना प्रधान को तुरन्त ही देगा और प्रधान तब या तो उस उद्‌घोषणा को खण्डित कर सकेगा या ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह इस संविधान के अनुच्छेद २७८ के अधीन अपने में निहित सद्यस्कृत्यता की शक्तियों के प्रयोग में समुपयुक्त समझे.

(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्‌घोषणा दो सप्ताह की समाप्ति पर प्रवृत्त न रहेगी यदि उसे शासक अथवा प्रधान ने लोक अधिसूचना द्वारा उससे पूर्व ही खण्डित न कर दिया हो.

(४) इस अनुच्छेद के अधीन अपने प्रकार्यों का प्रयोग शासक स्वविवेक से करेगा.

अध्याय ६.—अनुसूचित और वनजाति-क्षेत्र

परिभाषायें.

१८९. इस संविधान में—

(क) "अनुसूचित क्षेत्र" इस पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो पंचम अनुसूची की कण्डिका १८ से संलग्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित हैं, तथा जिनका संबंध उन राज्यों से है जिनसे वे भाग संबद्ध हैं;

(ख) "वन-जाति-क्षेत्र" इस पद से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो षष्ठ अनुसूची की कण्डिका १९ से संलग्न सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखित हैं.

अनुसूचित और वन-जाति-क्षेत्रों का प्रशासन.

१९०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन और नियन्त्रण के लिये पंचम अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे.

(२) आसाम राज्य के वनजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे.

अध्याय ७.— राज्यों के उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय का अर्थ.

१९१. (१) इस संविधान के प्रयोजनार्थ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर, भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्न-लिखित न्यायालय, उच्च न्यायालय समझे जायेंगे, अर्थात्—

(क) कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इलाहाबाद, पटना और नागपुर के उच्च न्यायालय, पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय और अवध का मुख्य न्यायालय ;

(ख) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे इस अध्याय के अनुसार उच्च न्यायालय संस्थापित अथवा पुनस्संस्थापित किया गया हो ; और

(ग) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे समुपयुक्त विधान-मण्डल विधि द्वारा इस संविधान के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय घोषित करे :

पर यदि समुपयुक्त विधान मण्डल इस खण्ड में वर्णित किसी न्यायालय या न्यायालयों का स्थान लेने के लिये किसी उच्च न्यायालय के स्थापन का प्रावधान करे, तो उस नए न्यायालय के स्थापन-काल से इस अनुच्छेद का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो कि उसमें इस प्रकार प्रतिस्थापित न्यायालय या न्यायालयों के स्थान में इस नये न्यायालय का वर्णन रहा हो.

(२) अन्यथा प्रावहित अवस्था को छोड कर, इस अध्याय के प्रावधान, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय को, लागू होंगे.

उच्च न्यायालयों का संघटन.

१९२. प्रत्येक उच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा और वह एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों का बनेगा जिन्हें प्रधान समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे :

पर इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीशों और इस अध्याय के आगामी प्रावधानों के अनुसार प्रधान द्वारा नियुक्त किन्हीं अपर न्यायाधीशों को मिला कर उनकी संख्या किसी भी समय उस अधिकतम संख्या से अधिक न होगी जो प्रधान उस न्यायालय के संबंध में आदेश द्वारा निश्चित करे.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उस के पद के प्रतिबन्ध.

१९३. (१) भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के शासक से, और मुख्य न्यायाधीश को छोड अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अवस्था में उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, परामर्श करने के पश्चात् प्रधान, अपने हस्ताक्षरित और मुद्रांकित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह उस समय तक पदारूढ रहेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले, या उससे अधिक उतने वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले जो पैंसठ वर्ष से अधिक न हो और जिसे उस राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा एतदर्थ निश्चित करे :

पर—

(क) कोई न्यायाधीश, शासक को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा ;

(ख) इस संविधान के अनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासनार्थ प्रावहित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से प्रधान द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा ;

(ग) प्रधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी दूसरे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर उस न्यायाधीश का पद रिक्त हो जायेगा.

(२) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानपद न हो ; और—

(क) किसी राज्य में जिसमें या जिसके लिये कोई उच्च न्यायालय है वह कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका हो ; या

(ख) किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो अथवा अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो.

व्याख्या १.—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ—

(क) किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहने की कालावधि की गणना में वह कालावधि भी समाविष्ट होगी जिसमें कि किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया हो ;

(ख) उस कालावधि की गणना में, जिसमें कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में न्यायिक पद धारण कर चुका है या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है, इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की उस अवधि का भी समावेश किया जावेगा जिसमें उसने, किसी ऐसे क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ के पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, की परिभाषा के अनुसार ब्रिटिश भारत में था, न्यायिकपद धारण किया हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो.

व्याख्या २.—इस खण्ड के उपखण्ड (क) और (ख) में उच्च न्यायालय के निर्देश में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस संविधान के अनुच्छेद १०३ और १०६ के प्रयोजनों के लिये उच्च न्यायालय है.

सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी कतिपय प्रावधानों की उच्च न्यायालयों पर प्रयुक्ति.

१९४. इस संविधान के अनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) और (५) के प्रावधान, उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में लागू हैं, और जहां जहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है उनके स्थान में उच्च न्यायालय के निर्देश हो जाएंगे.

पद-प्रवेश से पूर्व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की घोषणा.

१९५. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्त, प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद-प्रवेश के पूर्व उस राज्य के शासक (के समक्ष) अथवा (उससे) उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में एतदर्थ दिये हुए प्रपत्र के अनुसार घोषणा करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुके हुए व्यक्ति के लिये न्यायालयों में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवचन करने पर प्रतिषेध.

१९६. कोई व्यक्ति जो——

(क) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, अथवा

(ख) अधिवक्तृ वर्ग (बार) में से भर्ती किया जाकर किसी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश या अस्थायी न्यायाधीश का,

पद धारण कर चुका है, भारत के राज्य-क्षेत्र में किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवक्ता का कार्य न करेगा.

न्यायाधीशों के वेतन, आदि.

१९७. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे वेतनों और अधिदेयों के तथा अवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जैसे कि समय समय पर उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई विधि से, अथवा विधि के अधीन, नियत किये गये हों जिसके अन्तर्गत उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान (सीट) हो, और जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे वेतनों और अधिदेयों के तथा अवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है:

पर किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन चार सहस्र रुपये प्रति मास से कम न होगा और किसी उच्च न्यायालय के किसी दूसरे न्यायाधीश का वेतन साढे तीन सहस्र रुपये प्रति मास से कम न होगा:

पर यह और भी कि न तो न्यायाधीश के वेतन में और न उसके अवकाश अथवा उत्तर वेतन सम्बन्धी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिस से उस को अलाभ हो.

अस्थायी न्यायाधीश.

१९८. (१) जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा.

(२) (क) जब किसी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा जब ऐसा कोई न्यायाधीश अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाये, या जब अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, प्रधान, उस न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगा.

(ख) नियुक्त व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते समय, उस न्यायालय का न्यायाधीश समझा जाएगा.

(ग) इस खण्ड की किसी बात से, प्रधान को, इस खण्ड के अधीन की हुई किसी नियुक्ति के खण्डन करने में कोई बाधा न होगी.

अपर न्यायाधीश.

१९९. यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि होने के कारण अथवा ऐसे किसी न्यायालय में कार्य के अवशिष्ट रहने के कारण प्रधान को यह दीखे, कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में, उस समय के लिये वृद्धि की जाये, तो, न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या सम्बन्धी इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रधान, न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की यथोचित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो वह निर्धारित करे उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा.

सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति.

२००. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी समय भी, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने की तथा कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, और इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा :

पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सहमति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उसे ऐसा करने की अपेक्षा करनेवाली न समझी जायेगी.

विद्यमान उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार.

२०१. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, और इस संविधान द्वारा विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मण्डल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, और उस न्यायालय में न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उसके न्यायाधीशों की क्रमशः शक्तियां, जिनमें न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उसके सदस्यों के अकेले या भाजन न्यायालयों में बैठने के आनियमन करने की शक्ति का समावेश है, वैसी ही रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व थीं:

पर आगम-सम्बन्धी, अथवा उसके इकट्ठा करने में आदिष्ट अथवा कृत किसी कार्य सम्बन्धी विषय में किसी भी उच्च न्यायालय के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी आयन्त्रण के अधीन इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व था, वह आयंत्रण ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर अब लागू न होगा.

कुछ लेखों के निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति.

२०२. (१) इस संविधान के अनुच्छेद २५ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन सम्पूर्ण क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग ३ में प्रदत्त अधिकारों में से किसी को भी प्रवर्तन करने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजनार्थ, बन्दी-उपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश अथवा आदेश निकालने की शक्ति होगी.

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, इस संविधान के अनुच्छेद २५ के खण्ड (२) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा.

उच्च न्यायालयों के प्रशासन-प्रकार्य.

२०३. (१) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन समस्त राज्य-क्षेत्रों में, जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों पर अधीक्षण करेगा.

(२) उच्च न्यायालय—

(क) ऐसे न्यायालयों से प्रत्याय मंगा सकेगा ;

(ख) किसी व्यवहार या पुनर्विचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से समान अथवा वरिष्ठ क्षेत्राधिकार वाले किसी दूसरे न्यायालय को हस्तान्तरण करने का निदेश दे सकेगा या ऐसे व्यवहार या पुनर्विचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से स्वयं अपने पास ले सकेगा ;

(ग) ऐसे न्यायालयों की कार्यरीति और कार्यवाहियों के प्रानियमन के हेतु सामान्य नियम बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा; और

(घ) इन न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखों के प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा.

(३) उच्च न्यायालय, उन शुल्कों की सारणियां भी निश्चित कर सकेगा जो इन न्यायालयों के प्राड्विवाक को तथा समस्त लिपिकों और अधिकारियों को, तथा इनमें वृत्तिकारी प्राभिकर्ताओं, अधिवक्ताओं और अभिवक्ताओं को मिल सकेंगे:

पर इस अनुच्छेद के खण्ड (२) या खण्ड (३) के अधीन बनाये हुए कोई नियम, या विनिहित कोई प्रपत्र अथवा निश्चित कोई सारणी, उस समय प्रवर्तमान किसी विधि के प्रावधानों से असङ्गत न होगी, और इन सब के लिये शासक के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी.

विशेष अभियोगों के वैधिक विचार के लिये उच्च न्यायालय को हस्तान्तरण.

२०४. यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाये कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में लम्बमान किसी अभियोग में इस संविधान के निर्वचन विषयक कोई सारवद् विधि प्रश्न अन्तर्भूत है, तो वह उस अभियोग को अपने पास ले लेगा और उसका निर्णय करेगा.

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में "उच्च न्यायालय" में इस प्रकार लम्बमान किसी अभियोग के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के अन्तर्गत अन्तिम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय का समावेश है.

उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, अधिदेय और उत्तर वेतन तथा उच्च न्यायालयों के व्यय.

२०५. (१) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों को अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनों, अधिदेयों तथा उत्तर वेतनों को, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के शासक से परामर्श करके नियत करेगा जिस राज्य में उस उच्च न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है.

(२) उच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों को अथवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले समस्त वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन, और उस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा अधिदेय भी सम्मिलित है, उस राज्य के आगमों पर प्रभृत होंगे, और उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क अथवा अन्य मुद्रायें उन आगमों की भाग होंगी

उच्च न्यायालय संस्थापन अथवा पुनस्संस्थापन करने की शक्ति.

२०६. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा अपने अथवा अपने किसी भाग के लिये उच्च न्यायालय संस्थापित कर सकता है अथवा किसी वर्तमान उच्च न्यायालय को उसी रीति से अपने अथवा अपने किसी भाग के लिये पुनस्संस्थापित कर सकता है, अथवा यदि उस राज्य में दो उच्च न्यायालय हैं तो उनको मिला कर एक बना सकता है.

(२) जहां, पूर्वोक्त अनुसार किसी न्यायालय का पुनस्संस्थापन अथवा दो न्यायालयों का समामेलन किया गया है वहां उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई विधि में—

(क) उस न्यायालय अथवा उन न्यायालयों के, समस्त वर्तमान न्यायाधीशों के, तथा ऐसे वर्तमान अधिकारियों और सेवकों के, जो आवश्यक समझे जायें, अपने अपने पदों पर चालू रखने के लिये; और

(ख) समस्त लम्बमान विषयों का, पुनस्संस्थापित न्यायालय अथवा नवीन न्यायालय के समक्ष ले जाने के लिये,

प्रावधान रहेगा और उसमें ऐसे दूसरे प्रावधान भी हो सकेंगे जो पुनस्संस्थापन अथवा समीमेलन के कारण आवश्यक दीखें.

उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में विस्तार अथवा अपवर्जन.

२०७. संसद् विधि द्वारा—

(क) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस राज्य में उस का मुख्य अधिष्ठान है, उस से भिन्न राज्य में अथवा भिन्न राज्य के किसी क्षेत्र में; अथवा

(ख) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन जिस राज्य में उस का मुख्य अधिष्ठान है उस से भिन्न राज्य से अथवा भिन्न राज्य के किसी क्षेत्र से,

कर सकेगी :

पर ऐसे किसी प्रयोजन के लिये संसद् के किसी आगार में कोई विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा जब तक कि—

(१) जहां प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ के विभाग (क) में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में, अथवा ऐसे राज्यान्तर्गत किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो या ऐसे राज्य अथवा क्षेत्र से क्षेत्राधिकार का अपवर्जन होना हो, तो ऐसे दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त न कर ली गई हो; और

(२) जहां क्षेत्राधिकार का विस्तार होना हो तो उस राज्य की भी सहमति न ले ली गई हो जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है.

राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में, राज्यों के विधान-मंडलो की, विधि बनाने की शक्ति पर आयंत्रण.

२०८. जहां, उच्च न्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर जिसमें उसका मुख्य अधिष्ठान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो इस संविधान की किसी बात का यह अन्वय न होगा कि वह—

(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, आयंत्रण या उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है ;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान-मंडल को जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है, उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है; अथवा

(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये तदर्थ विधि बनाने की शक्ति रखनेवाले विधान-मंडल को, उस न्यायालय के उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार-विषयक ऐसी विधियां पारित करने से, अवरोध करती है, जैसी कि वह, इस अनुच्छेद के खंड (ख) के अधीन रहते हुये, पारित करने के लिये अधिकृत होता, यदि उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान उस क्षेत्रमें होता.

निर्वचन.

२०९. जहां कोई उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, या किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो—

(क) इस अध्याय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में, शासक के प्रति जो निर्देश हैं उनका अन्वय उस राज्य के शासक के प्रति माना जायेगा जिसमें उस न्यायालय का मुख्याधिष्ठान है ;

(ख) अधीनस्थ न्यायालयों के लिये बने नियमों, प्रपत्रों तथा सारणियों के, शासक द्वारा अनुमोदन के लिये जो निर्देश है, वह उस राज्य के शासक या नरेश द्वारा अनुमोदन के लिये माना जायेगा जिसमें अधीनस्थ न्यायालय स्थित है, और यदि वह किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का भाग नहीं है तो प्रधान द्वारा अनुमोदन के लिये माना जायेगा ;

(ग) राज्य के आगमों के प्रति जो निर्देश है, वे उस राज्य के आगमों के प्रति माने जायेंगे जिसमें उस न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान है.

अध्याय ९.—राज्यों के मुख्यांकेक्षक

राज्य के मुख्यांकेक्षक.

२१०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक की नियुक्ति के लिये प्रावधान कर सकेगा और जब ऐसा प्रावधान किया जा चुके तो, शासक स्वविवेक से उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त मुख्यांकेक्षक अपने पद से, केवल उस रीति और उन कारणों से ही, निष्कासित किया जा सकेगा, जिस रीति और जिन कारणों से कि उस राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश निष्कासित किया जा सकता है.

(२) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन पारित अधिनियम, यह प्रावधान करेगा कि उस राज्य के लिये मुख्यांकेक्षक की नियुक्ति तब तक न की जायगी जब तक कि अधिनियम की स्वीकृति के पश्चात् प्रकाशन-तिथि से कम से कम तीन वर्ष न बीत जायें.

(३) प्रत्येक ऐसा अधिनियम, मुख्यांकेक्षक के सेवा-प्रतिबन्धों और राज्य के लेखा-सम्बन्धी मुख्यांकेक्षक द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों और प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों का विनिधान करेगा और मुख्यांकेक्षक को, अथवा उस के सम्बन्ध में देय वेतन, अधिदेयों और उत्तरवेतन को राज्य के आगमों पर प्रवृत्त घोषित करेगा.

(४) किसी राज्य का मुख्यांकेक्षक अपने पद के पर्यवसान के पश्चात्, भारत का महांकेक्षक अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी अन्य राज्य का मुख्यांकेक्षक नियुक्त होने का पात्र हो सकेगा किन्तु वह भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त होने का पात्र न होगा.

(५) राज्य के मुख्यांकेक्षक के कर्मचारियों को, अथवा उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनों, अधिदेयों तथा उत्तरवेतनों को मुख्यांकेक्षक, शासक से परामर्श करके नियत करेगा और वे राज्य-आगमों पर प्रभृत्त होंगे.

(६) इस अनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के लेखों के विषय में, भारत के महांकेक्षक की ऐसे निदेश देने की शक्ति का अल्पीकरण न होगा, जैसे कि इस संविधान के अनुच्छेद १२६ में निर्दिष्ट हैं.

अंकेक्षण-प्रतिवेदन.

२११. प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के लेखों-सम्बन्धी, भारत के महांकेक्षक के अथवा राज्य के मुख्यांकेक्षक के, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदनों को उस राज्य के शासक के समक्ष उपस्थित किया जायगा, जो उनको राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा.

भाग ७

प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्य

प्रथम अनुसूची के भाग २ में दिये हुए राज्यों का प्रशासन.

२१२. (१) इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य का प्रशासन, प्रधान, उस मात्रा तक जितनी कि वह उपयुक्त समझे, अपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चीफ-कमिश्नर) या उपशासक (लेफ्टेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा, अथवा निकटस्थ राज्य के शासक या नरेश के द्वारा, करेगा :

पर प्रधान, किसी निकटस्थ राज्य के शासक अथवा नरेश के द्वारा कार्य न करेगा जब तक कि वह—

(क) तत्सम्बद्ध शासक या नरेश से परामर्श न कर ले ; और

(ख) प्रशासित होने वाले राज्य के लोगों की इच्छाओं को उस प्रकार से जान न ले जिस प्रकार से कि प्रधान अत्यन्त समुचित समझे.

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी ऐसे राज्य का प्रशासन, जिस का नरेश उस राज्य के शासन के लिये और शासन-सम्बन्धी सम्पूर्ण और अनन्य प्राधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियों को भारत-शासन को दे चुका है, सब बातों में उसी प्रकार होगा जैसे कि मानो वह प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहा राज्य है और तदनुसार इस संविधान के पूर्वोक्त भाग २ में उल्लिखित राज्यों से सम्बद्ध समस्त प्रावधान ऐसे राज्य पर लागू होंगे.

स्थानीय विधान-मन्डल या मन्त्रणा-परिषद् बनाना व चालू रखना.

२१३. प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे और महायुक्त (चीफ-कमिश्नर) अथवा उपशासक (लेफ्टेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये, आदेश द्वारा, प्रधान—

(क) एक स्थानीय विधान-मंडल, या

(ख) एक मन्त्रणा-परिषद्,

अथवा दोनों बना सकेगा अथवा चालू रख सकेगा, और प्रत्येक का संस्थापन शक्तियां तथा प्रकार्य आदेश में उल्लिखित होंगे.

कुर्ग.

२१४. जब तक इस के लिये प्रधान दूसरा प्रावधान न बनाये, तब तक कुर्ग विधान-परिषद् का संस्थापन, शक्तियां और प्रकार्य तथा कुर्ग में संगृहीत आगमों से और वहां के व्ययों से सम्बन्ध रखने वाले प्रबन्ध अपरिवर्तित रहेंगे.

भाग ८

प्रथम अनुसूची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्यक्षेत्र जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं

प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों का, और अन्य राज्य-क्षेत्रों का जो उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं, प्रशासन.

२१५. (१) प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र का, और किसी अन्य राज्यक्षेत्र का, जो भारत-राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत है परन्तु उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, प्रशासन प्रधान उस मात्रा तक जितना कि वह उपयुक्त समझे अपने नियुक्त किये हुए महायुक्त (चीफ कमिश्नर) या अन्य प्राधिकारी के द्वारा करेगा.

(२) प्रधान, ऐसे किसी राज्यक्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये आनियम बना सकेगा और इस प्रकार बना हुआ कोई आनियम, संसद् निर्मित किसी विधि का अथवा ऐसे राज्यक्षेत्र में उस समय लागू रही किसी वर्तमान विधि का विखंडन अथवा संशोधन कर सकेगा और प्रधान से प्रवर्तित होने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जैसा कि उस राज्यक्षेत्र पर लागू संसदाधिनियम का.

भाग ९

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

अध्याय १.—विधायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियों का विभाजन

संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार.

२१६. (१) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद्, भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा, और किसी राज्य का विधान-मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा.

(२) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारण से कि वह अपने राज्यक्षेत्र से बाहर प्रवृत्त होती है, अमान्य नहीं समझी जायेगी.

संसद् द्वारा तथा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा निर्मित विधि के विषय.

२१७. (१) निकटस्थ आगामी दो खंडों में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, सप्तम अनुसूची की सूची १ में (जो इस संविधान में "संघ सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अंकित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है.

(२) निकटस्थ आगामी खंड में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, और पूर्ववर्ती खंड के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची ३ में (जो इस संविधान में "समवर्ती सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अंकित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति है.

(३) पूर्ववर्ती दो खंडों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची २ में (जो इस संविधान में "राज्य सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) अंकित विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, उस राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है.

(४) संसद् को, भारत-राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये जो प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति है चाहे वह विषय "राज्य सूची" में अंकित हो.

सर्वोच्च न्यायालय-सम्बन्धी विधान.

२१८. संसद् को, सर्वोच्च न्यायालय के संस्थापन, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों के विषय में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है.

किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद् की की शक्ति.

२१९. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् निर्मित विधियों के, अथवा "संघ सूची" में अंकित किसी विषय-सम्बन्धी वर्तमान विधि के अधिक अच्छे प्रशासन के लिये, संसद अपर न्यायालयों के स्थापन का विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है.

उच्च न्यायालयों के संस्थापन और संघटन सम्बन्धी विधान.

२२०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान मंडल को, राज्य के अन्दर अपना मुख्य अधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालय के संस्थापन और संघटन-सम्बन्धी विधि बनाने की, अनन्य शक्ति है.

(२) संसद् को, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य में अपना मुख्य अधिष्ठान रखने वाले उच्च न्यायालय के संस्थापन और संघटन सम्बन्धी विधि बनाने की शक्ति है.

उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियों-सम्बन्धी विधान.

२२१. (१) संघ सूची में अंकित किसी विषय के बारे में, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों सम्बन्धी विधि बनाने की संसद् को अनन्य शक्ति है.

(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान मंडल को, जिस राज्य के अथवा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य अथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "राज्य सूची" में अंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है.

(३) संसद् को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान-मंडल को भी, जिस राज्य के अथवा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य अथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "समवर्ती सूची" में अंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की शक्ति है.

(४) संसद् को, प्रथम अनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य अथवा उस राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र से सम्बद्ध तथा "राज्य-सूची" में अंकित विषय से सम्बद्ध, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति के बारे में विधि बनाने की शक्ति है.

(दीवानी) व्यवहारिक और फौजदारी विषयों में अनुसरणीय कार्यप्रणाली सम्बन्धी विधान.

२२२. संसद् को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, जिस राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य अधिष्ठान स्थित है, उस उच्च न्यायालय द्वारा (दीवानी) व्यवहारिक और फौजदारी विषयों में अनुसरणीय कार्यप्रणाली-सम्बन्धी विधि बनाने की शक्ति है.

अवशिष्ट विधान शक्ति

२२३. (१) संसद् को, ऐसे किसी विषय में जो "समवर्ती सूची" अथवा "राज्य सूची" मे अंकित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है.

(२) ऐसी शक्ति में, ऐसे कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित है जो उन सूचियों में से किसी में निर्दिष्ट नहीं है.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों के सम्बन्ध मे किन्हीं विषयों पर विधि बनाने की संसद् की शक्तियों पर आयन्त्रण.

२२४. इस संविधान के अनुच्छेद २१७ के खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) संसद् को, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य अथवा राज्य-समूह के डाक तथा तार सम्बन्धी किसी अधिकार के विषय में जो इस संविधान की प्रारम्भ तिथि को विद्यमान थे, विधि बनाने की शक्ति न होगी जब तक कि वह अधिकार भारत-शासन और उस राज्य अथवा राज्य-समूह के मध्य संविदा से अन्त न हो जाए अथवा भारत शासन द्वारा अवाप्त न कर लिया जाए:

पर इस खंड की कोई बात, संसद् को, उस राज्य अथवा राज्य समूह में डाक और तार को आनियमन अथवा वश में करने के लिये कोई विधि बनाने से न रोकेगी ;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में टेलीफोन, वायरलेस, आकाश-वाणी (ब्रॉडकास्टिंग), और इस प्रकार संचार के अन्य रूपों के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति, उनके आनियमन और वशीकरण तक ही विस्तृत होगी ;

(ग) निगमों के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति में, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में रहने वाले और केवल उस राज्य के भीतर व्यापार करने वाले निगमों के निगमन, आनियमन तथा समापन के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति का समावेश न होगा.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों के लिय विधि बनाने की शक्ति का विस्तार.

२२५. इस अध्याय में, किसी बात के होते हुए भी, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य अथवा राज्य-समूह के लिये विधि बनाने की संसद् की शक्ति, उस सम्बन्ध में उस राज्य अथवा राज्य-समूह और भारत-शासन के मध्य की गई संविदा के अभिसमयों और उस में स्थित परिसीमाओं के अधीन रहेगी.

राष्ट्रीय हित में "राज्यसूची" में के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति.

२२६. इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य-परिषद् ने, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि, राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक अथवा उपयुक्त है कि संसद्, "राज्य-सूची" में अंकित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनावे, तो संसद् के लिये उस विषय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण भारत-राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये, विधि बनाना वैध होगा.

जब सद्यस्कृत्य-स्थिति घोषणा प्रवृत्त है तब "राज्य सूची" में के विषयों के संबंध में विधि बनाने की, संसद् की शक्ति.

२२७. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, जब तक सद्यस्कृत्य स्थिति की घोषणा का प्रवर्तन है, सम्पूर्ण भारत राज्यक्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिये, "राज्यसूची" में अंकित विषयों में से किसी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति होगी.

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद् सद्यस्कृत्य स्थिति घोषणा के अभाव में बनाने में समर्थ न होती, घोषणा के प्रवर्तन काल की समाप्ति के पश्चात् छः मास की अवधि बीतने पर, असमर्थता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त प्रभावहीन होगी जो उस अवधि बीतने के पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई.

अनुच्छेद २२६ और २२७ के के अधीन संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधियों में असंगति.

२२८. इस संविधान के अनुच्छेद २२६ तथा २२७ में दी हुई कोई भी बात, किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की किसी शक्ति को, जो इस संविधान के अधीन उसे प्राप्त है, संकुचित न करेगी, परन्तु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई प्रावधान, संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् उक्त दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की अधिकारी है, किसी प्रावधान के विरुद्ध है तो संसद् द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो, और राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि, विरोध की मात्रा तक प्रभावहीन तब तक होगी जब तक कि संसद् द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे.

एक या अधिक राज्यों के लिये उनकी संमति से विधि बनाने की सँसद् की शक्ति और ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अभिग्रहण

२२९. (१) यदि किसी एक अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंडल अथवा विधान-मंडलों को यह इष्ट दीखे कि, उन विषयों में से, जिनके संबंध में संसद् को, अनुच्छेद २२६ और २२७ के प्रावधानों के अतिरिक्त, उस राज्य अथवा उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का आनियमन उस राज्य या उन राज्यों में संसद्, विधि द्वारा करे और उस राज्य के अथवा उन राज्यों में से प्रत्येक के विधान-मंडल के आगार ने अथवा जहां दो आगार हों वहां दोनों आगारों ने तदर्थ संकल्प अथवा संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय को तदनुकूल आनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये वैध होगा, और इस प्रकार पारित कोई अधिनियम उस राज्य अथवा उन राज्यों को लागू होगा और किसी अन्य राज्य को लागू होगा जो, एतत्पश्चात् अपने विधान-मंडल के आगार अथवा जहां दो आगार हों, तो दोनों आगारों से एतदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसका अभिग्रहण करे.

(२) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम, इसी प्रकार पारित या अभिगृहीत संसदाधिनियम से संशोधित या विखंडित किया जा सकेगा, परन्तु किसी राज्य के संबंध से जहां कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम से संशोधित या विखंडित न किया जा सकेगा.

अन्तारराष्ट्रीय संविदाओं के पालनार्थ विधान.

२३०. इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी रहते हुए संसद् को किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ की हुई किसी संधि, संविदा अथवा संप्रतिज्ञा के सम्पालनार्थ, किसी राज्य अथवा उसके भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है.

संसद् द्वारा निर्मित और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असगति

२३१. (१) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा (बनाई हुई) निर्मित विधि का कोई प्रावधान यदि, संसद् द्वारा (बनाई हुई) निर्मित विधि के, जिसे संसद् अधिनियमित करने को समर्थ है, किसी प्रावधान के, अथवा किसी ऐसे विषय की वर्तमान विधि के किसी प्रावधान के विरुद्ध है जिसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद् को है, तो इस अनुच्छेद के खंड(२)के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद् द्वारा (बनाई हुई) निर्मित विधि, चाहे वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा (बनाई हुई) निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि, जैसी भी स्थिति हो, अभिभावी होगी, और उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा (बनाई हुई) निर्मित विधि प्रतिविरोध-मात्रा तक शून्य होगी.

(२) जहां, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित, विधि में जिसका संबंध "समवर्ती सूची" में अंकित विषयों में से एक के साथ है, कोई ऐसा प्रावधान हो जो संसद् द्वारा निर्मित पूर्वतन विधि के, या उस विषय से सम्बद्ध किसी वर्तमान विधि के, प्रतिविरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि अभिभावी होगी यदि वह प्रधान के विचारार्थ आरक्षित की गई हो और उसकी सम्मति प्राप्त कर चुकी हो :

पर इस खंड की कोई बात, संसद् को, किसी समय उसी विषय के संबंध में विधि बनाने से नहीं रोकेगी जिसमें ऐसी किसी विधि का भी समावेश है जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का संशोधन, परिवर्तन या विखंडन करे.

विधायिनी शक्तियों पर प्रायंत्रण

अभिस्तावों की अपेक्षाओं को केवल कार्य-प्रणाली के विषय मानना

२३२. संसद् का अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई प्रावधान, केवल इस कारण से कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई अभिस्ताव नहीं दिया गया था, अमान्य न होगा यदि उस अधिनियम को सम्मति दी जा चुकी हो—

(क) शासक अथवा प्रधान द्वारा, जहां अपेक्षित अभिस्ताव शासक का इष्ट था ;

(ख) प्रधान द्वारा, जहां अपेक्षित अभिस्ताव प्रधान का इष्ट था.

अध्याय २—प्रशासन सम्बन्ध

सामान्य

संघ और राज्यों के कर्त्व.

२३३. प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे संसद् द्वारा निर्मित विधियों का तथा उस राज्य में लागू सभी वर्तमान विधियों का पालन सुनिश्चित रहे और संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो कि भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक दीखे.

संघ के प्राधिकार पर रुकावट अथवा उनका विरोध न करने का राज्यों का कर्तव्य.

२३४. (१) प्रत्येक राज्य की अधिशासी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे संघ की अधिशासी शक्ति के प्रयोग में कोई रुकावट अथवा विरोध न हो और संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये आवश्यक दीखे.

(२) संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, राज्य को किसी ऐसे संचार-साधनों की रचना तथा संधारण के लिये निदेश देने तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो :

पर इस अनुच्छेद की कोई बात, राजमार्गों या जल मार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद् की शक्ति को, अथवा ऐसे घोषित राजमार्ग या जल-मार्ग के संबंध में संघ की शक्ति को, अथवा जलबल, थलबल और नभ-बल के कार्यों के संबंध में संचार-साधनों को रचने और संधारण करने की संघ की शक्ति को आयन्त्रण करने वाली नहीं मानी जायेगी.

विशेष अवस्थाओं में राज्यों को अधिकार-प्रदान की संसद् की शक्ति.

२३५. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के शासन की अनुमति से प्रधान, उस शासन को अथवा उसके अधिकारियों को ऐसे विषय संबंधी प्रकार्य, जो संघ की अधिशासी शक्ति में है, प्रतिबन्ध सहित अथवा बिना प्रतिबन्ध के सौंप सकता है.

(२) संसद् द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जो किसी राज्य में लागू होती है, उस राज्य को, अथवा उसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को, शक्तियों का प्रदान और उन पर कर्तव्यों का आरोपण कर सकेगी अथवा शक्ति-प्रदान तथा कर्तव्य-आरोपण करने का प्राधिकार दे सकेगी, चाहे वह विधि ऐसे विषय से संबंध रखती हो जिसके बारे में विधि बनाने की शक्ति उस राज्य के विधान-मंडल को नहीं है.

(३) जहां इस अनुच्छेद के कारण किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रदान अथवा उन पर कर्तव्यों का आरोपण किया गया है, वहां उन अधिकारों और कर्तव्यों के पालन के संबंध में उस राज्य का जो कुछ अधिक व्यय प्रशासन में हुआ हो, उसके लिये भारत-शासन उस राज्य को संविदानुसार धनराशि देगा और संविदा के अभाव में वह धनराशि देगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त विवाचक निश्चय करे.

किन्ही राज्यों में, वैधानिक, अधिशासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण करने की संघ की शक्ति.

२३६. (१) भारत-शासन, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के साथ संविदा करके, परन्तु संघ और उस राज्य के बीच संबंध के विषय में इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस राज्य में निहित किन्हीं अधिशासी, वैधानिक, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण कर सकेगा.

(२) भारत शासन, प्रथम अनुसूची में उस समय अनुल्लिखित रहे किसी भारतीय राज्य के साथ भी उस प्रकार की संविदा कर सकेगा, परन्तु प्रत्येक ऐसी संविदा, उस समय प्रवर्तमान वैदेशिक अधिकारक्षेत्र के प्रयोग संबंधी विधि के अधीन रहेगी तथा उससे शासित होगी.

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में "भारतीय राज्य" का अर्थ है कोई राज्यक्षेत्र जिसे प्रधान ऐसे राज्य के रूप में स्वीकार करता है परन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं है.

(३) यदि इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुसार किसी राज्य के साथ की गई संविदा, किसी ऐसे विषय के लिये प्रावधान करती है, जिसके संबंध में, उस राज्य के साथ इस संविधान के अनुच्छेद २३७ के अनुसार, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन द्वारा की गई संविदा में पहिले ही प्रावधान है तो पूर्वोल्लिखित संविदा के हो जाने की तिथि से उत्तरोल्लिखित संविदा जहां तक उसमें ऐसे विषय का प्रावधान है, खंडित और प्रभावहीन मानी जायेगी.

(४) संघ और प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुसार संविदा हो जाने पर—

(क) संघ की अधिशासी शक्ति का प्रसार, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के लिये होगा;

(ख) संसद को, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में, विधि बनाने की शक्ति होगी; और

(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इस संविधान के अनुच्छेद ११४ के खंड (२) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उस संविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा.

प्रथम अनुसूची के भाग ३ में के राज्यों में, वैधानिक, अधिशासी, अथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण करने की, प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की शक्ति.

२३७. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन को, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के साथ तदर्थ की हुई संविदा द्वारा कोई वैधानिक, अधिशासी अथवा न्यायिक प्रकार्यों को, जो उत्तरोल्लिखित राज्य में निहित हैं, प्रधान के पूर्व सम्मोदन से, ग्रहण करने का सामर्थ्य होगा.

(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य, और उस अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुसार संविदा हो जाने पर—

(क) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य की अधिशासी शक्ति का प्रसार, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के लिये होगा;

(ख) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य के विधानमंडल को, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति होगी; और

(ग) उक्त अनुसूची के भाग १ में उल्लिखित राज्य के उच्च न्यायालय और अन्य उपयुक्त न्यायालयों को उस संविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार होगा.

सार्वजनिक क्रिया, उल्लेख-पत्र, तथा न्यायिक कार्यवाहियां.

२३८. (१) भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में, संघ की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, उल्लेख-पत्रों, तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जायेगी.

(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) में उल्लिखित कार्यों, उल्लेखपत्रों तथा कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और प्रतिबन्ध, तथा उनके प्रभाव का निश्चयन विधि के प्रावधानों के अनुसार होगा.

(३) भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भाग में दीवानी अदालतों (व्यवहार-न्यायालयों) द्वारा दिये गए अन्तिम-न्यायनिर्णयों अथवा आदेशों का निष्पादन (हुकरसी) उस राज्यक्षेत्र के अन्दर कहीं भी विध्यनुसार हो सकेगा :

पर इस अनुच्छेद के खंड (१) और (३) के प्रावधान, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के सार्वजनिक कार्यों, उल्लेखपत्रों, तथा न्यायिक कार्यवाहियों को, और उस राज्य के व्यवहार-न्यायालयों द्वारा दिये अथवा पारित किये गये अन्तिम न्यायनिर्णय अथवा आदेश को, लागू नहीं होंगे जब तक कि संघ के साथ तदर्थ की गई उस राज्य की संविदा के पदों के अधीन संसद् को, समवर्ती सूची में अंकित प्रविष्टि २, ४ और ५ के विषयों के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति न हो.

जल-प्रदाय में हस्तक्षेप

जल-प्रदाय में हस्तक्षेप की शिकायतें (परिदेवना.)

२३९. यदि प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन को यह दीखे कि, किसी राज्य में स्थित प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के विषय में—

(क) किसी अधिशासी कार्यवाही के किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण ; अथवा

(ख) किसी अधिकारी के अपनी किसी शक्ति के प्रयोग न करने के कारण,

उस राज्य के अथवा उसके निवासियों में से किसी के उस जल-प्रदाय संबंधी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है या पड़ने की संभावना है तो उस राज्य का शासन, प्रधान को शिकायत (परिदेवना) कर सकता है.

परिदेवनाओं के निर्णय.

२४०. (१) यदि प्रधान के पास पूर्वोक्त परिदेवना आए और, यदि वह इस मत का नहीं है कि विवाद ऐसे महत्व का नहीं जिसके लिये इस प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित हो, तो वह, ऐसे व्यक्तियों का एक आयोग (कमीशन) नियुक्त करेगा जिन्हें भूसेचन, अभियन्त्रण, प्रशासन, अर्थ अथवा विधि का, जिसका वह उचित समझे, विशेष ज्ञान है और उस आयोग को, उसे अपने दिये हुए निदेशों के अनुसार अनुसंधान करने और परिदेवना संबंधी विषयों पर अथवा उनमें से किन्हीं ऐसे विषयों पर जिन्हें वह उसे सौंपे, प्रतिवेदन करने के लिये, प्रार्थना करे.

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग, सौंपे हुए विषयों का अनुसंधान करेगा और उपलब्ध तथ्यों का वर्णन करते हुए तथा ऐसे अभिस्ताव करते हुए जिन्हें वह उचित समझे, प्रधान को प्रतिवेदन करेगा.

(३) यदि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने पर, प्रधान को प्रतीत हो कि उस में निहित किसी बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है अथवा आयोग को पहिले न सौंपी हुई किसी बात पर उसको पथप्रदर्शन की आवश्यकता है, तो वह आयोग को आगे अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिये, उस विषय को पुनः सौंप सकता है.

(४) इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त किसी आयोग को, उसे सौंपे हुए किसी विषय के अनुसंधान में सहायता देने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय यदि आयोग उसे तदर्थ प्रार्थना करे तो, आयोग की कार्यवाहियों के लिये ऐसे आदेश निकालेगा जैसे वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिये निकाल सकता है.

(५) आयोग के प्रतिवेदन में, यह अभिस्ताव सम्मिलित रहेगा कि आयोग के व्यय और आयोग के संमुख उपस्थिति के कारण किसी राज्य अथवा किन्हीं व्यक्तियों के लगे हुए परिव्यय किस राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा दिये जायेंगे और इस प्रकार दिये जाने वाले व्यय और परिव्यय की राशि क्या होगी; और इस अनुच्छेद के अधीन प्रधान द्वारा दिए हुए आदेश का, जो व्यय और परिव्यय से संबंध रखता है उसी प्रकार परिपालन किया जायगा मानो कि वह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है.

(६) आयोग द्वारा दिये हुए प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, प्रधान, अनुवर्ती प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रतिवेदन के अनुसार आदेश देगा.

(७) यदि आयोग के प्रतिवेदन का विचार करने पर प्रधान की यह मति हो कि उस में निहित किसी बात में सारवद् विधि-प्रश्न अन्तर्धृत है, तो वह, उस प्रश्न को इस संविधान के अनुच्छेद ११९ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भेज देगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त होने पर, आयोग के प्रतिवेदन से सर्वोच्च न्यायालय के सम्मत न होने की अवस्था में, उस मति के सहित प्रतिवेदन को आयोग के पास लौटायेगा और तब आयोग, उस प्रतिवेदन में ऐसे संपरिवर्तन करेगा जो उसे उस मति के अनुकूल करने में आवश्यक हों और उस प्रकार संपरिवर्तित प्रतिवेदन को प्रधान के समक्ष उपस्थापित करेगा.

(८) इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधान द्वारा दिये गये किसी आदेश को, प्रभावित होने वाले राज्य में कार्यान्वित किया जायेगा और किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो इस आदेश के प्रतिकूल है, प्रतिकूलता की मात्रा तक शून्य होगा.

(९) किसी प्रभावित राज्य के शासन द्वारा प्रधान को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, यदि पूर्वोक्त प्रकार से नियुक्त आयोग ऐसा अभिस्ताव करे तो प्रधान किसी भी समय इस अनुच्छेद के अनुसार दिये हुए आदेश में परिवर्तन कर सकेगा.

प्रथम अनूसूची के भाग २ के राज्यों के जल-प्रदायों में हस्तक्षेप.

२४१. यदि प्रधान को दीखे कि प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में स्थित प्राकृतिक स्रोत के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के विषय में—

(क) किसी अधिशासी कार्यवाही के किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण या किसी विधान के पारित किये जाने अथवा किये जाने की प्रस्थापना के कारण; अथवा

(ख) किसी अधिकारी के अपनी किसी शक्ति के प्रयोग न करने के कारण ;

प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के अथवा ऐसे किसी राज्य के निवासियों में से किसी के उस जलप्रदाय संबन्धी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है या पडने की संभावना है तो वह यदि उचित समझे, तो उस विषय को अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त आयोग को सौंप सकेगा और तब वे प्रावधान उस राज्य पर लागू होंगे मानों कि वह राज्य प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहने के स्थान में भाग १ में उल्लिखित रहा हो और मानों कि उस विषय संबंधी परिदेवना उस राज्य के शासन द्वारा प्रधान को की गई थी.

न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन.

२४२. इस संविधान में कुछ भी रहते हुए, न तो सर्वोच्च न्यायालय को और न किसी अन्य न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के संबंध में कोई कार्यवाही करने अथवा व्यवहार-ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार होगा, जिस विषय के संबंध में, अन्तिम पूर्वगामी तीन अनुच्छेदों में से किसी के अधीन कार्यवाही राज्य के शासन अथवा प्रधान द्वारा की जा सकी होती.

अन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य

व्यापार अथवा वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि अथवा आनियम द्वारा एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य को अधिमान देने अथवा विभेद करने पर प्रतिषेध.

२४३. जल, थल अथवा वायु द्वारा किये जाने वाले व्यापार अथवा वाणिज्य संबंधी किसी विधि अथवा आनियम द्वारा एक राज्य की अपेक्षा दूसरे राज्य को कोई अधिमान न दिया जायेगा और न ही राज्यों के बीच कोई विभेद किया जायेगा.

राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और यातायात पर आयन्त्रण.

२४४. इस संविधान के अनुच्छेद १६ में अथवा अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के लिये यह वैध होगा कि वह—

(क) अन्य राज्यों से आई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर लगावे, जो उस राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित उसी प्रकार की वस्तुओं पर लगता हो परन्तु जिससे इस तरह की प्रविष्ट वस्तुओं और इस प्रकार निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न होता हो ; और

(ख) उस राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य अथवा यातायात स्वातन्त्र्य पर विधि द्वारा ऐसे युक्तियुक्त आयन्त्रण लगाए, जो लोक-हित के लिये अपेक्षित हों :

पर इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) के प्रावधान इस संविधान के अनुच्छेद ३०६ के खण्ड (क) में वर्णित किन्हीं वस्तुओं के व्यापार अथवा वाणिज्य पर लागू न होंगे.

अनुच्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति

२४५. इस संविधान के अनुच्छेद २४३ और २४४ के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिये संसद् विधि द्वारा ऐसा प्राधिकारी नियुक्त करेगी जैसा वह उपयुक्त समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां और ऐसे कर्तव्य प्रदान करेगी, जैसे वह आवश्यक समझे.

राज्यों के बीच सहयोग

अन्ताराज्य परिषद् विषयक प्रावधान.

२४६. यदि किसी समय प्रधान को यह दीखे कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हितों की सेवा होगी, जिस पर —

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उनकी जांच करने और उन पर परामर्श देने ;

(ख) कुछ अथवा समस्त राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्य के पारस्परिक हित से संबद्ध विषयों के अनुसंधान तथा पर्यालोचन करने ; अथवा

(ग) ऐसे किसी विषय पर अभिस्ताव करने, और विशेषतः उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे सहयोग के हेतु अभिस्ताव करने,

का प्रभार हो तो प्रधान के लिये यह वैध होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे और उस परिषद् के द्वारा संपादन किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को और उसके संघटन और कार्य-प्रणाली को, आदेश द्वारा परिभाषित करे.

भाग १०

अर्थ, सम्पत्ति, प्रसंविदा और व्यवहार

अध्याय १.—अर्थ

संघ तथा राज्यों के बीच आगम-विभाजन

निर्वचन.

२४७. इस भाग में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अर्थायोग" से इस संविधान के अनुच्छेद २६० के अनुसार संघटित अर्थायोग अभिप्रेत है ;

(ख) "राज्य" में प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का समावेश नहीं है ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग २ मे उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के निर्देशों में प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र के निर्देशों का, तथा किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के निर्देशों का समावेश होगा जो भारत राज्यक्षेत्र के अन्तर्भूत तो हो, परन्तु उस अनुसूची मे उल्लिखित न हो.

"भारत के आगमों" तथा "राज्य के आगमों" का अर्थ.

२४८. राज्यों को पूर्णतः अथवा अंशतः नियोजित किये हुए कुछ करों और बलियों के शुद्ध उदय के बारे में इस अध्याय के निम्न प्रावधानों के अधीन रहते हुए "भारत के आगमों" इस पद में भारत-शासन द्वारा एकत्रित अथवा प्राप्त, समस्त आगमों और लोक मुद्राओं का समावेश है और "राज्य के आगमों" इस पद में राज्य के शासन द्वारा एकत्रित अथवा प्राप्त समस्त आगमों और लोक-मुद्राओं का समावेश है.

संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा आत्मसात्कृत बलियाँ

२४९. (१) संघसूची में वर्णित मुद्रांक बलियां, तथा भेषजीय और प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद बलियां भारत-शासन द्वारा आरोपित की जावेंगी, परन्तु—

(क) यदि ऐसी बलियां प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के भीतर आरोपणीय हों तो भारत-शासन द्वारा ; और

(ख) अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसी बलियां आरोपणीय हों, उन उन राज्यों द्वारा,

संगृहीत (इकट्ठी) की जाएगी.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में के, किसी ऐसी बलि के उदय, जो बलि उस वर्ष किसी राज्य के भीतर आरोपणीय है, भारत के आगमो के भाग न बनेंगे, किन्तु उस राज्य को नियोजित किये जायेंगे.

संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किन्तु राज्यो को नियोजित कर

२५०. (१) निम्नलिखित बलियां तथा कर भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किये जाएंगे, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के अनुसार राज्यों को नियोजित किये जाएंगे, अर्थात् :—

(क) कृष्य भूमि को छोड कर अन्य सम्पत्ति की उत्तराधिकार विषयक बलियां ;

(ख) कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति विषयक भू-सम्पत्ति बलियां ;

(ग) अयोमार्ग (रेलवे) से अथवा विमान से वाहित वस्तुओं अथवा यात्रियों पर सीमा-कर ;

(घ) अयोमार्ग से मनुष्यों तथा वस्तुओं के भाड़ों पर कर.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में की किसी ऐसी बलि अथवा कर के शुद्ध उदय जहां तक कि वे उदय प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में उपारोपणीय उदय न हों, भारत के आगमों का भाग न बनेंगे, परन्तु उन राज्यों को नियोजित किये जायेंगे जिनके भीतर वह बलि अथवा कर उस वर्ष आरोपणीय हों और वे उदय विधि द्वारा संसद्-निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के अनुसार उन राज्यों में विभाजित किये जावेंगे.

संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत और संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित कर

२५१. (१) कृषि-आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किये जायेंगे और इस अनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विभाजित किये जायेंगे.

(२) किसी आर्थिक वर्ष में के ऐसे किसी कर के शुद्ध उदय का वह प्रतिशत भाग जो विनिहित किया जाये, जहां तक कि वे उदय, प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में उपारोपणीय उदय न हों अथवा संघ-परिलाभों के सम्बन्ध में देय कर न हों, भारत के आगमों का भाग न बनेगा, परन्तु उन राज्यों को नियोजित किया जायगा, जिनके भीतर वह कर उस वर्ष आरोपणीय है और वह उन राज्यों को उस रीति और उस समय से विभाजित किया जायेगा, जो कि विनिहित किया जाये.

(३) इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक आर्थिक वर्ष में आय पर कर के उतने शुद्ध उदय का वह प्रतिशत भाग जो विनिहित किया जावे, जिसमें संघ परिलाभों के सम्बन्ध में शोध्य करों के शुद्ध उदय का समावेश नहीं, वैसा उदय समझा जायेगा, जो प्रथम अनुसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को उपारोपणीय है.

(४) इस अनुच्छेद में—

(क) "आय पर कर" में वह राशि सम्मिलित है, जिसे भारत-शासन ने इस संविधान के अनुच्छेद २६६ के परादिक के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी आय-कर के बदले में आरोपित किया हो, परन्तु उसमें निगम-कर सम्मिलित नहीं है ;

(ख) "विनिहित" का अर्थ है—

(१) जब तक कि अर्थायोग का संघटन न हो चुके, तब तक प्रधान से आदेश द्वारा विनिहित, और

(२) अर्थायोग के संघटन हो चुकने के पश्चात्, अर्थायोग के अभिस्तावों पर विचार कर के प्रधान से आदेश द्वारा विनिहित.

(ग) "संघ-परिलाभों" में भारत के आगमों से दिये जाने वाले वे समस्त परिलाभ तथा उत्तर वेतन सम्मिलित हैं जिनके सम्बन्ध में आय-कर लगना है.

संघ के प्रयोजनों के हेतु कतिपय बलियों तथा करों पर अधिभार.

२५२. इस संविधान के अनुच्छेद २५० तथा २५१ में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट किसी भी बलि अथवा कर में, किसी भी समय संघ के प्रयोजनार्थ अधिभार द्वारा, वृद्धि कर सकेगी और ऐसे किसी अधिभार का समस्त उदय भारत के आगमों का भाग बनेगा.

कर जो संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित हो सकें.

२५३. (१) लवण पर संघ कोई बलि न लगायेगा.

(२) भेषजीय तथा प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसी उत्पादक बलियों को छोड़ कर जो संघ-सूची में वर्णित हैं, संघ-उत्पादक बलियां भारत-शासन द्वारा आरोपित तथा संगृहीत की जायेंगी; परन्तु यदि संसद् विधि द्वारा यह प्रावहित करे, तो बलि आरोपक विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत के आगमों में से, उस बलि के शुद्ध उदय के पूर्ण अथवा किसी अंश के बराबर राशि दी जायेगी, और वे राशियां, उन राज्यों के बीच विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के अनुसार विभाजित की जावेंगी.

सन अथवा सन की बनी वस्तुओं की बलि का विभाजन.

२५४. इस संविधान के अनुच्छेद २५३ में किसी बात के होते हुए भी, सन अथवा सन की बनी वस्तुओं की किसी निष्काम्य बलि के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध उदय का उतना अनुपात, जो संसद् विधि द्वारा निश्चित करे, भारत के आगमों का भाग न बनेगा किन्तु सन के उत्पादन करने वाले राज्यों को विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के अनुसार, नियोजित किया जायेगा :

पर जब तक संसद् इस प्रकार निश्चय न करे, तब तक उन राज्यों को, प्रत्येक वर्ष होने वाले उस बलि के शुद्ध उदय का उतना भाग उन अनुपातों से नियोजित किया जायेगा, जो भारत-शासन अधिनियम, १९३५, के अधीन बनाये हुए और इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवृत्त किसी आदेश द्वारा निश्चित किया जा चुका हो.

कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान.

२५५. ऐसी राशियां, जो संसद् विधि द्वारा प्रावहित करे, उन राज्यों के आगमों के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमों पर प्रति वर्ष प्रभृत होंगी, जिन राज्यों के विषय में संसद् यह निश्चित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है. भिन्न भिन्न राज्यों के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी :

पर प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के आगमों के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमों में से वैसी पूंजी तथा आवर्त्तक राशियां दी जाएँगी, जैसी उस राज्य को उन विकास-योजनाओं के परिव्ययों के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों, जो उस राज्य के अन्तर्गत, अनुसूचित वन-जातियों के कल्याण में अभिवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य ने भारत-शासन के अनुमोदन से आरम्भ की हों :

पर और भी यह कि, आसाम-राज्य के आगम के सहायक अनुदान के रूप में भारत के आगमों में से वैसी पूंजी तथा आवर्त्तक राशियां दी जाएँगी—

(क) जो षष्ठ अनुसूची की कण्डिका १९ से संलग्न सारणी के भाग १ में उल्लिखित वन-जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व तीन वर्ष के आगमों से अधिक जो व्यय उस के माध्य (औसत) के बराबर हों ; और

(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य द्वारा भारत-शासन के अनुमोदन से आरब्ध योजनाओं के परिव्यय के बराबर हों.

व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवा-युक्तियों पर कर.

२५६. (१) इस संविधान के अनुच्छेद २१७ में किसी बात के होते हुए भी, परन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड (२) और (३) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मण्डल को राज्य के लाभार्थ, अथवा उसके अन्तर्गत नगर समिति, मण्डल-गण, स्थानीय गण अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के लाभार्थ व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर करों के विषय में विधियां बनाने की शक्ति होगी.

(२) किसी एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवा-युक्तियों के बारे में उस राज्य को अथवा उसके अन्तर्गत किसी एक नगर-समिति, मण्डल-गण, स्थानीय-गण अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय करों की समस्त राशि प्रति वर्ष दो सौ पचास रुपये से अधिक न होगी :

पर यदि इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व आर्थिक वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी नगर-समिति, गण अथवा प्राधिकारी में व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों अथवा सेवायुक्तियों पर ऐसा कर लागू था जिसकी मात्रा अथवा जिसकी अधिकतम मात्रा दो सौ पचास रुपये से अधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक आरोपणीय रहेगा जब तक कि संसद् विधि द्वारा इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे, और संसद् द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतः अथवा किन्हीं उल्लिखित राज्यों, नगर - समितियों, गणों या प्राधिकारी वर्गों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी.

(३) व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर के विषय में उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति से यह अन्वयन न होगा, कि संसद् को व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों से उपार्जित अथवा उत्पन्न आय पर कर लगाने के लिये विधियां बनाने की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है.

परित्राण.

२५७. जो कर, बलियां, उपकर अथवा शुल्क, इस संविधान से सद्यः पूर्व किसी राज्य के शासन द्वारा, अथवा किसी नगर-समिति अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा उस राज्य, नगर, मण्डल अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनार्थ विध्यनुकूल आरोपित किये जा रहे थे, वे कर, बलियां, उपकर अथवा शुल्क संघ-सूची में वर्णित होने पर भी आरोपणीय रह सकेंगे और उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाए जा सकेंगे जब तक कि संसद् इसके प्रतिकूल प्रावधान न करे.

करों तथा बलियों के आरोपण, संग्रहण और विभाजन के विषय में प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों से संविदा.

२५८. (१) इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए, पर इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संघ प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से उस राज्य के भीतर भारत-शासन द्वारा आरोपणीय किसी कर अथवा बलि के आरोपण तथा संग्रहण के विषय में और उसके उदय के विभाजन के लिये इस अध्याय के प्रावधानों से भिन्न संविदा कर सकेगा, और जब संविदा इस प्रकार कर ली जाय, तो इस अध्याय के प्रावधान ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसी संविदा के अभिसमयों के अधीन रह कर प्रभावी होंगे.

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार की हुई संविदा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि से अधिक के लिये प्रभावी न होगी :

पर प्रधान, ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय ऐसी किसी संविदा को समाप्त अथवा संपरिवर्तित कर सकेगा यदि अर्थायोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् वह ऐसा करना आवश्यक समझे.

'शुद्ध उदय", ग्रादि का ग्णन.

२५९. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में "शुद्ध उदय" से, किसी कर अथवा बलि के सम्बन्ध में, उस उदय से अभिप्राय है जो उसके संग्रहण के परिव्ययों को घटाने के पश्चात् बचे, और उन प्रावधानों के प्रयोजनार्थ किसी क्षेत्र के भीतर अथवा उसको उपारोप्य किसी कर या बलि का अथवा किसी कर या बलि के किसी भाग का शुद्ध उदय भारत के महांकेक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, जिसका प्रमाणपत्र अन्तिम होगा.

(२) किसी अवस्था में जहां, इस संविधान के इस भाग के अधीन, किसी बलि अथवा कर के उदय किसी राज्य को नियोजित किये जाते हैं, अथवा किये जायें तो, उपर्युक्त प्रावधान के और इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान के अधीन रहते हुए, संसद् की बनाई कोई विधि अथवा प्रधान का कोई आदेश, इनबातों का प्रावधान कर सकेगा अर्थात् उदयों की गणना जिस रीति से की जानी है, जिस समय से अथवा जब कोई शोधन किया जाना है, जिस रीति से कोई शोधन किया जाना है, एक आर्थिक वर्ष और दूसरे आर्थिक वर्ष में समायोजन करने का और अन्य कोई आनुषंगिक तथा सहायक बातों का

अर्थायोग.

२६०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर अथवा ऐसे अन्य समय पर जिसे प्रधान आवश्यक समझे, प्रधान आदेश द्वारा एक अर्थायोग संघटित करेगा जिसका एक सभापति और चार अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें प्रधान नियुक्त करेगा.

(२) संसद् विधि द्वारा उन योग्यताओं का जो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिसके अनुसार उनका चुनाव किया जावेगा, निश्चय कर सकेगी.

(३) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अध्याय के अधीन, संघ तथा राज्यों के बीच भाजित होने वाले अथवा हो सकने वाले, करों के शुद्ध उदय के विभाजन के विषय में, तथा ऐसे उदयों के राज्यों के बीच उनके भागों के वितरण के विषय में ;

(ख) भारत के आगमों में से राज्यों को सहायक अनुदान देने में जिन सिद्धान्तों का पालन होना चाहिये, उनके विषय में ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य में भारत-शासन द्वारा आरोपणीय किसी कर अथवा बलि के आरोपण, संग्रहण तथा विभाजन के विषय में संघ तथा उस राज्य के बीच की गई किसी संविदा के अभिसमयों के चालू रखने अथवा संपरिवर्तन करने के विषय में ; और

(घ) सुस्थित अर्थ के हित में प्रधान द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में;

प्रधान को अभिस्तवन करे.

(४) आयोग अपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करेगा और अपने प्रकार्यों के पालन में, उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा उसे प्रदान करे.

अर्थायोग के अभिस्ताव.

२६१. प्रधान, इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों के आधीन अर्थायोग द्वारा किये गए प्रत्येक अभिस्ताव को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक विवरण के सहित, संसद् के समक्ष रखवायेगा.

प्रकीर्ण आर्थिक प्रावधान

भारत के आगमों में से शोध्य व्यय.

२६२. संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान दे सकेगा, यद्यपि वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में संसद् या उस राज्य का विधान-मण्डल, जैसी कि स्थिति हो, विधि बना सकता हो.

लोक-मुद्रा के अभिरक्षण विषयक प्रावधान.

२६३. (१) प्रधान तथा राज्य का शासक नियम बना सकेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो जाये कि भारत के अथवा राज्य के, जैसी कि स्थिति हो, आगमों के लेखे में प्राप्त समस्त मुद्राएँ, उन को छोड़ कर, यदि कोई हों, जिनका उन नियमों में अपवाद उल्लिखित हो, भारत अथवा उस राज्य के लोक-लेखाओं में पटाई जायेंगी और इस प्रकार बनाये हुए नियम विनिधान कर सकेंगे, अथवा विनिधान करनेका अधिकार किसी व्यक्ति को दे सकेंगे, जिससे, उक्त लेखे में मुद्राओं का शोधन, उसमें से मुद्राओं का प्रत्याहार, उसमें की मुद्राओं का अभिरक्षण और पूर्वोक्त बातों से सम्बद्ध अथवा सहायक कोई अन्य विषय के लिये, कार्य-प्रणाली का निर्धारण होगा.

(२) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद्, विधि द्वारा भारत के आगमों के बारे में प्राप्त मुद्राओं के अभिरक्षण का, भारत के लोक-लेखे में उनके शोधन का और ऐसे लेखे में से मुद्राओं के प्रत्याहार का, आनियमन, कर सकेगी, और किसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के आगमों के बारे में प्राप्त समस्त मुद्राओं के अभिरक्षण का, उस राज्य के लोक-लेखे में उनके शोधन का, और ऐसे लेखे में से मुद्राओं के प्रत्याहार का, आनियमन कर सकेगा, और इस अनुच्छेद के अधीन बनाये हुए नियम, ऐसी विधि के प्रावधानों के आधीन रहते हुए प्रभावी होंगे.

कतिपय लोक सम्पत्ति की करारोपण से मुक्ति.

२६४. संघ की सम्पत्ति, जहां तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित न करे, किसी भी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा, आरोपित समस्त करों से मुक्त होगी :

पर जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित न करे, तब तक संघ की सम्पत्ति जो इस संविधान के सद्यः पूर्व इस प्रकार के किसी कर देने के लिये, बाध्य थी, अथवा बाध्य समभी गई थी, वह उस कर को देने के लिये बाध्य रहेगी अथवा बाध्य समभी जाएगी, जब तक कि वह कर चालू है.

विद्युत् पर कर से मुक्ति.

२६५. जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान करे उसको छोड़ कर ऐसी विद्युत् के उपयोग अथवा बिक्री पर (चाहे विद्युत्, शासन द्वारा अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित की जाए) किसी राज्य की कोई विधि कोई कर न लगाएगी और न कर लगाने का प्राधिकार देगी, जो विद्युत्—

(क) भारत-शासन द्वारा उपभोग में लाई जाती है, अथवा भारत-शासन के उपभोग के हेतु उस शासन को बेची जाती है ; अथवा

(ख) किसी संघ अयोमार्ग (रेलवे) के निर्माण, संधारण, अथवा संचालन में, उस शासन द्वारा, अथवा उस अयोमार्ग को संचालन करने वाले किसी अयोमार्ग-प्रमण्डल द्वारा, उपयोग में लाई जाती हो अथवा उस शासन को अथवा वैसे किसी अयोमार्ग-प्रमण्डल को किसी संघ अयोमार्ग के निर्माण, संधारण, अथवा संचालन में उपभोग के लिये बेची जाती है,

और, विद्युत् की बिक्री पर करारोपण करने वाली अथवा करारोपण का प्राधिकार देने वाली ऐसी कोई विधि इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भारत-शासन को उसके उपभोग के लिये, अथवा ऐसे किसी अयोमार्ग प्रमण्डल को किसी संघ अयोमार्ग के निर्माण, संधारण अथवा संचालन में उपभोग के लिये बेची जाने वाली विद्युत् का मूल्य, प्रचुर मात्रा में विद्युत् का उपभोग करने वालों से लिये जाने वाले मूल्य से उतना कम होगा जितनी कि कर की राशि है.

राज्य के शासनों की संघ-कर से मुक्ति.

२६६. जो एतत्पश्चात् प्रावहित है उस के अधीन रहते हुए, भारत-राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत भूमियों अथवा भवनों के बारे में, अथवा भारत-राज्यक्षेत्र में उपार्जित, उत्पन्न अथवा प्राप्त आय के बारे में किसी राज्य के शासन पर कोई संघ-कर न लगाया जायगा :

पर—

(क) जहां किसी राज्य के शासन द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार का वाणिज्य अथवा व्यापार किया जाता हो तो, इस अनुच्छेद की किसी बात से उस शासन को, उस वाणिज्य या व्यापार के बारे में, अथवा उससे सम्बद्ध किन्हीं संचालनों के बारे में, अथवा उसके सम्बन्ध से उत्पन्न किसी आय पर, अथवा उसके प्रयोजनों के हेतु धारण की हुई किसी सम्पत्ति पर, किसी संघ-कर से, अथवा उस कर के बदले आरोपित किसी राशि से, मुक्ति न मिलेगी ;

(ख) इस अनुच्छेद की किसी बात से, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के नरेश को, ऐसी भूमि, भवन या आय के बारे में जो उसकी वैयक्तिक सम्पत्ति हैं, अथवा वैयक्तिक आय के बारे में किसी संघ-कर से मुक्ति न मिलेगी.

व्याख्या.—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी राज्य के शासन के साधारण प्रकार्यों के आनुषंगिक संचालनों को, जैसे कि किसी राज्य-शासन के नियन्त्रणाधीन वन की वनोत्पत्ति की बिक्री अथवा किसी राज्य के अन्तर्गत किसी कारागार में उत्पादित किसी वस्तु की बिक्री को, उस राज्य के शासन द्वारा अथवा उसकी ओर से चलाया गया वाणिज्य अथवा व्यापार न समझा जाएगा.

कतिपय व्ययों तथा उत्तर वेतनों के विषय में समायोजना.

२६७. जहां इस संविधान के प्रावधानों के अधीन किसी न्यायालय अथवा आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व, भारत में ब्रिटिशसम्राट् के अधीन सेवा की है, उसे अथवा उसके बारे में दिये जाने वाले उत्तर वेतन, भारत के आगमों पर अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के आगमों पर प्रभार हैं, तो—

(क) भारत के आगमों पर प्रभार होने की अवस्था में, यदि वह न्यायालय अथवा आयोग इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य की किन्हीं पृथक् आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्ति ने ऐसे राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः अथवा अंशतः सेवाएँ की हों ; अथवा

(ख) इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य के आगमों पर प्रभार होने की अवस्था में, यदि वह न्यायालय अथवा आयोग, संघ की अथवा इस प्रकार उल्लिखित किसी अन्य राज्य की पृथक् आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, अथवा उस व्यक्ति ने संघ अथवा ऐसे अन्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः अथवा अंशतः सेवाएँ की हों,

तो, यथास्थिति उस राज्य के आगमों पर अथवा, भारत के या अन्य राज्य के आगमों पर, व्यय-सम्बन्धी या उत्तर वेतन सम्बन्धी उतना अंशदान, प्रभृत होगा और उन आगमों से दिया जायगा जितना कि समझौता हो, अथवा संविदा के अभाव में उतना अंशदान जितना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त विवाची निश्चित करे.

अध्याय २.—उद्धारग्रहण

भारत-शासन द्वारा उद्धार-ग्रहण.

२६८. संघ की अधिशासी शक्ति, भारत के आगमों की प्रतिभूति पर, यदि कोई सीमाएँ हों तो उन सीमाओं के भीतर, उद्धारग्रहण तक विस्तृत है जिन्हें संसद् समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सीमाओं के भीतर, यदि कोई सीमाएँ हों, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत है जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये.

राज्यों द्वारा उद्धारग्रहण.

२६९. (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की अधिशासी शक्ति, उस राज्य के आगमों की प्रतिभूति पर, यदि कोई सीमाएँ हों तो, उन सीमाओं के भीतर, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उद्धारग्रहण तक विस्तृत है, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मण्डल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, और उन सीमाओं के भीतर यदि कोई सीमाएँ हों, प्रत्याभूति देने तक वह शक्ति विस्तृत है जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए.

(२) भारत-शासन, उन प्रतिबन्धों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें लगाना वह उचित समझे, प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को उधार दे सकता है, अथवा जहां तक अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अनुसार निश्चित किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन न होता हो वहां तक, ऐसे किसी राज्य के द्वारा उठाये गये ऋण के बारे में प्रत्याभूति दे सकता है और जो राशियां ऐसे उधार देने के हेतु आवश्यक हों, वे भारत के आगमों पर प्रभृत होंगी.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य, भारत-शासन की सहमति के बिना कोई ऋण न उठा सकेगा, यदि भारत-शासन द्वारा अथवा उसके पूर्वाधिकारी शासन द्वारा, दिये हुए अथवा प्रत्याभूत किये हुए उस राज्य के किसी ऋण का कोई अंश उस समय तक देना रहा है.

इस खण्ड के अनुसार सहमति उन प्रतिबन्धों के साथ, यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत-शासन आरोपण करना उचित समझे.

अध्याय ३.—सम्पत्ति, प्रसंविदा, देय और व्यवहार

परिसम्पत्तियों तथा ऋणों, अधिकारों तथा देयों पर उत्तराधिकार.

२७०. इस संविधान के प्रारम्भ काल से, भारत-शासन, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य का शासन, क्रमशः भारत-अधिराज्य शासन की, और तत्स्थानी शासकों के प्रान्तों की, समस्त सम्पत्ति, परिसम्पत्ति और देयों के, उत्तराधिकारी किसी ऐसी समायोजना के प्रतिबन्ध के साथ, होंगे, जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व, पाकिस्तान अधिराज्य के बनने अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के बनने के कारण की गई हो, अथवा की जाने वाली हो.

उत्तराधिकारी के अभाव, व्यपगम अथवा स्वामिहीनत्व से उद्भूत सम्पत्ति.

२७१. प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर, भारत के राज्यक्षेत्र में जो कोई सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में व्यपगम से अथवा वैधस्वामी के अभाव में सम्राट् को प्राप्त हुई होती यदि यह संविधान प्रवर्त्तन में न आया होता, तो एतत्पश्चात् आने वाले परादिक के अधीन रहते हुए वह सम्पत्ति यदि प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में स्थित हो तो वह उस राज्य के प्रयोजनार्थ ऐसे राज्य के शासन में, और किसी अन्य अवस्था में संघ के प्रयोजनार्थ भारत-शासन में, निहित होगी :

पर यदि कोई सम्पत्ति, जो उस तिथि को, जब कि वह इस प्रकार सम्राट् को प्राप्त हुई होती भारत-शासन के अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के धारण अथवा नियन्त्रण में थी, तो यदि उसका जिन प्रयोजनों के लिये उस समय धारण अथवा नियन्त्रण किया जाता था, वे प्रयोजन संघ सम्बन्धी थे तो वह भारत-शासन के प्रयोजनार्थ संघ में निहित होगी और यदि वे प्रयोजन वैसे उल्लिखित किसी राज्य सम्बन्धी थे तो वह उस राज्य के शासन के प्रयोजनार्थ उस राज्य में निहित होगी.

सम्पत्ति के अवापन की शक्ति.

२७२. (१) संघ की, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य की, अधिशासी शक्ति, समुचित विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन रहते हुए, स्थिति के अनुसार, संघ अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनार्थ धारण की हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, बिक्री, व्यवस्थाकरण अथवा प्राधि तक विस्तृत होगी, और क्रमशः उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के क्रय अथवा अवाप्ति, तथा प्रसंविदाकरण तक, विस्तृत होगी.

(२) संघ के, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के, प्रयोजनार्थ अवाप्त समस्त सम्पत्ति, स्थिति के अनुसार, संघ में अथवा ऐसे किसी राज्य में निहित होगी.

प्रसंविदाएँ.

२७३. (१) संघ की, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य की अधिशासी शक्ति के पालन में की गई समस्त प्रसंविदाएँ, स्थिति के अनुसार, प्रधान द्वारा अथवा उस राज्य के शासक द्वारा की गई कही जावेंगी और वे समस्त प्रसंविदाएँ तथा सम्पत्ति के प्रगोप, जो उस शक्ति के पालन में किये जाएँ, प्रधान अथवा शासक की ओर से उन व्यक्तियों द्वारा और उस रीति के अनुसार लिखे जाएँगे जैसा वह निदेश दे अथवा अधिकार दे.

(२) न तो प्रधान और न किसी राज्य का शासक इस संविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत-शासन विषयक एतत्पूर्व प्रवर्तित किसी अधिनियम के प्रयोजनों के हेतु, की अथवा लिखी गई किसी प्रसंविदा अथवा प्रगोप के बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्ति ही इसके बारे में वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी की ओर से ऐसी प्रसंविदा अथवा प्रगोप किया अथवा लिखा हो.

व्यवहार तथा कार्यवाहियां.

२७४. (१) भारत-शासन के नाम से, भारत-शासन व्यवहार ला सकेगा अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के शासन के नाम से, वह राज्य-शासन व्यवहार ला सकेगा अथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा, और इस संविधान से प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, संसद् द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा,

जो अधिनियम बनाया जाय उस के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वे अपने अपने कारबार के बारे में, उसी प्रकार व्यवहार ला सकेंगे अथवा उनके विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत-अधिराज्य तथा तत्स्थानी प्रान्त व्यवहार ला सके होते अथवा उनके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सका होता, यदि इस संविधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता.

(२) यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि को—

(क) कोई ऐसी वैध कार्यवाहियां लम्बित हैं जिनमें भारत-अधिराज्य, एक पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त अधिराज्य के स्थान में भारत-शासन समझा जावेगा ;

(ख) कोई ऐसी वैध कार्यवाहियां लम्बित हैं जिनमें कोई प्रान्त एक पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा जावेगा.

भाग ११

सद्यस्कृत्यस्थिति प्रावधान

सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा.

२७५. (१) यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि गम्भीर सद्यस्कृत्यस्थिति विद्यमान है, जिससे भारत की निश्शंकता आशंका (संकट) में है चाहे युद्ध से चाहे आन्तरिक हिंसा से, तो वह उद्घोषणा द्वारा तदर्थ घोषणा कर सकेगा.

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार निकाली गई उद्घोषणा (जिसे इस संविधान में "सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा" नाम से निर्देश किया है)—

(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा खण्डित की जा सकेगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखी जाएगी ;

(ग) छः मास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हो जायेगी, यदि वह उस अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद् के दोनों आगारों के संकल्पों द्वारा अनुमोदित न की जा चुकी हो.

(३) सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा, जो घोषित करती है कि भारत की निश्शंकता पर युद्ध अथवा आन्तरिक हिंसा से आशंका है, वह, वास्तविक युद्ध अथवा ऐसी किसी हिंसा के होने से पूर्व भी की जा सकेगी, यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि युद्ध अथवा हिंसा का भय तुरन्त है.

सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा का प्रभाव.

२७६. जहाँ सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) संघ की अधिशासी शक्ति किसी राज्य को यह निदेश देने तक विस्तृत होगी कि उस की अधिशासी शक्ति किस रीति से प्रयुक्त की जानी है ;

(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में संसद् के विधि बनाने की शक्ति में वैसी विधियां बनाने की शक्ति का भी समावेश होगा जिसके अनुसार उस विषय के सम्बन्ध में भारत-शासन को अथवा भारत-शासन के अधिकारियों और प्राधिकारियों को, शक्तियां दी जाएँ और उन पर कर्तव्य लगाए जाएँ, अथवा शक्ति देने और कर्तव्य लगाने का प्राधिकार दिया जाए.

जिस कालावधि में सद्यस्कृत्यस्थिति की घोषणा प्रवर्तन में है, उसमें आगम-विभाजन सम्बन्धी प्रावधानों का प्रयोग.

२७७. सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में प्रधान, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि, उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तनशून्य होने वाले आर्थिक वर्ष की समाप्ति से किसी अवस्था में, परे विस्तृत न हो और जो उस आदेश में उल्लिखित की जाए, इस संविधान के अनुच्छेद २४९ से २५९ के समस्त अथवा कोई प्रावधान ऐसे अपवादों अथवा संपरिवर्तनों के साथ प्रभावी होंगे, जिन्हें प्रधान उचित समझे.

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों में सांवैधानिक तन्त्र के असफल हो जाने की अवस्था में प्रावधान

२७८. (१) इस संविधान के अनुच्छेद १८८ के अनुसार किसी राज्य के शासक द्वारा निकाली गई उद्घोषणा के प्राप्त होने पर, यदि प्रधान को समाधान हो जावे कि ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानानुसार नहीं चलाया जा सकता तो प्रधान उद्घोषणा द्वारा——

(क) उस राज्य के शासन के समस्त अथवा किसी प्रकार्य को तथा उस राज्य के शासक में निहित अथवा उस राज्य के विधान-मण्डल से भिन्न किसी निकाय अथवा प्राधिकारी में निहित, अथवा उनके द्वारा प्रयोज्य, समस्त या किसी शक्ति को स्वयं धारण कर सकेगा ;

(ख) घोषित कर सकेगा कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां केवल संसद् द्वारा ही प्रयोज्य होंगी ;

और ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे आनुषंगिक और समनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे जो उस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिये प्रधान को आवश्यक अथवा वाञ्छनीय दीखें. इनमें वे भी प्रावधान सम्मिलित होंगे जो उस राज्य के किसी निकाय अथवा प्राधिकारी सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों के प्रवर्तन को पूर्णतः अथवा अंशतः निलम्बन करें :

पर इस खण्ड की कोई बात प्रधान को यह प्राधिकार न देगी कि वह किसी उच्च न्यायालय में निहित अथवा उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति को स्वयं धारण कर ले अथवा उच्च न्यायालय-विषयक इस संविधान के किसी प्रावधान के प्रवर्तन का या तो पूर्णतः या अंशतः निलम्बन करे.

(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा खंडित अथवा परिवर्तित की जा सकेगी.

(३) इस अनुच्छेद के अनुसार की हुई उद्घोषणा——

(क) संसद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखी जाएगी ;

(ख) पूर्ववर्ती उद्घोषणा को खण्डित करने वाली उद्घोषणा यदि नहीं है तो, छः मास की समाप्ति पर प्रवर्तनशून्य हो जाएगी :

पर, यदि और जब जब, ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तन को चालू रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प, संसद् के दोनों आगारों से पारित किया जाता है, तो और तब तब वह उद्घोषणा, यदि खंडित न हो गई हो तो, उस तिथि से आगे बारह मास की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी, जब कि इसके अभाव में, वह इस खण्ड के अनुसार प्रवर्तनशून्य हो जाती, परन्तु ऐसी कोई भी उद्घोषणा किसी भी अवस्था में तीन वर्ष से अधिक के लिये प्रभावी न रहेगी.

(४) जहां, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार की हुई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां केवल संसद् द्वारा ही प्रयोज्य होंगी तो——

(क) संसद् को क्षमता होगी कि वह विधि बनावे जिससे भारत-शासन को अथवा भारत-शासन के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की जायें और कर्तव्य लगाए जावें, अथवा शक्ति प्रदान करने और कर्तव्य के लगाने का प्राधिकार प्रदान किया जाए

(ख) प्रधान को क्षमता होगी कि वह, उस समय को छोड कर जब कि संसद् के दोनों आगारों का सत्र चालू है, इस संविधान के अनुच्छेद १०२ के अधीन अध्यादेशों का प्रवर्तन करे.

(५) संसद् द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे बनाने की क्षमता संसद् को न हुई होती यदि इस अनुच्छेद के अनुसार उद्घोषणा न हुई होती, उस उद्घोषणा के प्रवर्तनशून्य होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों को छोड कर प्रभावशून्य होगी जो उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व की गई थीं अथवा जिनका करना छोडा गया था, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि इस प्रकार प्रभावशून्य होने वाले प्रावधानों को पहिले से ही उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा विखंडित, अथवा परिवर्तन कर के या बिना परिवर्तन के पुनरधिनियमित, किया जा चुका हो.

सद्यस्कृत्य-स्थिति की अवधि में अनुच्छेद १३ के प्रावधानों का निलम्बन.

२७९. जब तक सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब तक (सद्यस्कृत्यस्थिति के प्रवर्तनकाल में) इस संविधान के भाग ३ के अनुच्छेद १३ की किसी बात से, उस भाग में परिभाषित राज्य की, किसी ऐसी विधि बनाने अथवा अधिशासी कार्यवाही करने की शक्ति पर, संकोचन न होगा जिसे वह राज्य बनाने अथवा करने के लिये अन्यथा क्षम था.

सद्यस्कृत्य-स्थिति की अवधि में अनुच्छेद २५ द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का निलम्बन.

२८०. जहां सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, वहां प्रधान आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २५ के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार ऐसे आदेश में उल्लिखित ऐसी अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे, जो उस उद्घोषणा के प्रवर्तनशून्य होने के पश्चात् छः मास की अवधि से परे विस्तृत न हो सकेगी.

भाग १२

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय १.—सेवाएं

निर्वचन.

२८१. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" शब्द से अभिप्राय, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य से है.

संघ अथवा राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं के प्रतिबन्ध.

२८२. (१) इस अनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियमों द्वारा संघ अथवा किसी राज्य के प्रकार्यों से संबद्ध लोकसेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती का और सेवा के प्रतिबन्धों का, आनियमन किया जा सकेगा.

(२) जो व्यक्ति किसी असैनिक सेवा को करता हो, या भारत-शासन अथवा किसी राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध किसी असैनिक पद पर हो, वह निकाला, हटाया अथवा अपने पद से उतारा न जाएगा, जब तक कि उसे अपने बारे में की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दिया जा चुका हो :

पर यह खण्ड लागू न होगा—

(क) यदि कोई व्यक्ति वैसे आचरण के आधार पर निकाला, हटाया या अपने पद से उतारा गया हो, जिसके फलस्वरूप उसे दण्डारोप में दोष प्रमाणित किया गया हो ; अथवा

(ख) जिस प्राधिकारी को, किसी व्यक्ति के निकालने, हटाने अथवा पद से उतारने का प्राधिकार प्राप्त हो, उसे यदि किसी कारण से, जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जावे कि यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं कि उस व्यक्ति को कारण बताने का अवसर दिया जाए.

अन्तर्वर्ती प्रावधान.

२८३. जब तक इस संविधान के अधीन कोई दूसरा प्रावधान न किया जाए, तब तक जो नियम, इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व प्रवर्तमान थे और किसी ऐसी लोकसेवा अथवा पद के लिये लागू थे जो इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् संघ अथवा किसी राज्य के अधीन सेवा अथवा पद के रूप में विद्यमान हों, तो वे नियम वहां तक प्रवर्तमान रहेंगे जहां तक कि इस संविधान के प्रावधानों से वे संगत हों.

अध्याय २.—लोक-सेवा-आयोग

संघ और राज्यों के लिये लोक-सेवा-आयोग.

२८४. (१) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ के लिये एक लोक-सेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा-आयोग होगा.

(२) दो अथवा अधिक राज्य यह संविदा कर सकेंगे—

(क) कि राज्यों के उस समूह के लिये एक लोक-सेवा-आयोग होगा ; अथवा

(ख) कि उनमें से एक राज्य का लोक-सेवा-आयोग उन सब राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ;

और ऐसी किसी संविदा में वैसे आनुषंगिक और समनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे जो उस संविदा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के हेतु आवश्यक अथवा वाञ्छनीय दीखें, और ऐसी संविदा होने की अवस्था में कि राज्यों के किसी समूह के लिये एक आयोग हो तो, संविदा में यह भी उल्लेख रहेगा कि, इस संविधान के इस भाग के अनुसार किसी राज्य के शासक द्वारा किये जाने वाले प्रकार्यों का सम्पादन किस शासक अथवा किन शासकों द्वारा किया जायेगा.

(३) यदि किसी राज्य का शासक, संघ के लोक-सेवा-आयोग से इस प्रकार प्रार्थना करे तो वह सेवा-आयोग प्रधान के अनुमोदन से उस राज्य की समस्त अथवा किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये राजी हो सकेगा.

(४) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तो इस संविधान में संघ के लोक-सेवा-आयोग के अथवा किसी राज्य के लोक-सेवा-आयोग के निर्देशों में उस आयोग का अन्वयन किया जायेगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे में संघ की अथवा उस राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो.

आयोगों की रचना और कर्मचारि-वर्ग.

२८५. (१) संघ के लोक-सेवा-आयोग के सभापति और अन्य सदस्यों को प्रधान स्वविवेक से नियुक्त करेगा, और किसी राज्य के लोक-सेवा-आयोग के सभापति और अन्य सदस्यों को उस राज्य का शासक स्वविवेक से नियुक्त करेगा:

पर प्रत्येक लोक-सेवा-आयोग के कम से कम आधे सदस्य वैसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी अपनी नियुक्ति की तिथियों को या तो भारत-शासन के अधीन अथवा किसी राज्य के शासन के अधीन किसी पद पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना में, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की वह अवधि भी सम्मिलित होगी, जिसमें कोई व्यक्ति राजसत्ता के अधीन किसी पद पर रह चुका हो.

(२) संघ के आयोग के लिये प्रधान और किसी राज्य के आयोग के लिये उस राज्य का शासक स्वविवेक से आनियम द्वारा—

(क) आयोग के सदस्यों की संख्या, उनके पद के कार्यकाल तथा सेवा के प्रतिबन्ध निश्चित कर सकेगा ; और

(ख) आयोग के कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी सेवा के प्रतिबन्धों के विषय में प्रावधान बना सकेगा.

(३) पद से अलग हो जाने पर—

(क) संघ के आयोग का सभापति न तो भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के अधीन आगे और नियुक्ति का पात्र होगा ;

(ख) किसी राज्य के आयोग का सभापति, संघ के आयोग का सभापति अथवा सदस्य, अथवा अन्य राज्य के आयोग का सभापति नियुक्त होने का पात्र होगा, परन्तु न तो वह भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के अधीन किसी अन्य नियुक्ति का पात्र होगा ;

(ग) संघ के अथवा किसी राज्य के आयोग का कोई अन्य सदस्य, राज्य के प्रकार्यों-सम्बन्धी किसी नियुक्ति के लिये उस राज्य के शासक के, और किसी अन्य नियुक्ति के लिये प्रधान के, अनुमोदन के बिना, न तो भारत-शासन के अधीन और न किसी राज्य के शासन के अधीन किसी अन्य नियुक्ति का पात्र होगा.

लोक-सेवा-आयोगों के प्रकार्य.

२८६. (१) संघ के तथा राज्य के लोक-सेवा-आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह क्रमशः संघ-सेवाओं और राज्य-सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे.

(२) यदि कोई दो अथवा अधिक राज्य-संघ लोक-सेवा-आयोग से ऐसी प्रार्थना करें, तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों को किन्हीं ऐसी सेवाओं के लिये संयुक्त भर्ती की योजनाएँ बनाने और प्रवर्तन करने में सहायता दे, जिनके लिये विशेष योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं.

(३) प्रधान, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ के प्रकार्यों से सम्बद्ध अन्य सेवाओं और पदों के बारे मे भी, और शासक राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध अन्य सेवाओं और पदों के बारे में ऐसे आनियम बना सकेगा जिनमे उन विषयों का निर्देश होगा जिनमें या तो सामान्यतः, अथवा जिनके किसी विशेष वर्ग अथवा किसी विशेष परिस्थिति मे, लोक-सेवा-आयोग से परामर्श लेना आवश्यक न होगा, परन्तु इस प्रकार बनाये हुए आनियमों के और अगले उत्तरवर्ती खण्ड के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संघायोग से, अथवा स्थिति के अनुसार, उस राज्यायोग से—

(क) असैनिक सेवाओं और पदों की भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर ;

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने, पदोन्नति करने, एक सेवा से दूसरी सेवा में परिवर्तन करने, और अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा परिवर्तन की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर ;

(ग) भारत-शासन अथवा किसी राज्य-शासन के अधीन असैनिक पद पर सेवा करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त अनुशासन-विषयों पर, जिनमें ऐसे विषयों से सम्बद्ध प्रार्थना-पत्र अथवा याचना-पत्र भी सम्मिलित हैं ;

(घ) जो व्यक्ति भारत-शासन या किसी राज्य-शासन के अधीन या सम्राट के अधीन असैनिक पद पर सेवा कर रहा हो अथवा कर चुका हो, उसने अपने कर्तव्य पालन में, या कर्तव्य पालन के अभिप्राय से जो कार्य किये उनके बारे में उसके विरुद्ध जो वैधिक कार्यवाहियां की गई उनके प्रतिकार में उसको जो व्यय हुआ वह व्यय भारत के आगमों से अथवा, स्थिति के अनुसार, उस राज्य के आगमों से दिया जाना चाहिये इस प्रकार के दावे पर जो उसने किया है या उसके सम्बन्ध में किया गया है ;

(ङ) भारत-शासन अथवा राज्य-शासन के अधीन अथवा सम्राट के अधीन असैनिक पद पर सेवा करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने के बाबत उत्तर-वेतन मिलने के दावे पर, और इस प्रकार दी जाने वाली राशि के किसी प्रश्न पर,

परामर्श करना होगा और लोक-सेवा-आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार निर्दिष्ट किसी विषय पर अथवा किसी ऐसे अन्य विषय पर परामर्श दे जिसे प्रधान अथवा, स्थिति के अनुसार, शासक सेवा-आयोग को भेजे.

(४) इस अनुच्छेद की कोई बात इसके लिये अपेक्षा (बाध्य) न करेगी कि, *संघ अथवा किसी राज्य के भिन्न भिन्न समुदायों के बीच नियुक्तियों और पदों का विभाजन किस रीति के अनुसार किया जाये,* इसके बारे में लोक-सेवा-आयोग से, *परामर्श किया जाय.*

लोक-सेवा-आयोग के प्रकार्यों में विस्तार करने की शक्ति.

२८७. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद् द्वारा अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाये अधिनियम में यह प्रावधान हो सकेगा कि संघ-लोक-सेवा-आयोग अथवा स्थिति के अनुसार उस राज्य का लोक-सेवा-आयोग किसी और भी प्रकार्यों को करे :

पर जब अधिनियम किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया जाता है तो उस अधिनियम में यह बात होगी कि उसके द्वारा प्रदत्त प्रकार्य, प्रधान की सहमति के बिना, किसी वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य न होंगे जो उस राज्य की सेवाओं में से एक का भी सदस्य नहीं.

लोक-सेवा-आयोगों के व्यय.

२८८. संघ के अथवा राज्य के लोक-सेवा आयोग के व्यय जिसमें उस आयोग के सदस्यों अथवा कर्मचारी वर्ग को अथवा उनके विषय में दिये जाने वाले वेतन, अधिदेय तथा उत्तर वेतन भी सम्मिलित हैं, भारत के आगमों पर अथवा, स्थिति के अनुसार, उस राज्य के आगमों पर, प्रभत होंगे.

भाग १३

निर्वाचन

निर्वाचनों का अधीक्षण, संचालन और नियन्त्रण निर्वाचन-आयोग में निहित होंगे.

२८९. (१) इस संविधान के अधीन किये गये, संसद् के समस्त निर्वाचनों का और प्रधान और उपप्रधान के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, संचालन और नियन्त्रण, जिसमें संसद् के निर्वाचनों से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी सम्मिलित है, प्रधान द्वारा नियुक्त किये जाने वाले आयोग को सौंपा जायेगा.

(२) इस संविधान के अधीन किये गये, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल के समस्त निर्वाचनों का और उस राज्य के शासक के पद के निर्वाचनों का (उस राज्य के शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ तालिका बनाने के निर्वाचनों का), अधीक्षण, संचालन और नियन्त्रण, जिसमें उस राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों से उद्भूत अथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी सम्मिलित है, उस राज्य के शासक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले आयोग को सौंपा जायेगा.

संसद के लिये निर्वाचन.

२९० इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संसद् समय समय पर विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक आगार के निर्वाचनों के बारे में अथवा उनसे सम्बद्ध समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित हैं जो संसद् के दोनों आगारों के उचित संघटन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन करने के लिये आवश्यक हों.

राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचन.

२९१. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के आगार अथवा आगारों के निर्वाचनों के बारे में अथवा उन से सम्बद्ध, समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित हैं जो ऐसे आगार अथवा आगारों के उचित संघटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने के लिये आवश्यक हों.

भाग १४

अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान

लोकसभा में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण.

२९२. इस संविधान के अनुच्छेद ६७ के खंड (५) के उपखंड (ख) में विनिहित श्रेणी के अनुसार—

(क) मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित जातियों ;

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य की अनुसूचित वनजातियों; और

(ग) मद्रास और बम्बई राज्यों के भारतीय ईसाई समुदाय,

के लिये लोक-सभा में स्थान आरक्षित रहेंगे.

लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रावधान.

२९३. इस संविधान के अनुच्छेद ६७ में कुछ भी रहते हुए प्रधान, यदि वह इस मत का है कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं तो लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक (अधिक से अधिक दो) सदस्य मनोनीत कर सकेगा.

राज्यों की विधान सभाओं में अल्प संख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण.

२९४. (१) इस संविधान के अनुच्छेद १४९ के खंड (३) में विनिहित श्रेणी के अनुसार –

(क) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जातियों और (आसाम के स्वायत्तशासी जिलों की अनुसूचित वनजातियों को छोडकर) अनुसूचित वनजातियों ; और

(ख) मद्रास और बम्बई राज्यों की विधान-सभाओं में भारतीय ईसाई-समुदाय,

के लिये स्थान आरक्षित रहेंगे.

(२) आसाम-राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान आरक्षित रहेंगे.

(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की विधान-सभा में किसी समुदाय के लिये आरक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के सम्पूर्ण स्थानों से यथाशक्य लगभग वही अनुपात होगा जो उस राज्य में उस समुदाय की जनसंख्या का उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से है.

व्याख्या.—इस खंड के लिये किसी राज्य की समस्त अनुसूचित जातियां एक ही "समुदाय" मानी जायेंगी और इसी प्रकार किसी राज्य की समस्त अनुसूचित वनजातियां भी.

(४) आसाम-राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये आरक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के सम्पूर्ण स्थानों से वह अनुपात होगा जो उससे न्यून नहीं जो उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या से है.

(५) आसाम-राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा.

(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले की अनुसूचित वनजाति का अंग नहीं है, आसाम राज्य की विधान-सभा के लिये, (शिलांग छावनी और नगर समिति वाले निर्वाचन-क्षेत्र को छोडकर) उस जिले के किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन का पात्र न होगा.

राज्यों की विधान-सभाओं में आँग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष

२९५. इस संविधान के अनुच्छेद १४९ में कुछ भी रहते हुए, किसी राज्य का शासक, यदि वह इस मत का है कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह उपयुक्त समझे मनोनीत कर सकेगा.

सेवाओं और पदों के लिये अल्प संख्यक समुदायों के दावे.

२९६. अगले आगामी अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संघ के अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के कार्यों से सम्बध्द सेवाओं या पदों के लिये नियुक्तियों म, प्रशासन-दक्षता के संधारण का ध्यान रखते हुए सब अल्पसंख्यक समुदायों के दावों पर ध्यान रखा जायेगा.

कतिपय सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिये विशेष प्रावधान.

२९७. (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम दो वर्षों म प्रयोगमार्ग (रेल), निराक्राम्य कर (कस्टम), डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं के पदों के लिये आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जायेंगी जैसे कि १५ अगस्त १९४७ के तुरन्त पूर्व.

प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्षों की अवधि में उक्त समुदाय के जनों के लिये, उक्त सेवाओं में, आरक्षित पदों की संख्या में सद्यःपूर्वगामी दो वर्षों की अवधि में इस प्रकार आरक्षित संख्या की अपेक्षा दस प्रतिशत कमी की जायेगी:

पर इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब आरक्षणों का अन्त हो जायेगा.

(२) खंड (१) के अनुसार आरक्षित पदों के अतिरिक्त, अथवा उनसे अधिक पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियों पर इस खंड की किसी बात से रुकावट न होगी यदि ऐसे जन अन्य समुदायों के जनों की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्ति के लिये योग्य पाये जाएं.

आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षा-अनुदान के लिये विशेष प्रावधान.

२९८. इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम तीन आर्थिक वर्षों में, आंग्ल-भारतीय समुदाय के लाभार्थ शिक्षा के सम्बन्ध में वही अनुदान, यदि कोई रहे हों तो, संघ तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १९४८ ई. को अन्त होने वाले आर्थिक वर्ष में दिये गये थे.

प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्ष की अवधि में, अनुदान सद्यःपूर्वगामी तीन वर्ष की अवधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे :

पर इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक ये आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष दान थे उस मात्रा तक अन्त हो जायेंगे:

पर यह और भी कि, इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी शैक्षिक संस्था अनुदान पाने की अधिकारी न होगी जब तक उसके वार्षिक प्रवेशों में न्यून से न्यून चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य न हों.

संघ और राज्यों में अल्प संख्यकों के लिये विशेष अधिकारी.

२९९. (१) संघ का, अल्प संख्यकों के लिये विशेष अधिकारी होगा जिसको प्रधान नियुक्त करेगा, और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य का, अल्प संख्यकों के लिये विशेष अधिकारी होगा जिसको उस राज्य का शासक नियुक्त करेगा.

(२) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में अल्प संख्यकों के लिये इस संविधान के अधीन प्रावहित अभिरक्षणों (सेफगार्ड) के सम्बन्ध के सब विषयों का अनुसंधान करना, और ऐसे अवधि-अन्तरों में, जिनका प्रधान निदेश करे, अभिरक्षणों के कार्यवाहन पर प्रधान को प्रतिवेदन करना, संघ के विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा और प्रधान ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के समक्ष रखवायेगा.

(३) इस प्रकार उल्लिखित राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में अल्प संख्यकों के लिये इस संविधान के अधीन प्रावहित अभिरक्षणों के सम्बन्ध के सब विषयों का अनुसन्धान करना और ऐसे अवधि-अन्तरों में, जिनका उस राज्य का शासक निदेश करे, अभिरक्षणों के कार्यवाहन पर शासक को प्रतिवेदन करना, उस राज्य के विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा, और राज्य का शासक ऐसे सब प्रतिवेदनों को उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा.

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसूचित वनजातियों के कल्याणार्थ संघ का नियंत्रण

३००. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ म उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के अनसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित वनजातियों के कल्याण पर प्रतिवेदन करने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा प्रधान किसी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर (तो) करेगा (ही).

आयोग की रचना, शक्तियां और कार्यप्रणाली आदेश में परिभाषित रह सकेंगी और उसमें वे आनुषंगिक और सहायक प्रावधान भी रह सकेंगे जिन्हें प्रधान आवश्यक अथवा वाञ्छनीय समझे.

(२) संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार, ऐसे राज्य को उस प्रकार निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित वनजातियों के कल्याण के लिये उस निदेश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखता हो.

पिछड़ी हुई जातियों की अवस्थाओं के अनुसन्धान के लिये आयोग की नियुक्ति.

३०१. (१) प्रधान, ऐसे व्यक्तियों का बना हुआ आयोग आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की अवस्थाओं के और उनकी कठिनाइयों के अनुसन्धान के लिये योग्य समझे, और जिन्हें वह उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये और उनकी अवस्था को उन्नत करने के लिये जो उपाय संघ अथवा किसी राज्य को करने चाहियें उनके बारे में, और इस प्रयोजन के लिये कितना अनुदान संघ अथवा किसी राज्य द्वारा दिया जाना चाहिये और किन प्रतिबन्धों के साथ ऐसा अनुदान देना चाहिये उनके बारे में अभिस्तावों के करने के लिये योग्य समझे और ऐसे अयोग की नियुक्ति के आदेश में वह कार्य प्रणाली निर्धारित रहेगी जिसका अनुसरण उस आयोग को करना होगा.

(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौपे हुए विषयों का अनुसन्धान करेगा और प्रधान को प्रतिवेदन उपस्थापित करेगा जिसमें उपलब्ध तथ्यों का समावेश होगा और जिसमें ऐसे अभिस्ताव किये जावेंगे जिन्हें आयोग उचित समझे.

(३) प्रधान, इस प्रकार उपस्थापित प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कार्यवाही की संक्षिप्त व्याख्या सहित, संसद् के समक्ष रखवायेगा.

भाग १५

प्रकीर्ण

प्रधान और शासकों की रक्षा.

३०२. (१) प्रधान अथवा राज्य का शासक अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में किये हुए अथवा किये जाने का अभिप्राय रखने वाले अपने किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी न होगा :

पर, प्रधान के आचरण का निरीक्षण, इस संविधान के अनुच्छेद ५० के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये संसद् के किसी आगार द्वारा नियुक्त अथवा नामोद्दिष्ट किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा निकाय द्वारा किया जा सकेगा :

पर यह और भी कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न होगा कि किसी व्यक्ति के, भारत-शासन अथवा राज्य-शासन के विरुद्ध उन कार्यवाहियों के लाने के अधिकार में कोई रुकावट होगी जो इस संविधान के भाग १० के अध्याय ३ में वर्णित है.

(२) किसी भी प्रकार की दण्ड-कार्यवाही प्रधान के विरुद्ध अथवा किसी राज्य के शासक के विरुद्ध उसके पदकाल में किसी न्यायालय में न तो लाई जायेगी और न चालू रखी जायेगी.

(३) किसी न्यायालय से, प्रधान अथवा किसी राज्य के शासक को पकड़ने अथवा कारावास देने के लिये, कोई आदेशक (प्रॉसेस) न निकलेगा.

(४) कोई दीवानी कार्यवाही, जिसमें प्रधान अथवा किसी राज्य के शासक के विरुद्ध कोई अभ्यर्थना की गई हो, जो उसके अपने वैयक्तिक रूप में किये गये अथवा किये जाने का अभिप्राय रखने वाले किसी कार्य के बारे में हो, चाहे वह कार्य उसके प्रधान अथवा ऐसे राज्य के शासक के पद पर प्रवेश होने से पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, उसके पद-काल में किसी न्यायालय में उस समय तक न की जायेगी जब तक ऐसी लिखित सूचना प्रधान, अथवा स्थिति के अनुसार, शासक को दी जाकर अथवा उसके कार्यालय में छोड़ी जाकर दो मास न बीत चुके हों जिसमें कार्यवाही का स्वरूप, उसमें के दावे का कारण और कार्यवाही करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, तथा निवास स्थान दिये गये हों और उसकी अभ्यर्थना भी दी गई हो.

निर्वचन, आदि.

३०३. (१) इस संविधान में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक निम्नलिखित पदों के वे अर्थ होंगे जो क्रमानुसार नीचे नियत किये गये हैं, अर्थात्—

(क) "कृषि-आय" से अभिप्राय वह कृषि-आय है जो भारतीय आय-कर विषयक अधिनियमों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित की गई है;

(ख) "आंग्ल भारतीय" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसका पिता अथवा पितृपरम्परा में कोई अन्य पुरुष जनक योरोपीय वंश का है या था परन्तु जो भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासित है और जो इस राज्य-क्षेत्र में ऐसे मातापिता से जन्मा है जो वहां साधारणतया निवास करते रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हैं ;

(ग) "भारतीय ईसाई" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी भी प्रकार के ईसाई धर्म को मानता है और जो योरोपीय अथवा आंग्ल-भारतीय नहीं है ;

(घ) "उधार-ग्रहण" में वार्षिक. . हैं, और "उधार" का अन्वयन तदनुसार किया जाएगा (तदनुसार अर्थ किया जायेगा) ;

(ङ) उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में "मुख्य न्यायाधीश" म मुख्य न्यायाधिकारी (चीफ जज) भी सम्मिलित है ;

(च) "निगम-कर" से अभिप्राय आय पर उस कर से है जो प्रमण्डलों द्वारा देय हो और जिसके बारे में निम्नलिखित प्रतिबन्धों की पूर्ति की जाती हो—

[१] कि वह कृषि-आय के विषय में देय न हो ;

[२] कि उस कर पर लागू होने वाले किन्हीं अधिनियम के अनुसार, प्रमण्डलों द्वारा दिये जाने वाले कर के विषय में उन प्रमण्डलों द्वारा, व्यक्तियों को दिये जाने वाले लाभांश में से कोई कमी करने का प्राधिकार न हो ;

[३] कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने वाले व्यक्तियों की समस्त आय की संगणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले अथवा ऐसे व्यक्तियों को लौट कर मिलने वाले भारतीय आय-कर की संगणना में, इस प्रकार दिये हुए कर को लेखे में लेने का कोई प्रावधान न हो ;

(छ) सन्देह की अवस्था में "तत्स्थानी प्रान्त" अथवा "तत्स्थानी राज्य" से अभिप्राय वैसे प्रान्त अथवा राज्य से है जिसे प्रधान, विवादास्पद किसी विशेष प्रयोजन के हेतु तत्स्थानी प्रान्त अथवा, स्थिति के अनुसार, तत्स्थानी राज्य निश्चित करे ;

(ज) वार्षिक वृत्ति के रूप में पुंजी राशियों की देनगी की उत्तरदायिता के विषय में किसी देय और किसी प्रत्याभूति के अधीन किसी देय का समावेश "ऋण" में है और "ऋण-प्रभार" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ;

(झ) "वर्तमान विधि" से अभिप्राय किसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम अथवा आनियम से है जिसे इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी विधान-मण्डल, प्राधिकारी अथवा व्यक्ति ने बनाया था जिसे ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम अथवा आनियम के बनाने की शक्ति रही हो परन्तु जिसमें यूनाइटेड किंगडम की संसद् के किसी अधिनियम का अथवा उसके अधीन बनाये हुए परिषत्स्थित आदेश (आर्डर-इन-काउंसिल) का समावेश नहीं ;

(ञ) "संघान न्यायालय" से अभिप्राय भारत-शासन अधिनियम, १९३५, के अनुसार संघटित संघान न्यायालय से है ;

(ट) "वस्तुओं" में समस्त सामग्रियों, पदार्थों और वस्तुओं का समावेश है ;

(ठ) "प्रत्याभूति" में किसी ऐसी उत्तरदायिता का समावेश है जो किसी उपक्रमण के लाभों के उल्लिखित राशि से न्यून होने की अवस्था में, देने के हेतु इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व उठाई गई हो ;

(ड) "उत्तर वेतन" से अभिप्राय किसी व्यक्ति को अथवा उसके बारे में दिये जाने वाले किसी प्रकार के उत्तर वेतन से है चाहे वह अंशदायी हो या न हो और इसमें इस प्रकार दिये जाने वाले सेवा-निवृत्त वेतन, इस प्रकार दिये जाने वाले आनुतोषिक और इस प्रकार दी जाने वाली किसी ऐसी राशि अथवा राशियों का समावेश है जो (प्रावधायी प्रणीधि) प्राविडेन्ट फंड के चन्दे को वापिस देने के रूप में दी जाने वाली हो चाहे वह ब्याजसहित हो अथवा ब्याजरहित अथवा उसमें कोई अन्य बढ़ती हो ;

(ढ) "लोक-अधिसूचना" से अभिप्राय भारतीय सूचनापत्र (गजट आफ इण्डिया) में, अथवा स्थिति के अनुसार, किसी राज्य के राजकीय सूचनापत्र में दी हुई अधिसूचना से है ;

(ण) "प्रतिभूतियाँ" में स्कन्ध का समावेश है ;

(त) "करारोपण" में किसी कर अथवा प्रवेश्य कर का समावेश है, चाहे वह सामान्य अथवा स्थानीय अथवा विशेष हो, और "कर" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा ;

(थ) "आय पर कर" में अतिरिक्त लाभ कर के स्वरूप के कर का समावेश है ;

(द) "अयोमार्ग" (रेलवे) में पूर्णतया किसी नगर समिति के भीतर ही न होने वाले रथ्यायान (ट्रामवे) का समावेश है ;

(ध) "संघ-अयोमार्ग" (संघ रेलवे) में इण्डियन स्टेट रेलवे (देशी राज्य अयोमार्ग) का समावेश नहीं है परन्तु इस को छोड़कर जो गौण अयोमार्ग (माइनर रेलवे) नहीं है, उन सब अयोमार्गों का समावेश है ;

(न) "देशी राज्य अयोमार्ग" (इंडियन स्टेट रेलवे) से अभिप्राय उस अयोमार्ग का है जिस का स्वामी प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहा कोई राज्य है और जो या तो ऐसे राज्य द्वारा या ऐसे राज्य की ओर से उस संविदा का अनुसरण न करते हुए चालित है जो संविदा उस राज्य के साथ भारत-शासन ने की हो अथवा भारत-शासन की ओर से की गई हो अथवा उस राज्य के साथ संघ अयोमार्ग चलाने वाले किसी प्रमण्डल ने की हो ;

(प) "गौण अयोमार्ग" (माइनर रेलवे) से अभिप्राय उस अयोमार्ग से है जो एक ही राज्य में पूर्णतया स्थित हो और समान चौड़ाई या असमान चौड़ाई के संघ अयोमार्ग से लगातार यातायात-पंक्ति न बनाता हो ;

(फ) "अनुसूची" से इस संविधान की अनुसूची का अभिप्राय है ;

(ब) "अनुसूचित जातियों" से प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसी जातियों, प्रजातियों या बनजातियों से अथवा जातियों, प्रजातियों या वन-जातियों के भागों अथवा उन में के समूहों से अभिप्राय है जो भारत-शासन (अनुसूचित जाति) आदेश, १९३६, में भारत शासन अधिनियम, १९३५, की पंचम और षष्ठ अनुसूचियों के प्रयोजनार्थ तत्स्थानी प्रान्त के लिये अनुसूचित जातियाँ उल्लेख की गई हैं ;

(भ) "अनुसूचित वन-जातियों" से प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को अष्टम अनुसूची के भाग १ से ९ के जो भाग क्रमशः लागू होते हों उनमें उल्लिखित वन-जातियों अथवा समुदायों का अभिप्राय है.

(२) जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस संविधान के निर्वचन के हेतु सामान्य-परिभाषा-अधिनियम (जनरल क्लाजेज एक्ट), १८९७ (संख्या १०, १८९७ ई.) लागू होगा.

(३) इस संविधान में संसद् के, या संसद् द्वारा निर्मित, अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश में, अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के या विधान-मण्डल द्वारा निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश में, प्रधान द्वारा या स्थिति के अनुसार शासक द्वारा बनाये हुए अध्यादेश के निर्देश का अन्वयन सम्मिलित समझा जायेगा.

भाग १६

संविधान का संशोधन

संविधान के संशोधन की कार्यप्रणाली.

३०४. (१) संसद् के किसी आगार में तदर्थ विधेयक पुरःस्थापित करके संविधान के संशोधन का सूत्रपात किया जा सकेगा, और जब प्रत्येक आगार में, उस आगार की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस आगार में उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से, वह विधेयक पारित हो जाये तो वह प्रधान के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अभिसमयों के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा:

पर यदि ऐसे संशोधन से—

(क) सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में ;

(ख) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधान में ; अथवा

(ग) सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में ,

कोई परिवर्तन इष्ट हो तो प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के कम से कम आधे राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा और उस अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के कम से कम एक-तिहाई के विधान मण्डलों द्वारा उस संशोधन का उपोद्बलन (रॅटिफिकेशन) भी अपेक्षित होगा.

(२) अन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, शासक को चुनने की पद्धति सम्बन्धी या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के आगारों की संख्या सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों में कोई परिवर्तन चाहने वाले संशोधन का सूत्रपात, उस राज्य की विधान-सभा में अथवा जिस राज्य में विधान-परिषद् है वहां राज्य के विधान-मण्डल के किसी आगार में, तदर्थ विधेयक पुरःस्थापित करके, किया जा सकेगा, और जब विधेयक विधान-सभा द्वारा या, जहां राज्य में विधान-परिषद् है वहां राज्य के विधान-मण्डल के दोनों आगारों द्वारा विधान-सभा या प्रत्येक आगार की, जैसी भी स्थिति हो, समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है तो, वह उपोद्बलन (रॅटिफिकेशन) के लिये संसद् के समक्ष रखा जायगा और जब वह संसद् के प्रत्येक आगार द्वारा, उस आगार की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से उपोद्बलित हो जाय तो वह प्रधान के समक्ष स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के अभिसमयों के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा.

व्याख्या.—जहां प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय राज्यों का कोई समूह उल्लिखित है, तो इस अनुच्छेद के खंड (१) के परादिक के प्रयोजनार्थ, सारा समूह एक राज्य समझा जायेगा.

अल्पसंख्यकों के लिये स्थानों का आरक्षण केवल दस वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसका प्रवर्तन संविधान के संशोधन से चालू न रखा जाये.

३०५. इस संविधान के अनुच्छेद ३०४ में किसी बात के होते हुए भी, संसद् में या प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल में मुसलमानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वन-जातियों अथवा भारतीय ईसाइयों के स्थानों के आरक्षण-सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधान, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि में, संशोधित न किये जायेंगे और दस वर्ष के अवसान पर, वे प्रावधान प्रभावी न रहेंगे जब तक कि संविधान के संशोधन द्वारा उनका प्रवर्तन चालू न रखा गया हो.

भाग १७

अस्थायी और अन्तर्वर्ती प्रावधान

कुछ विषयों के सम्बन्ध में, संसद् को विधि बनाने का अस्थायी अधिकार मानो कि ये समवर्ती सूची के विषय हों.

३०६. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, इस संविधान के प्रारम्भ से ५ वर्ष की अवधि तक निम्न विषयों के सम्बन्ध में, विधि बनाने का अधिकार होगा, मानों कि ये विषय समवर्ती सूची में अंकित हों, अर्थात् :—

(क) सूती और ऊनी वस्त्र, कागज (जिस में समाचार पत्र का कागज सम्मिलित है), खाद्य-पदार्थ (जिसमें खाने योग्य तैल-बीज और तैल सम्मिलित है), मिट्टी का तेल और उससे बनी हुई वस्तुएँ, यन्त्र द्वारा चलने वाले वाहनों के अतिरिक्त भाग (पुरजे), कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य और उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण ;

(ख) स्थानच्युत व्यक्तियों की सहायता और उनका पुनःप्रतिस्थापन ;

(ग) इस अनुच्छेद के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित विषयों से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उन विषयों में से किसी के प्रयोजनार्थ परिप्रश्न और समंक (स्टैटिस्टिक्स), उन विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, किन्तु वे शुल्क नहीं, जो किसी न्यायालय द्वारा लिये जायें;

किन्तु संसद् द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे संसद् इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अभाव में बनाने के लिये समर्थ न होती, उक्त कालावधि के अवसान पर, असमर्थता की मात्रा तक प्रभावी न रहेगी, उन बातों के विषय को छोड कर जो उस अवसान के पूर्व की हुई अथवा करने से छोडी हुई हों.

वर्तमान विधियों और उनके संशोधित रूपों का चालू रहना.

३०७. (१) इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियां तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि समर्थ विधान मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी द्वारा वे परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दी जायें.

(२) आदेश द्वारा प्रधान यह प्रावधान कर सकेगा कि ऐसी तिथि से, जो आदेश में उल्लिखित हो, भारत के राज्यक्षेत्र में या उस के किसी भाग में कोई प्रवृत्त विधि, ऐसे उपयोजनों और संपरिवर्तनों के साथ, चाहे वे विखंडन या संशोधन के रूप में हों, जो कि उस विधि के प्रावधानों को इस संविधान के प्रावधानों से सुसंगत करने के लिये उसको आवश्यक या उचित दीखें, प्रवृत्त रहेगी, जब तक विधान-मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी उसका विखण्डन अथवा संशोधन न करे और ऐसे उपयोजनों और संपरिवर्त्तनों पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति (प्रश्न) न की जायगी.

व्याख्या १.—इस अनुच्छेद में "प्रवृत्त विधि" पद में वह विधि भी सम्मिलित होगी जिसे इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मण्डल या अन्य समर्थ प्राधिकारी ने पारण (पास) या निर्माण की हो और जो पूर्व विखण्डित न कर दी गई हो, यद्यपि वह या उसके भाग उस समय सर्वथा, या विशेष क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हों.

व्याख्या २.—भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य समर्थ प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यः पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रभावी होने के साथ साथ बाह्य-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी है, पूर्वोक्त उपयोजनों और संपरिवर्तनों के साथ बाह्य-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी बनी रहेगी.

व्याख्या ३.—इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न होगा कि किसी अस्थायी अधिनियम का प्रवर्तन उसके अवसान की निर्धारित तिथि के पश्चात् चालू रहेगा.

संघान न्यायालय के न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाना और संघान न्यायालय में या सपरिषद् सम्राट के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों का सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जाना.

३०८. (१) इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपूर्व पद धारण किये रहने वाले संघान न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने अन्यथा निश्चय न किया हो, उस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे और तब वे ऐसे वेतनों और अधिदयों के, तथा अवकाश और उत्तरवेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जो इस संविधान के अनुच्छेद १०४ के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय मे प्रावहित है.

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर संघान न्यायालय में लम्बित व्यवहार सम्बन्धी या दण्ड सम्बन्धी, सब मुकद्दमे, पुर्नविचार प्रार्थनाएँ तथा कार्यवाहियां सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी और सर्वोच्च न्यायालय को उनके सुनने और निर्णय देने का क्षेत्राधिकार होगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ के पूर्व, संघान न्यायालय द्वारा दिये हुए निर्णयों और आदेशों को वैसा ही बल और प्रभाव प्राप्त होगा मानों कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हों.

(३) इस संविधान की प्रारम्भ तिथि को और उसके पश्चात्, भारत-राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी न्यायालय के किसी प्रादेश और आदेश के विरुद्ध अथवा सम्बन्ध में पुर्नविचार प्रार्थनाओं और याचनाओं को सुनने और निर्णय करने का, सपरिषद् सम्राट् का क्षेत्राधिकार, जिस मे सम्राट् के परमाधिकार के बल पर सम्राट् द्वारा दण्ड विषयक प्रयोक्तव्य क्षेत्राधिकार सम्मिलित है, समाप्त हो जायेगा और उस दिन, सपरिषद सम्राट् के समक्ष लम्बित सब पुर्नविचार प्रार्थनाएँ और अन्य कार्यवाहियाँ सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी और सर्वोच्च न्यायालय उनका निर्णय करेगा.

(४) इस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये संसद् विधि द्वारा प्रावधान बना सकेगी.

इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्, इसके प्रावधानों के अधीन, न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का अपने अपने प्रकार्यों को करते रहना.

३०९. भारत के समस्त राज्यक्षेत्र के व्यवहार, दण्ड और आगम क्षेत्राधिकारवाले सब न्यायालय तथा न्यायसम्बन्धी, अधिशासन सम्बन्धी और लिपिक सम्बन्धी सब प्राधिकारी और सब अधिकारी इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने अपने प्रकार्यों को करते रहेंगे.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान.

३१०. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यःपूर्व पद धारण किये रहने वाले किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने अन्यथा निश्चय न किया हो, उस तिथि को तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे और तब वे ऐसे वेतनों और अधिदयों के तथा अवकाश और उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे अधिकारों के अधिकारी होंगे जो इस संविधान के अनुच्छेद १९७ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित हैं.

संघ के अस्थायी विधान-मंडल तथा प्रधान आदि के विषय में प्रावधान.

३११. (१) जब तक संसद् के दोनों आगार इस संविधान के अधीन यथा विधि संघटित न हो चुके हों और प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये न जा चुके हों, तब तक भारत के अधिराज्य (डोमीनियन) की संविधान-सभा, संसद् को दी हुई सब शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन स्वयं करेगी और विशेषतः संसद् के दोनों आगारों का यथाविधि संघटन कराने के लिये, तथा संसद् के प्रत्येक आगार के निर्वाचन विषयक और उससे सम्बद्ध सब बातों के लिये प्रावधानार्थ, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन सम्मिलित है तथा ऐसे अन्य आनुषंगिक और समनुवर्ती विषयों के लिये, जो इस संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक समझे जायें, विधि बना सकेगी.

व्याख्या.—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, भारत के अधिराज्य (डोमीनियन) की संविधान-सभा में, वे सदस्य सम्मिलित समझे जायेंगे जो आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिये, एतदर्थ सभा द्वारा निर्मित नियमानुसार चुने गये हैं परन्तु वे सदस्य सम्मिलित न समझे जायेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधान करते हैं जो प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नहीं.

(२) भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, के अनुसार, अधिराज्य के विधान-मण्डल के रूप में जब संविधान-सभा प्रकार्य करे तब उस सभा का जो अध्यक्ष हो वह इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अधीन प्रकार्य करने वाली संविधान सभा का अध्यक्ष बना रहेगा.

(३) जब तक इस संविधान के भाग ५ के अध्याय १ के प्रावधानों के अनुसार प्रधान निर्वाचित न हो जाय और अपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक, वह व्यक्ति जिसे भारत-अधिराज्य की संविधान सभा एतदर्थ निर्वाचित कर ले, भारत का अस्थायी प्रधान होगा.

(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व भारत-अधिराज्य के मन्त्रियों के पद-धारण किये रहने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् इस संविधान के अधीन अस्थायी प्रधान की मन्त्रि-परिषद के सदस्य हो जायेंगे.

प्रथम अनुसूची के भाग १ के प्रत्येक राज्य के अस्थायी विधान-मण्डल, शासक आदि के विषय में प्रावधान.

३१२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के एक अथवा दोनों आगार इस संविधान के प्रावधानों के अधीन यथाविधि संघटित न हो चुके हों और प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये न जा चुके हों, तब तक, इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व प्रकार्य करने वाले तत्स्थानी प्रान्त के विधान-मण्डल के एक अथवा दोनों आगार, उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे जो ऐसे राज्य के विधान-मण्डल के आगार या आगारों को इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त हैं.

(२) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व, किसी प्रान्त की, विधान-सभा के अध्यक्ष या विधान-परिषद् के प्रधान का पदधारण किये रहने वाला व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का अध्यक्ष या जैसी भी स्थिति हो, विधान-परिषद् का सभापति होगा, जब कि ऐसी सभा या परिषद्, इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अनुसार प्रकार्य करेगी.

(३) जब तक कि इस संविधान के भाग ६ के अध्याय २ के प्रावधानों के अनुसार नया शासक निर्वाचित (नियुक्त) न हो जाय और अपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक वह व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व किसी प्रान्त में शासक का पद धारण कर रहा है, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य का अस्थायी शासक होगा.

(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपूर्व किसी प्रान्त में मन्त्रियों के पद-धारण किये रहने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य के अस्थायी शासक की मन्त्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे.

कठिनाइयों को दूर करने की प्रधान की शक्ति.

३१३. (१) इस संविधान के अनुच्छेद ३११ के खण्ड (१) के अधीन रहते हुए प्रधान, किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिये, विशेषतः जिनका संबध भारत-शासन-अधिनियम, १९३५, के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण से है, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस कालावधि में जो आदेश में उल्लिखित हो, यह संविधान ऐसे उपयोजनों के सहित प्रभावी होगा, जिसे कि वह आवश्यक या उचित समझे, चाहे वे उपयोजना, परिवर्तन, परिवर्धन या विखण्डन के रूप के हों :

पर इस संविधान के भाग ५ के अध्याय २ के अनुसार यथाविधि संघटित संसद् की पहली बैठक के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायगा.

(२) इस अनुच्छेद के खण्ड (१) के अधीन दिया हुआ प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक आगार के समक्ष रखा जायगा.

भाग १८

प्रारम्भ और विखण्डन

प्रारम्भ. ३१४. यह संविधान . . . . को प्रवर्तमान होगा.

विखण्डन. ३१५. भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, (इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट), १९४७, तथा भारत शासन अधिनियम, (गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट), १९३५, भारत (केंद्रीय शासन और विधान-मंडल) अधिनियम [इण्डिया (सेण्ट्रल गवर्नमेंट एण्ड लेजिसलेचर, एक्ट], १९४६ के सहित, तथा भारत-शासन अधिनियम (गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट), १९३५, को संशोधन और अनपूरण करन वाले अन्य सब अधिनियम प्रभावशून्य, हो जाएँगे.

प्रथम अनुसूची

(अनुच्छेद १ और ४)

भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र

भाग १

इस संविधान के आरम्भ होने से सद्य:पूर्व शासक के प्रांतों के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात राज्यक्षेत्र :—

१. मद्रास.

२. बम्बई.

३. पश्चिमी बंगाल.

४. संयुक्त प्रांत.

५. बिहार.

६. पूर्वी पंजाब.

७. मध्यप्रांत और बरार.

८. आसाम.

९. उड़ीसा.

भाग २

इस संविधान के आरम्भ होने से सद्य:पूर्व मुख्यायुक्त (चीफ़ कमिश्नर) के प्रांतों के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात राज्यक्षेत्र :—

१. दिल्ली.

२. अजमेर-मेरवाड़ा सहित पंथ पिपलोदा के

३. कुर्ग.

भाग ३

विभाग (क)

निम्नलिखित देशी राज्य —

१. मैसूर.

२. काश्मीर.

३. ग्वालियर.

४. बड़ौदा.

५. त्रावणकोर.

६. कोचीन.

७. उदयपुर.

८. जयपुर.

९. जोधपुर.

१०. बीकानेर.

११. अलवर.

१२. कोटा.

१३. इन्दौर.

१४. भोपाल.

१५. रींवा.

१६. कोल्हापुर.

१७. पटियाला.

१८. मयूरभंज.

१९. काठियावाड़ का संयुक्त राज्य.

विभाग (ख)

और सब दूसरे देशी राज्य जो इस संविधान के आरम्भ होने से सद्यःपूर्व भारत-अधिराज्य के अन्तर्गत थे.

भाग ४

अन्दमान और निकोबार द्वीप

द्वितीय अनुसूची

[अनुच्छेद ४८ (३), ६२ (६), ७६, १०४, १२४ (२), १३५ (३), १४५ (५), १६३ और १६७]

भाग १

प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के शासकों के संबंध में प्रावधान

१. प्रधान को तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के शासकों को प्रतिमास निम्नलिखित परिलाभ दिये जायेंगे अर्थात् :—

	रु.
प्रधान को	५,५००
राज्य के शासक को	४,५००

२. प्रधान को और शासकों को अपनी अपनी पदावधि में प्रतिमास निम्नलिखित अधिदेय भी दिये जायेंगे जिससे कि वे सुविधा और गरिमापूर्वक अपने अपने पदों के कर्तव्यों का पालन कर सकें :—

	रु.
प्रधान को	...
राज्य के शासक को	...

३. अपने पद-ग्रहण करने के लिये , परिवार के साथ, यदि परिवार हो तो, तथा अपने और अपने परिवार के संभार सहित, यात्रा करने में प्रधान का और शासक का जो वास्तविक व्यय हो उसके बराबर अधिदेय उनको दिया जायगा.

४. अपनी अपनी संपूर्ण पदावधि में प्रधान को तथा प्रत्येक शासक को बिना किराया या भाड़ा दिये अपने अपने उपयोग के लिए मिले हुए पदावासों, रेलवे सलूनों (अयोमार्ग विलासकोष्ठ), नदी-वाहनों, विमानों, मोटरगाड़ियों के उपयोग, का अधिकार होगा और इन सब के संधारण के संबंध में उन पर कोई व्यक्तिगत प्रभार न पड़ेगा.

५. जब उपप्रधान या और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधान के प्रकार्यों का पालन करता हो या उसका स्थानापन्न हो अथवा जब कोई व्यक्ति शासक के प्रकार्यों का पालन करता हो तब वह कंडिका (पैरा) १ और २ में दिए हुए उन्हीं वेतनों और अधिदेयों को पाने का अधिकारी होगा जिनका कि वह प्रधान या वह शासक अधिकारी था जिसके प्रकार्यों का, जैसी कि स्थिति हो, वह पालन करता है या जिसका वह स्थानापन्न होता है और इस अनुसूची की कंडिका ४ के प्रावधान उसको तब तक लागू होंगे जब तक कि वह इस प्रकार प्रकार्यों का पालन करता है या स्थानापन्न होता है परंतु कंडिका ३ के प्रावधान उसको लागू न होंगे.

भाग २

संघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के मंत्रियों के लिये प्रावधान

६. संघ के प्रधान मंत्री को और प्रत्येक दूसरे मंत्री को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व अधिराज्य के प्रधान मंत्री तथा प्रत्येक मंत्री को क्रमशः देय थे.

७. प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के मंत्रियों को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व तत्स्थानी प्रान्त के मंत्रियों को देय थे.

भाग ३

लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्यपरिषद् के सभापति तथा उपसभापति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति संबंधी प्रावधान

८. लोक-सभा के अध्यक्ष और राज्यपरिषद् के सभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के सद्यःपूर्व भारत के अधिराज्य की संविधान-सभा के अध्यक्ष को देय थे तथा लोक-सभा के उपाध्यक्ष को और राज्यपरिषद् के उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो कि १५ अगस्त सन् १९४७ के सद्यः पूर्व केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के उपप्रधान को और केंद्रीय राज्यपरिषद् (कौंसिल आफ स्टेट) के उपप्रधान को क्रमशः देय थे.

९. प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधानपरिषद् के सभापति और उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व तत्स्थानी प्रांत की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति को क्रमशः देय थे और जहां तत्स्थानी प्रान्त में कोई विधानपरिषद् नहीं थी तो उस राज्य की विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को वे वेतन और अधिदेय दिये जायेंगे जो उस राज्य का शासक निश्चित करे.

भाग ४

सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये प्रावधान

१०. सर्वोच्च न्यायालय के तथा भारत राज्यक्षेत्र के अंतर्गत, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उस समय के लिये जो वे वास्तविक सेवा में व्यतीत करें, निम्न दर से मासिक वेतन दिये जायेंगे, अर्थात् :—

	रु.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ...	५,०००
सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को	४,५००
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ...	४,०००
उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को	३,५०० :

पर यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के समय, भारत-शासन की या उसके किसी पूर्वगामी शासन की अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन की या उसके किसी पूर्वगामी शासन की सेवा के लिए (अयोग्य होने अथवा घायल होने के उत्तरवेतन से भिन्न) उत्तरवेतन पा रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवा के उसके वेतन में से उस उत्तर-वेतन की राशि घटा दी जायगी.

११. अपने कर्तव्यों के संबंध में भारत-शासन-क्षेत्र में यात्रा करन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अथवा अन्य किसी न्यायाधीश का, तथा भारत-राज्य-क्षेत्र में, उन राज्यों को छोड़कर जो प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित हैं, स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अथवा अन्य किसी न्याया-

धीश का जो व्यय लगे उसकी पूर्ति के लिए वे उचित अधिदेय दिये जायेंगे और यात्रा के संबंध में वे उचित सुविधायें दी जायेंगी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के लिए प्रधान और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के लिये शासक समय समय पर विनिधान करे:

१२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी दूसरे न्यायाधीश के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन संबंधी अधिकार उन प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे अथवा शासित होते रहेंगे, जैसी कि स्थिति हो, जो संधान न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे.

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़कर भारत के राज्य क्षेत्रमें किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी दूसरे न्यायाधीश के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन-संबंधी अधिकार उन्हीं प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे अथवा शासित होते रहेंगे, जैसी कि स्थिति हो, जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व ऐसे उच्च न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे.

(३) इस कंडिका के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ पर एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में सेवा कर रहा था, केवल उसी अवस्था में न्यायाधीश के रूप में उस तिथि को सेवा करता हुआ समझा जावेगा जब कि एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उसकी न्यायाधीश के रूप में पीछे होने वाली स्थायी नियुक्ति तक बिना व्यवधान के चालू रखा गया है.

१३. इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो,—

(क) "मुख्य न्यायाधीश" पद में स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश का समावेश है, और "न्यायाधीश" पद में एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानापन्न न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश का समावेश है ;

(ख) "वास्तविक सेवा" में निम्न बातों का समावेश है—

(१) न्यायाधीश के कर्तव्यों को पालन करने में, या ऐसे अन्य प्रकार्यों के, जो प्रधान अथवा शासक ने, जैसी भी स्थिति हो, या इस संविधान के अनुच्छेद २८९ के अधीन नियुक्त आयोग (कमीशन) ने, पूरे करने के लिये उसे दिये हों, निष्पादन में, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत किया गया समय ;

(२) जिस समय मे न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित रहा है उसको निकाल कर दीर्घकालीन अवकाश ; और

(३) किसी उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अथवा एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को परिवर्तन होने पर कार्यग्रहण-काल.

भाग ५

भारत के महांकेक्षक के संबंध में प्रावधान

१४. भारत के महांकेक्षक को प्रति मास चार सहस्त्र रुपये की दर से वेतन दिया जायेगा.

१५. भारत के महांकेक्षक के अवकाश अथवा उत्तर-वेतन-संबंधी अधिकार उन प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे अथवा शासित होते रहेंगे, जैसी भी स्थिति हो, जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपूर्व भारत के महांकेक्षक के लिये लागू थे और उन प्रावधानों में जहां जहां महाशासक को निर्देश है वहां वहां प्रधान को समझे जायेंगे.

तृतीय अनुसूची

[अनुच्छेद ६२ (४), ८१, १०३ (६), १४४ (२), १६५ और १६५]

घोषणा प्रपत्र

(१)

संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा, कि मैं संघ-मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का भक्तिपूर्वक तथा अन्तःकरण से पालन करूंगा और मैं भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष, के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति इस संविधान और विधि के अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूंगा."

(२)

संघ-मंत्री के लिये गूढता की शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी बात को, जो संघ-मंत्री के रूप में मेरे सामने विचारार्थ लाई जायगी अथवा मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़कर जब मंत्रि-रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् पालनार्थ ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से संसूचित या प्रकट न करूंगा."

(३)

संसद्-सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, राज्य-परिषद् (अथवा लोक-सभा) का निर्वाचित (अथवा मनोनीत) सदस्य गंभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा और जिस कर्तव्य को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका भक्तिपूर्वक पालन करूंगा."

(४)

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्त हुआ मुख्य न्यायाधीश (अथवा न्यायाधीश) गंभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा और मैं यथोचितरूप तथा, सच्ची भक्ति से और अपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का पालन भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना करूंगा और इस संविधान तथा विधियों को ऊंचे उठाये रखूंगा."

(५)

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित राज्य के मन्त्री के लिये शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, गंभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा, कि मैं ... ...राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का भक्तिपूर्वक तथा अन्तःकरण से पालन करूंगा और मैं भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति इस संविधान और विधि के अनुसार ठीक ठीक व्यवहार करूंगा."

(६)

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के मंत्री के लिये गूढता की शपथ का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, गंभीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी बात को, जो ... ...के मंत्री के रूप में, मेरे सामने विचारार्थ लाई जायगी, अथवा मुझे ज्ञात होगी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोडकर जब ऐसे मंत्रि-रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् पालनार्थ ऐसा करना अपेक्षित हो अथवा शासक स्वविवेक से प्रयोक्तव्य प्रकार्यों से संबद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने की विशेष अनुमति दे मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट न करूंगा."

(७)

प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल के सदस्य द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, विधान-सभा (अथवा विधान-परिषद्) का निर्वाचित (अथवा मनोनीत) सदस्य गंभीरतापूर्वक सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा और जिस कर्तव्य को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका भक्तिपूर्वकपालन करूंगा."

(८)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :—

"मैं, अमुक, ... स्थित (अथवा के) उच्च न्यायालय का नियुक्त हुआ मुख्य न्यायाधीश (अथवा न्यायाधीश) गंभीरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि मैं विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और अनुषक्ति रखूंगा और मैं यथोचित रूप तथा सच्ची भक्ति से और अपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का पालन भय अथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष के बिना करूंगा और इस संविधान तथा विधियों को ऊंचा उठाये रखूंगा."

चतुर्थ अनुसूची

[अनुच्छेद १४४ (४)]

प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के शासकों को निदेश

१. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इन निदेशों में "शासक" पद में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का समावेश होगा जो इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस समय शासक के प्रकार्यों को कर रहा हो.

२. अपनी मन्त्रि-परिषद् के लिये नियुक्तियाँ करते समय शासक अपने मंत्रियों के चुनने में निम्नलिखित रीति के अनुसार भरसक प्रयत्न करेगा, अर्थात्, शासक उस व्यक्ति के परामर्श से जिसको उसके विचार में विधान-मण्डल में स्थायी बहुमत प्राप्त होने की सबसे अधिक सम्भावना है, उन व्यक्तियों को (जिनमें महत्वपूर्ण अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों का, जहाँ तक यह व्यवहार्य्य हो, समावेश होगा) नियुक्त करेगा जो उस विधान-मण्डल का सामूहिक रूप से विश्रम्भ प्राप्त करने में सबसे अधिक समर्थ हों. ऐसा करने में वह मन्त्रियों में परस्पर संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना के पोषण की आवश्यकता को सदा ध्यान में रखेगा.

३. इस संविधान के द्वारा अथवा इसके अधीन जिन प्रकार्यों के सम्बन्ध में शासक से स्वविवेक के प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है उनको छोड़कर राज्य की अधिशासी शक्ति के क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य समस्त विषयों में शासक उन शक्तियों के प्रयोग में जो उसको दी गई है अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर चलेगा.

४. अच्छे प्रशासन के स्तरों के संधारण के हेतु, आचारिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के पोषण करने वाले और जनता के समस्त वर्गों को सार्वजनिक जीवन तथा राज्य के शासन म यथोचित भाग लेने के लिये योग्य बनाने वाले समस्त उपायों की वृद्धि के हेतु, और समस्त वर्गों और पंथों में सहकारिता, सद्भाव और धार्मिक विश्वासों और भावनाओं के प्रति परस्पर आदर उत्पन्न करने के हेतु, शासक भरसक उद्योग करेगा.

पंचम अनुसूची

[अनुच्छेद १८९ (क) और १९० (१)]

अनुसूचित क्षेत्रो तथा अनुसूचित वनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्रावधान

भाग १

सामान्य

१. अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की अधिशासी शक्ति.— इस अनुसूची के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य की अधिशासी शक्ति का विस्तार उसके अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा.

२. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में शासक द्वारा भारत-शासन को प्रतिवेदन.— जिस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हों उस प्रत्येक राज्य का शासक प्रति वर्ष, अथवा जब कभी भी भारत-शासन ऐसी अपेक्षा करे, भारत-शासन को अपने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रतिवेदन करेगा और संघ की अधिशासी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उस राज्य को निदेश देने तक होगा.

भाग २

मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, और उड़ीसा राज्यों के सम्बन्ध में प्रावधान

३. भाग २ की प्रयुक्ति.—इस भाग के प्रावधान मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, और उड़ीसा के राज्यों को लागू होंगे.

४. वन-जाति-मन्त्रणा परिषद्.—(१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, और उड़ीसा में दस से अन्यून और पच्चीस से अनधिक सदस्यों की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् स्थापित की जाएगी जिनमें से यथाशक्य तीन-चौथाई के समीप सदस्य उनमें से होंगे जो उस राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित वन-जातियों के निर्वाचित सदस्य हैं.

(२) राज्य में, यदि कोई अनुसूचित क्षेत्र हों तो, उनके प्रशासन से, और राज्य में अनुसूचित वन-जातियों के कल्याण से, सम्बद्ध समस्त विषयों पर उस राज्य के शासन को सामान्यतः मंत्रणा देना वन-जाति मत्रणा परिषद् का कर्तव्य होगा.

(३) शासक—

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या और उनकी नियुक्ति की रीति का तथा परिषद् के सभापति और उसमें अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का ;

(ख) उसके अधिवेशन संचालन और सामान्यत: कार्य-प्रणाली का;

(ग) राज्य में अधिकारियों और स्थानीय निकायों के साथ उसके सम्बन्ध का; और

(घ) अन्य दूसरे आनुषंगिक विषयों का,

विनिधान अथवा आनियम करने के लिये, जैसी कि स्थिति हो, नियम बना सकेगा.

५. अनुसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य विधि.—(१) यदि राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् इस प्रकार मन्त्रणा दे, तो शासक लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का अथवा उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा अथवा उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और संपरिवर्तनों के साथ लागू होगा जैसे वह उक्त परिषद् के अनुमोदन से उस अधिसूचना में उल्लिखित करे:

पर यदि ऐसा अधिनियम निम्नलिखित विषयों में से किसी से भी सम्बद्ध हो, अर्थात्—

(क) विवाह ;

(ख) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ;

(ग) वन-जातियों का सामाजिक आचार ;

(घ) भारतीय वन-अधिनियम, १९२७, के अधीन अथवा विचाराधीन क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि के अधीन जो भूमियां आरक्षितवन है उनको छोड कर अन्य भूमि, जिसमें कृषकों के अधिकार, भूमि-आवटन और किसी प्रयोजन के हेतु भूमि-आरक्षण का भी समावेश है ;

(ङ) ग्राम प्रशासन से सम्बद्ध कोई विषय, और जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना का भी समावेश है,

तो शासक ऐसे निदेश तभी निकालेगा जब वन-जाति-मन्त्रणा परिषद ऐसी मन्त्रणा दे.

(२) उस राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा-परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शासक उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में आनियम बना सकेगा जिसके लिये ऐसे क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी विधि में प्रावधान न किया गया हो.

(३) ऐसे अपराधों को छोड़कर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी, अथवा पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दण्ड दिया जाता है, अथवा ऐसे विवादों को छोड़कर, जो ऐसे आनियमों में परिभाषित विधियों से पैदा होते हैं, अन्य अपराधों और विवादों से सम्बद्ध मुकद्दमों के वैधिक विचार के बारे में राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये शासक आनियम भी बना सकेगा, और ऐसे आनियमों से मुखियों या पंचायतों को ऐसे मुकद्दमों के वैधिक विचार की शक्ति भी दे सकेगा.

(४) इस कंडिका के अधीन बनाये हुए किन्हीं भी आनियमों के शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मण्डल के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस संविधान द्वारा उस विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है.

६. वनजातियों से भिन्न व्यक्तियों को भूमियों का अन्यक्रामण और आवंटन.—(१) अनुसूचित वन-जातियों के किसी व्यक्ति को अनुसूचित क्षेत्र में किसी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करना वैध न होगा जो अनुसूचित वन-जातियों में से नहीं है.

(२) अनुसूचित क्षेत्रान्तगत किसी भूमि को, जो उस राज्य में निहित है जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, राज्य की वन-जाति-मंत्रणा-परिषद् के साथ परामर्श करके शासन द्वारा बनाये गये तद्विषयक नियमों का अनुसरण किये बिना किसी ऐसे व्यक्ति को न तो आवंटित किया जायेगा और न बसाहृत पर दिया जायेगा जो अनुसूचित वनजातियों में से नहीं है.

७. अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का आनियमन.—शासक लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा, और राज्य की वन-जाति-मन्त्रणा परिषद् के इस प्रकार मन्त्रणा देने पर लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश देगा, कि उस राज्य के शासन द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत पदधारी द्वारा दिये गये अनुज्ञापत्र के प्रतिबन्धों के अधीन अथवा उसके अनुसार ही और अन्यथा नहीं, कोई व्यक्ति साहूकारी के व्यवसाय को किसी अनुसूचित क्षेत्र में करेगा और ऐसे प्रत्येक निदेश में यह प्रावधान होगा कि उसका भंग करना अपराध होगा और उसमें इसके लिये दिये जाने वाले दंड का उल्लेख होगा.

८. अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय का वार्षिक आर्थिक विवरण में अलग दिखाया जाना.—राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय जो राज्य के आगमों में समाकलित की जाने वाली हैं या जिसकी उससे पूर्ति होनी है, उन्हें इस संविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाया जायेगा.

९. अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर भाग २ लागू करना.—(१) शासक किसी भी समय लोक अधिसूचना द्वारा निदेश कर सकेगा कि इस भाग के समस्त अथवा कोई प्रावधान अधिसूचना में उल्लिखित तिथि को और तिथि से उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर किसी अनुसूचित वन-जाति के व्यक्तियों से बसे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को लागू होते हैं, और ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण होगा कि ये प्रावधान ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में यथा नियम लगाये गए हैं.

(२) शासक इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस भाग के समस्त अथवा कोई प्रावधान उस अधिसूचना में उल्लिखित तिथि को और तिथि से उस राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू होने बन्द हो जायेंगे जिसके सम्बन्ध में इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन कोई अधिसूचना निकाली गई थी.

भाग ३

संयुक्त प्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान

१०. भाग ३ का लागू होना.—इस भाग के प्रावधान केवल संयुक्त प्रान्त-राज्य को लागू होंगे.

११. अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति.—(१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र शासक आदेश द्वारा उस राज्य के लिये एक अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित वन-जातियों में से होंगे. ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तियां और कार्यप्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी और ऐसे आनुषंगिक और सहायक प्रावधान अन्तर्भूत हो सकेंगे जैसे शासक आवश्यक अथवा वांछनीय समझे.

(२) राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विकास से सम्बद्ध समस्त विषयों पर राज्य के शासन को सामान्यतः मन्त्रणा देना अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य होगा.

१२. कुछ अवस्थाओं में शासक की आनियम बनाने की शक्ति.—(१) ऐसे अपराधों को छोड़कर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी, अथवा पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड दिया जाता है, अन्य अपराधों से सम्बद्ध मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये या अल्प आर्थिक मूल्य वाले इस प्रकार के दावों या मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये, जो ऐसे आनियमों में उल्लिखित हों, राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिये शासक आनियम बना सकेगा, और ऐसे आनियमों द्वारा ऐसे मुकद्दमों अथवा दावों के वैधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में मुखियों अथवा पंचायतों को भी दे सकेगा.

(२) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का, किसी अनुसूचित वन-जातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित वन-जातियों में से नहीं है, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक आनियम बना सकेगा.

(३) इस कंडिका के अधीन बनाये हुए किन्हीं भी आनियमों का, शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मंडल के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस संविधान द्वारा उस विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है.

१३. अनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय का वार्षिक आर्थिक विवरण में अलग दिखाया जाना.—राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय जो राज्य के आगमों में समाकलित की जाने वाली हैं अथवा जिसकी उससे पूर्ति होनी है, उन्हें इस संविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाया जाएगा.

भाग ४

पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान

१४. भाग ४ का लागू होना.—इस भाग के प्रावधान केवल पूर्वी पंजाब राज्य को लागू होंगे.

१५. अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति की नियुक्ति.—(१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र शासक आदेश द्वारा उस राज्य के लिये एक अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा-समिति नियुक्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी होंगे. ऐसे आदेश में समिति की रचना, शक्तियां और कार्य-प्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी और ऐसे आनुषंगिक और सहायक प्रावधान अन्तर्भूत हो सकेंगे जैसे शासक आवश्यक अथवा वांछनीय समझे.

(२) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त विषयों पर राज्य के शासन को सामान्यतः मन्त्रणा देना अनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य होगा.

१६. संसद् के अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों की अनुसूचित क्षेत्रों पर प्रयुक्ति.—शासक लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा अथवा उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और संपरिवर्तनों के साथ लागू होगा जैसा वह उस अधिसूचना में उल्लिखित करे.

१७. शासक की आनियम बनाने की शक्ति.—(१) ऐसे अपराधों को छोड़कर, जिनमें मृत्यु, आजन्म काला पानी अथवा पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड दिया जाता है, अन्य अपराधों से सम्बद्ध मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये, अथवा अल्प आर्थिक मूल्य वाले इस प्रकार के दावों या मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये, जो ऐसे आनियमों में उल्लिखित हों, राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के लिए शासक आनियम बना सकेगा, और ऐसे आनियमों द्वारा ऐसे मुकद्दमों अथवा दावों के वैधिक विचार की शक्ति ऐसे किसी क्षेत्र में मुखियों अथवा पंचायतों को भी दे सकेगा.

(२) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमिका, किसी अनुसूचित वनजातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित वनजातियों में से नहीं है, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक आनियम बना सकेगा.

(३) इस कंडिका के अधीन बनाये हुए किन्हीं भी आनियमों का, शासक द्वारा प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समुपयुक्त विधान-मंडल के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है और जो इस संविधान द्वारा उस विधानमण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामर्थ्य से अधिनियमित किया गया है.

भाग ५

अनुसूचित क्षेत्र

१८. अनुसूचित क्षेत्र.—(१) निम्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित क्षेत्र इस संविधान के अर्थान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र होंगे और उक्त सारणी में किसी विभाग, जिला (मंडल), प्रशासी क्षेत्र, तहसील अथवा भूसम्पत्ति (एस्टेट) के विषय में किसी निर्देश का अर्थ यह होगा कि मानो वे इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि पर वर्तमान विभाग (डिवीजन), जिला (मण्डल), क्षेत्र, तहसील अथवा भूसम्पत्ति के प्रति निर्देश हैं.

(२) प्रधान किसी भी समय आदेश द्वारा—

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई पूरा अनुसूचित क्षेत्र अथवा उसका कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा ;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, परिवर्तन कर सकेगा परन्तु, केवल सीमाओं के संशोधन के रूप में ही ;

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होने पर, अथवा संघ में प्रविष्ट किये गये अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी नए राज्य के उस अनुसूची के भाग १ में अन्तरावेशन होने पर, किसी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र अथवा अनुसूचित क्षेत्र का भाग घोषित कर सकेगा जो इससे पूर्व इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य में समाविष्ट नहीं था,

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक तथा सनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे जो प्रधान को आवश्यक और ठीक दीखें.

सारणी

१.—मद्रास

लकाद्वीप (जिसमें मिनीकाय का समावेश है) और अमीनदीवी द्वीप.

पूर्वी गोदावरी एजेन्सी और विजगापट्टम एजेन्सी का उतना भाग जो भारत-शासन (उडीसा संघट) आदेश, १९३६, के प्रावधानों के अधीन उड़ीसा को हस्तान्तरित नहीं हुआ है.

२.—बम्बई

पश्चिमी खानदेश जिले में.—नवपुर पेठ, अक्रानी महाल और निम्नलिखित मेहवासी सरदारों के गांव : (१) काठी के पर्वी, (२) नल के पर्वी, (३) सिंहपुर के पर्वी, (४) गौहाली के वलवी, (५) चिखली के वसावा, और (६) नवलपुर के पर्वी.

पूर्वी खानदेश के जिले में.—सतपुडा पहाड के आरक्षित वन-क्षेत्र.

नासिक जिले में.—कलवान तालुक और पेंट पेठ.

थाना जिले में.—दहानु और शाहपुर तालुके तथा मोखाडा और अम्बरगांव के पेठ.

३.—संयुक्त प्रान्त

देहरादून जिले का जौनसार-बावर परगना. मिर्जापुर जिले का भाग जो कैमूर पहाड़ी के दक्षिण में है.

४.—पूर्वी पंजाब

कॉंगडा जिले में स्पीति और लाहौल.

५.—बिहार

रांची और सिंहभूम के जिले और छोटा नागपुर विभाग (डिवीजन) के पालामऊ जिले का लटेहार उपविभाग (सब डिवीजन).

गोड्डा और देवगढ़ उपविभागों (सब डिवीजन) को छोड़कर सन्थाल परगनों का जिला.

६. मध्यप्रान्त और बरार

चांदा जिले की, सिरोंचा तहसील की अहेरी जमींदारी और गढ़चिरोली तहसील में धनोरा, दूधमाला, गेवर्धा, झरापापडा खुटगांव, कोटगाल, मुरमगांव, पलसगढ, रंगी, सिर्सुन्डी सोन्सारी, चन्दाला, गिलगांव, पाइ-मुराण्डा और पोटेगांव जमींदारियां.

छिंदवाडा जिले में हर्रई, गोरक घाट, गोड़पानी, बटकागढ, बर्दागढ पर्ताबगढ (पगारा), अल्मोद और सोनपुर की जागीरें और पचमढ़ी जागीर का भाग जो छिन्दवाड़ा जिले में हैं.

मंडला जिला.

बिलासपुर जिले में पेन्ड्रा, केन्डा, मातिन, लाफा, उपरोड़ा, छुरी और कोर्बा जमींदारियां.

दुर्ग जिले में औंधी, कोराचा, पानाबारस और आमागढ चौकी जमींदारियां.

बालाघाट जिले में बैहर तहसील.

अमरावती जिले में मेलघाट तालुक.

बैतूल जिले में भैंसदेही तहसील.

७.—उडीसा

गंजाम माल-अंचल एंव कंध्यमाल.

कोरापुट जिला.

छठीषष्ठ अनुसूची

[अनुच्छेद १८९ (ख) और १९० (२)]

आसाम के वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधान

१. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी प्रदेश.—(१) इस अनुसूची की कंडिका १९ से संलग्न सारणी के भाग १ के प्रत्येक पद का वन-जाति-क्षेत्र जो उस समय में उस भाग में समाविष्ट हो स्वायत्तशासी जिला होगा.

(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित वन-जातियां हों तो शासक, लोक-अधिसूचना द्वारा उनसे बसे हुए क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को स्वायत्तशासी प्रदेशों में बांट सकेगा.

(३) शासक लोक-अधिसूचना द्वारा—

(क) उक्त सारणी के भाग १ में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा,

(ख) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा,

(ग) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा,

(घ) उक्त सारणी के भाग १ से किसी क्षेत्र को निकाल सकेगा,

(ङ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा :

पर इस अनुसूची की कंडिका १४ की उपकंडिका (१) के अनुसार नियुक्त आयोग की प्रतिवेदना पर विचार किये बिना इस उपकण्डिका के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन शासक कोई आदेश न देगा :

पर यह और भी कि इस उपकंडिका के खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ङ) के अधीन शासक कोई आदेश तब तक न देगा जब तक कि सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् द्वारा तदर्थ संकल्प पारित न किया जाए.

२. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का संघटन.—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये बीस से अन्यून और चालीस से अनधिक सदस्यों की जिला परिषद् होगी जिनमें से तीन-चौथाई से अन्यून सदस्य प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे.

(२) प्रत्येक जिला-परिषद् के निर्वाचनों के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार परिसीमित किया जाएगा कि उस जिले के भिन्न भिन्न अनुसूचित वन-जातियों से बसे हुए क्षेत्र और अन्य व्यक्तियों से बसे हुए क्षेत्र, यदि कोई हों, यथासम्भव अलग अलग निर्वाचन-क्षेत्र होंगे :

पर कोई ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र न बनाया जाएगा जिसकी समस्त जनसंख्या पांच सौ से न्यून हो.

(३) इस अनुसूची की कण्डिका १ की उपकण्डिका (२) के अधीन स्वायत्त-शासी प्रदेश संघटित हुये प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग प्रादेशिक परिषद् होगी.

(४) प्रत्येक जिला परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमश : "(जिले का नाम)—की जिला परिषद्" और "(प्रदेश का नाम)—की प्रादेशिक परिषद्" के नाम से एक निगम होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक साधारण मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से दावा करेगी और उस पर उक्त नाम से दावा किया जाएगा.

(५) इस अनुसूची के प्रावधानों के अधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन, जहां तक वह इस अनुसूची के अधीन ऐसे जिले की किसी प्रादेशिक परिषद् में निहित न हो, वहां तक ऐसे जिले की जिला परिषद् में निहित होगा और स्वायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा.

(६) ऐसे स्वायत्तशासी जिले में, जिसमें प्रादेशिक परिषदें हैं, प्रादेशिक परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिला परिषद् की केवल ऐसी शक्तियां और होंगी जो उसे इस अनुसूची से ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त प्रादेशिक परिषद् द्वारा प्रदान की जायें.

(७) शासक सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों अथवा प्रदेशों के अन्तर्गत विद्यमान वन-जाति परिषदों अथवा अन्य प्रतिनिधायी वन-जाति-संघटनों से परामर्श करके जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम संघटन के लिये नियम बनाएगा और ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिये प्रावधान होगा—

(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना और उसके आसनों (सीटों) का विभाजन ;

(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उन परिषदों के लिये निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ;

(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान की योग्यताएं और निर्वाचक-नामावलियों का बनाना ;

(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य चुने जाने की योग्यताएं ;

(ङ) ऐसी परिषदों के निर्वाचन अथवा मनोनयन के बारे में अथवा उससे सम्बद्ध कोई अन्य विषय ;

(च) जिला और प्रादेशिक परिषदों में कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन ;

(छ) जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारि-वर्ग की नियुक्ति.

(८) अपने प्रथम संघटन के पश्चात् जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् इस कंडिका की उपकंडिका (७) में उल्लिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी और—

(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषदों अथवा गणों के निर्माण और उनकी कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन ; और

(ख) जिले अथवा प्रदेश, जैसी कि स्थिति हो, के प्रशासन से सम्बद्ध कार्य-सम्पादन के सामान्यत: समस्त विषयों ;

को आनियमित करने वाले नियम भी बना सकेगी :

पर जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् इस उपकंडिका के अधीन नियम न बनाए तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद् के निर्वाचनों, अधिकारियों और कर्मचारि-वर्ग, तथा कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन के सम्बन्ध में इस कंडिका की उपकंडिका (७) के अनुसार शासक के बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे :

पर यह और भी कि इस अनुसूची की कंडिका १९ से संलग्न सारणी के भाग १ के क्रमश: पद ५ और ६ में समाविष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में मिकिर और उत्तर कछार पहाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर या सब डिवीजनल आफिसर (उप-विभागीय अधिकारी), जैसी कि स्थिति हो, जिला परिषद् का पदकारणात् सभापति होगा और जिला परिषद् के प्रथम संघटन के पश्चात् छ: वर्ष की अवधि तक, शासक के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, शक्ति होगी कि वह जिला परिषद् के किसी संकल्प या निर्णय को अभिशून्य अथवा सपरिवर्तन करे या जिला परिषद् को ऐसे निदेश देवे, जैसे वह उचित समझे, और जिला परिषद् ऐसे प्रत्येक दिये हुए निदेश का पालन करेगी.

३. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने की शक्ति.——(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में, और स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद् को, उस जिले के प्रादेशिक परिषदों, यदि कोई हों, के प्राधिकारांधीन क्षेत्रों को छोड़ कर, उस जिले के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित विषयों के बारे में विधियां बनाने की शक्ति होगी——

(क) किसी आरक्षित वन-भूमि को छोड़कर अन्य भूमि का कृषि या चराई के प्रयोजन के लिये, अथवा रहने या अन्य कृषिभिन्न प्रयोजनों के लिये अथवा किसी ऐसे दूसरे प्रयोजन के लिये जिससे किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की वृद्धि सम्भावनीय हो, विभाजन, दखल या उपयोग अथवा अलग रखना :

पर ऐसी विधियों की किसी बात से आसाम-राज्य को, अवापन का प्राधिकार देने वाली, उस समय प्रवर्तमान विधि के अनुसार, किसी भूमि के, चाहे वह दखल या बिना दखल की हुई हो, लोक प्रयोजनार्थ अनिवार्य अवापन में रुकावट न होगी ;

(ख) आरक्षित वन को छोड़ कर किसी अन्य वन का प्रबन्ध ;

(ग) कृषि प्रयोजनार्थ किसी कुल्या (नहर) अथवा जल-धारा का उपयोग ;

(घ) झूम की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों के स्थानान्तरणशील कृषि का आनियमन ;

(ङ) ग्राम अथवा नगर समितियों अथवा परिषदों का स्थापन और उनकी शक्तियाँ ;

(च) ग्राम अथवा नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिसमें ग्राम अथवा नगर पुलिस और लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता भी सम्मिलित हैं ;

(छ) प्रमुखों अथवा मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार ;

(ज) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ;

(झ) विवाह ;

(ञ) सामाजिक रूढ़ियां.

(२) इस कण्डिका मे "आरक्षित वन" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो आसाम वन आनियम, १८९९ के अधीन, अथवा प्रश्नास्पद क्षेत्र में उस समय प्रवर्तमान किसी दूसरी विधि के अधीन आरक्षित वन हो.

४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्त शासी प्रदेशों में न्याय-प्रशासन——(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रों के संबंध में और स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्, प्रादेशिक परिषदों, यदि कोई हों, के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़कर, उस जिले के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों के संबंध में, जिन दावों और मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के प्रावधान लागू होते हों अथवा जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के अधीन बनाई हुई किसी विधि से उद्भूत हों उनको छोड़कर, अन्य दावों और मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिये, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके, ग्राम-परिषद् अथवा न्यायालय संघटित कर सकेगी, और उचित व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परिषदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के अध्यासी पदाधारी नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के अधीन बनाई हुई विधियों के प्रशासन के हेतु आवश्यक हों.

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् अथवा उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा एतदर्थ संघटित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद् न हो तो, ऐसे जिले की जिला-परिषद्, अथवा उस जिला-परिषद् द्वारा एतदर्थ संघटित कोई न्यायालय, इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के प्रावधान जिन दावों और मुकद्दमों को लागू होते हों उनको छोड़कर ऐसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के, जैसी कि स्थिति हो, अन्तर्गत ऐसे समस्त दावों और मुकद्दमों मे पुर्नविचार न्यायालय की शक्तियां प्रयोग में लाएगा जिनमें समस्त पक्ष उस प्रदेश या क्षेत्र, जैसी कि स्थिति हो, के अन्तर्गत अनुसूचित वनजातियों के सदस्य हों, और उस राज्य में किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे दावों अथवा मुकद्दमों में अपील का क्षेत्राधिकार न होगा और ऐसी प्रादेशिक अथवा जिला-परिषद् अथवा न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा.

५. व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १९०८, तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, के अधीन कुछ दावों और अपराधों के वैधिक विचार के लिए प्रादेशिक और जिला-परिषदों और अन्य न्यायालयों और पदधारियों को शक्तियों का प्रदान.—(१) शासक, किसी स्वायतशासी जिले या प्रदेश में प्रवृत्त किसी ऐसी विधि से, जिसका उल्लेख शासक ने एतदर्थ किया है, पैदा हुए दावों या मुकद्दमों के वैधिक विचार के लिए, या भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) अथवा ऐसे प्रदेश या जिले में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन कालापानी या पांच वर्ष से अन्यून काल के लिये कारावास से दंडनीय अपराधों के वैधिक विचार के लिए, ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् को या ऐसी जिला परिषद् द्वारा स्थापित न्यायालयों को या शासक द्वारा एतदर्थ नियुक्त पदधारी को व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १९०८, के या, जैसी कि स्थिति हो, दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जैसी कि वह समुपयुक्त समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्, न्यायालय, या पदधारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दावों, मुकद्दमों या अपराधों का वैधिक विचार करेगा.

(२) शासक, इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन किसी जिला परिषद्, प्रादेशिक परिषद्, न्यायालय या पदधारी को प्रदत्त शक्तियों मे से किसी को वापिस ले सकेगा या संपरिवर्तन कर सकेगा.

(३) इस कंडिका में स्पष्टतया प्रावहित दशा के अतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया संहिता, १९०८, और दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८९८, किसी स्वायत्तशासी जिले में या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में किन्हीं दावों, मुकद्दमों, या अपराधों के वैधिक विचार पर लागू न होंगे.

६. प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला परिषद की शक्ति.—स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, कांजीहौस, नौघाट, मत्स्यपालन, सड़कें और जलमार्गों की स्थापना निर्माण और प्रबंधन कर सकेगी तथा विशेषतया प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा और रीति से दी जाय इसका विनिधान कर सकेगी.

७. जिला तथा प्रदेश की प्रणीवि (फंड).—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला प्रणीवि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक प्रणीवि संस्थापित की जायगी जिसमें क्रमशः उस जिले को जिला-परिषद् को और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस जिले अथवा प्रदेश के, जैसी कि स्थिति हो, प्रशासन करने में प्राप्त सब मुद्राओं को समाकलित किया जायेगा.

(२) जिला प्रणीवि (फंड) या, जैसी कि स्थिति हो, प्रादेशिक प्रणीवि के प्रबन्धन के लिये जिला परिषद् तथा प्रादेशिक परिषद् शासक के अनुमोदन से नियम बना सकेगी, और इस प्रकार से बने हुये नियमों में, उक्त प्रणीवि में मुद्राओं के देने के, उसमें से मुद्राओं को निकालने के, उसमें मुद्राओं के अभिरक्षण (कस्टडी) के, तथा इन विषयों से सम्बद्ध या इनके सहायक किसी विषय के, सम्बन्ध में अनुसरणीय कार्य-प्रणाली का विनिधान रह सकेगा.

८. भूम्यागम (मालगुजारी) निर्धारण तथा संग्रह करने और कर लगाने की शक्ति. -(१) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तर्गत सब भूमियों के सम्बन्ध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को तथा यदि जिलों में कोई प्रादेशिक परिषद् हों तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य सब भूमियों के सम्बन्ध में स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में, भूमि-आगम (मालगुजारी) को उन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारण और संग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यतः आसाम राज्य मे मालगुजारी के प्रयोजनार्थ भूमि के आगम-निर्धारण के लिये आसाम-शासन द्वारा उस समय अनुसरण किये जा रहे है.

(२) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तर्गत क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को तथा यदि जिले मे कोई प्रादेशिक परिषद् हों तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य सब क्षेत्रों के सम्बन्ध मे जिले की जिला-परिषद् को भूमि तथा इमारतों पर करों को, और ऐसे क्षेत्रों में वास करने वाले व्यक्तियों पर जन-कर (टोल) को लगाने और संग्रह करने की शक्ति होगी.

(३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसे जिले में निम्न करों में से सब या किसी को लगाने तथा संग्रह करने की शक्ति होगी, अर्थात्—

(क) व्यवसायों, वाणिज्य, वृत्तियों, तथा सेवायुक्तियों पर कर;

(ख) पशुओं, वाहनों और नावों पर कर;

(ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा नावों मे जाने वाले माल तथा व्यक्तियों पर मार्ग-कर (टोल);

(घ) पाठशालाओं, औषधालयों या मार्गों के संधारण के लिये कर.

(४) इस कंडिका की उपकंडिका (२) और (३) में उल्लिखित करों के लगाने तथा संग्रह करने के लिये प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद्, जैसी कि स्थिति हो, आनियम बना सकेगी.

९. खनिज पदार्थों की खोज या निकालने के लिये अनुज्ञापत्र अथवा पट्टे.—(१) स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र में खनिज पदार्थों के खोजने या उसे निकालने के प्रयोजनार्थ आसाम-शासन कोई अनुज्ञापत्र या पट्टा, उस जिले की जिला-परिषद् से परामर्श किये बिना न देगा.

(२) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम-शासन द्वारा खनिज पदार्थ खोजने या निकालने के लिये दिये गये अनुज्ञापत्र या पट्टों से प्रति वर्ष मिलने वाले अधिकार-शुल्क का ऐसा अंश जिला परिषद् को दे दिया जायेगा जैसा कि आसाम शासन और जिला-परिषद् में संविदा द्वारा ठहर जाये.

(३) यदि जिला-परिषद् को दिये जाने वाले अधिकार-शुल्क के अंश के बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो वह शासक को निर्णय के लिये सौंपा जायेगा और स्वविवेक से शासक द्वारा निश्चित राशि इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन जिला परिषद् को देय राशि समझी जायेगी और शासक का निर्णय अन्तिम होगा.

१०. **वनजातियों से भिन्न लोगों की साहूकारी और वाणिज्य के आयंत्रण के लिये जिला-परिषद् को आनियम बनाने की शक्ति.**—(१) स्वायत्त शासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उसमें निवास करने वाली वनजातियों से भिन्न हैं, साहूकारी और वाणिज्य के आनियमन और नियंत्रण के लिये आनियम बना सकेगी.

(२) ऐसे आनियम—

(क) विनिधान कर सकेंगे कि तद्विषयक दिये गये अनुज्ञापत्र रखने वाले के अतिरिक्त और कोई साहूकारी का व्यापार न करेगा ;

(ख) साहूकार द्वारा लगाई जाने या ली जाने वाली अधिक से अधिक ब्याज की दर नियत करने के लिये विनिधान कर सकेंगे;

(ग) साहूकारों द्वारा लेखा संधारण का तथा जिला परिषदों द्वारा एतदर्थ नियुक्त पदधारियों से ऐसे लेखे के निरीक्षण का, प्रावधान कर सकेंगे ;

(घ) विनिधान कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में रहनेवाली अनुसूचित वनजातियों में से नहीं है, जिला-परिषद् द्वारा तदर्थ दिये गये अनुज्ञापत्र के बिना किसी वस्तु में थोक या फुटकर-व्यापार न करेगा :

पर इस कंडिका के अधीन ऐसे आनियम तब तक न बन सकेंगे जब तक वे जिला-परिषद् की समस्त सदस्य संख्या के तीन-चौथाई से अन्यून बहुमत से पारण न किये जायें :

पर और भी यह कि ऐसे किन्हीं आनियमों के अधीन यह सामर्थ्य न होगा कि जो साहूकार अथवा व्यापारी ऐसे आनियमों के बनने के समय से पूर्व जिले के अन्दर व्यापार करता रहा है, उसको अनुज्ञापत्र देना अस्वीकृत कर दिया जाय.

११. **इस अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियों, नियमो और आनियमों का प्रकाशन.**—इस अनुसूची के अधीन जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई हुई सब विधियां, नियम, और आनियम राज्य के राजकीय सूचनापत्र (आफिशियल गजट) में तुरन्त ही प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधि-सम प्रभावी होंगे.

१२. **स्वायत्तशासी जिलोंऔर स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद् और राज्य के विधान मंडल के अधिनियमों का लागू होना.**—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) राज्य-विधानमंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध है जिनको इस अनुसूची की कंडिका ३ में ऐसे विषय का होना उल्लिखित किया गया है जिन पर जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधि बना सकेगी, और राज्य-विधानमंडल का कोई अधिनियम, जो अनासुत सौषविक पेय (नानडिस्टिल्ड अल्कोहोलिक लिकर) के पीने का प्रतिषेध अथवा संकोचन करता है, किसी स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक कि प्रत्येक दोनों स्थिति में जिला-परिषद् या ऐसे प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला-परिषद् लोक-अधिसूचना द्वारा इसके लिए निदेश न दे, और जिला-परिषद किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग पर लागू होने में अधिनियम ऐसे अपवादों या संपरिवर्तनों के साथ प्रभावी होगा जैसे कि वह उचित समझे ;

(ख) शासक, लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि जिस संसद्-अधिनियम अथवा राज्य के विधानमंडल के अधिनियम को इस कंडिका के खंड (क) के प्रावधान लागू न होते हों, वह किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को लागू न होंगे, अथवा ऐसे जिले अथवा प्रदेश अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों अथवा संपरिवर्तनों के साथ लागू होंगे जैसे शासक ऐसे जिले की जिला-परिषद् अथवा ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् के अनुमोदन से उस अधिसूचना में उल्लिखित करे, यदि ऐसे निदेश के निकालने का अभिस्ताव करने वाला संकल्प स्थित्यनुसार ऐसी जिला-परिषद् अथवा ऐसी प्रादेशिक परिषद् द्वारा पारित किया गया हो.

१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाए जायें.—किसी स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध आगणित आय और व्यय, जो आसाम राज्य के आगमों में समाकलित किये जाने वाले है या उसमें से जिनकी पूर्ति होनी है, इस संविधान के अनुच्छेद १७७ के अधीन राज्य-विधान-मंडल के सामने रखे जाने वाले राज्य के वार्षिक आर्थिक विवरण में पृथक् दिखाये जायेंगे.

१४. स्वायत्त शासी जिलों के प्रशासन की परिपृच्छा करने को और उसके विषय में प्रत्यावेदन करने को आयोग (कमीशन) की नियुक्ति.—(१) आसाम का शासक राज्य में स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय की, जिसका उसने उल्लेख कर दिया है, परीक्षा करने के लिये और उस पर अपना प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) करने के लिये किसी समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में स्थित स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन के सम्बन्ध में और विशेषतया—

(क) ऐसे जिलों में शैक्षिक और चिकित्सा की सुविधाओं तथा संचार के प्रावधान;

(ख) ऐसे जिलों के बारे में किसी नये अथवा विशेष विधान की आवश्यकता;

(ग) जिला और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आनियमों और नियमों के प्रशासन,

के सम्बन्ध में समय समय पर परिपृच्छा और प्रत्यावेदन करने के लिये आयोग नियुक्त कर सकेगा, और आयोग द्वारा अनुसरणीय कार्यप्रणाली का परिभाषण कर सकेगा.

(२) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रत्यावेदन को तत्सम्बद्ध शासक के अभिस्तावों के साथ सम्बन्धी मंत्री, आसाम-शासन द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में व्याख्यात्मक स्मारपत्र के साथ, राज्य के विधान-मंडल के सामने रखेगा.

(३) राज्य-शासन के कार्य को अपने मंत्रियों में विभाजन करते हुए आसाम का शासक अपने मंत्रियों में से किसी एक को विशेषतया राज्य के स्वायत्तशासी जिलों के कल्याण का प्रभार दे सकेगा.

१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों का अभिशून्यन अथवा निलम्बन.—(१) यदि किसी समय शासक को यह संतोष हो जाये कि प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् के किसी काम या संकल्प से भारत के क्षेम का संकट में पड़ना संभाव्य है तो वह ऐसे कार्य अथवा संकल्प का अभिशून्यन या निलम्बन कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही (जिसमें परिषद् का निलंबन और परिषद् में निहित या उससे प्रयोक्तव्य शक्तियों में से सब या किन्हीं को अपने हाथ में लेना भी सम्मिलित होगा) कर सकेगा जैसी वह ऐसे काम को किये जाने से अथवा चालू रखे जाने से या ऐसे संकल्प को प्रभाव दिये जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे.

(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन शासक द्वारा दिये गए आदेश को, उसके कारणों सहित, राज्य के विधानमंडल के सामने यथाशक्य शीघ्र रखा जायेगा और यदि आदेश को विधानमंडल खडित न कर दे तो वह उस तिथि से १२ मास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को वह दिया गया था :

पर यदि और जितनी बार राज्य का विधानमंडल ऐसे आदेश के प्रवर्तन को चालू रखने के लिये अनुमोदन का संकल्प पारण करता है तो आदेश, जब तक शासक उसे विलोपन न कर दे, उस तिथि से १२ मास की और कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जिस तिथि को कि इस कंडिका के अधीन वह अन्यथा प्रवर्तनशून्य होता.

(३) इस कंडिका के अधीन अपने प्रकार्यों को शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा.

१६. जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् का विलयन.—इस अनुसूची की कंडिका १४ के अधीन नियुक्त आयोग के अभिस्ताव पर शासक, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी प्रादेशिक या जिला परिषद् का विलयन कर सकेगा और—

(क) परिषद् के पुनःसंघटन के लिये तुरन्त ही नया सामान्य निर्वाचन करने के लिये निदेश दे सकेगा ; या

(ख) राज्य के विधानमंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्र के प्रशासन को शासक अपने हाथ में ले सकेगा या ऐसे क्षेत्र के प्रशासन को ऐसे आयोग के, जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा अन्य किसी निकाय के, जिसे वह समुपयुक्त समझता है, हाथ में १२ से अनधिक मास के लिये दे सकेगा :

पर जब इस कंडिका के खड (क) के अधीन कोई आदेश दे दिया गया हो तब शासक, प्रश्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नये चुनाव पर परिषद् का पुनःसंघटन होने तक इस कण्डिका के खंड (ख) मे निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा :

पर यह और भी कि जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा सुने जाने का अवसर जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् को, जैसी कि स्थिति हो, न दिया जाय तब तक इस कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी.

१७. कंडिका १९ से संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित क्षेत्रों पर इस अनुसूची के प्रावधानों का लागू होना.—(१) आसाम का शासक:—

(क) प्रधान के पूर्वानुमोदन से लोक अधिसूचना द्वारा, इस अनुसूची के पूर्वगामी सब अथवा किन्हीं प्रावधानों को कंडिका १९ से संलग्न सारणी के भाग २ मे उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को लागू कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे क्षेत्र अथवा भाग का प्रशासन ऐसे प्रावधानों के अनुसार होगा, और

(ख) इसी प्रकार के अनुमोदन से उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र को अथवा उसके किसी भाग को उक्त सारणी में से अपवर्जित कर सकेगा.

(२) उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजातिक्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती तब तक ऐसे क्षेत्र अथवा उसके भाग का, जैसी कि स्थिति हो, प्रशासन प्रधान, आसाम के शासक द्वारा, जो उसका (अभिकर्ता) एजेन्ट होगा, करेगा और इस संविधान के भाग ८ के प्रावधान वहां इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा क्षेत्र अथवा उसका भाग प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित क्षेत्र है.

१८. अन्तर्वर्ती प्रावधान.—इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र आसाम का शासक, राज्य के प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जो इस अनुसूची में दिये है, जिला परिषद् के संघटन के लिये कार्यवाही करेगा, और जब तक किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला परिषद् संघटित न हो तब तक ऐसे स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन स्वविवेक में कार्यकरते हुये शासक में निहित होगा और ऐसे जिल में स्थित क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस अनुसूची में दिये गये प्रावधानों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) संसद् अथवा उस राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक लागू न होगा जब तक कि शासक लोक अधिसूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दे ; और किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश भी दे सकेगा कि वह अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उसके किसी उल्लिखित भाग को ऐसे अपवादों और संपरिवर्तनों सहित लागू होगा जिनको वह उचित समझे ;

(ख) ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये शासक आनियम बना सकेगा और इस प्रकार बने आनियम ऐसे क्षेत्र में उस समय लागू होने वाले संसद्, अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम अथवा किसी वर्तमान विधि को विखंडित अथवा संशोधित कर सकेंगे. इस खंड के अधीन बने आनियम तुरन्त ही प्रधान के सामने रखे जायेंगे और जब तक वह उनको स्वीकृति न दे दे तब तक प्रभावी न होंगे ;

(ग) इस कंडिका के खंड (क) और (ख) के अधीन अपने प्रकार्यों को शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा.

१९. वनजाति क्षेत्र.—निम्न सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखित क्षत्र आसाम-राज्य के वनजाति क्षेत्र होंगे, और उक्त सारणी में किसी जिले या प्रशासित क्षेत्र के प्रति निर्देश को इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर विद्यमान जिले या क्षेत्र के प्रति निर्देश समझा जायेगा.

सारणी

भाग १

१. शिलांग नगर को छोड़कर खासी और जैन्तिया पहाडियों का जिला.

२. गारो पहाड़ियों का जिला.

३. लुशाई पहाड़ियों का जिला.

४. नागा पहाड़ियों का जिला.

५. कछार जिले का उत्तरी कछार उपविभाग (सब-डिवीज़न).

६. बरपाथर और सरूपाथर मौजों को छोड़कर नौगांव और शिवसागर जिलों का मिकिर पहाड़ी वाला भाग.

भाग २

१. सदिया और बालीपारा के सीमा-प्रदेश.

२. तीरप का सीमा-क्षेत्र (लखीमपुर सीमा प्रदेश को छोड़कर).

३. नागा वन-जाति-प्रदेश.

सप्तम अनुसूची

(अनुच्छेद २१७)

सूची १—संघसूची

१. भारत-राज्य-क्षेत्र और उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा, और सामान्यतः प्रतिरक्षा के लिये सारी तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य जो युद्धकाल में युद्ध को सफलता-पूर्वक चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात् सेना के सफल विसर्जन में सहायक हों.

२. केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग (इन्टेलीजेन्स ब्युरो).

३. प्रतिरक्षा, बहिर्देशीय कार्य अथवा भारत के क्षेम सम्बन्धी कारणों से भारत के राज्य-क्षेत्र में निवारक अवरोध.

४. संघ के जल, थल तथा नभ बलों का संग्रहण, प्रशिक्षण, संधारण और नियंत्रण तथा उनकी सेवायुक्ति ; प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों में संगृहीत तथा सेवायुक्त सशस्त्र बलों की संख्या, संघटन और नियंत्रण.

५. एसे उद्योग जिन्हें संसद् ने विधि द्वारा, प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ अथवा युद्धचालन के लिये आवश्यक घोषित किया है.

६. जल, थल तथा नभ बल की कर्मशालाएं.

७. सेनावास (छावनी) क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत, सेनावास-प्राधिकारी वर्ग की रचना तथा शक्तियां, ऐसे क्षेत्रो में गृह-व्यवस्था और ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन.

८. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, स्फोटवर्ग तथा उत्स्फोट.

९. परमाण्विक ऊर्जा तथा उसके उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज साधन.

१०. विदेशीय कार्य ; वे सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता हो.

११. अन्ताराजनैतिक, कान्सोलर (वाणिज्यदूतीय) तथा व्यापारीय प्रतिनिधान.

१२. संयुक्त राष्ट्र संघटन.

१३. अन्तारा्ष्ट्रीय सम्मेलनों, पार्षदों तथा अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किये गये निर्णयों की अभिपूर्ति.

१४. युद्ध तथा शान्ति.

१५. विदेशों के साथ संधियां और संविदायें करना तथा उनकी अभिपूर्ति.

१६. विदेशीय क्षेत्राधिकार.

१७. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य.

१८. विदेशीय ऋण.

१९. जानपदत्व, जानपद बनना, तथा अन्यदेशीय लोग.

२०. उदर्पण.

२१. पारपत्र तथा दृष्टांक (पासपोर्ट तथा वीजा).

२२. बाह्य समुद्र तथा (वायु) नभ में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध की गई सामुद्रिक डकैतियां, घोरापराध तथा अपराध.

२३. भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवासन तथा प्रनिष्कास

२४. भारत के बाहर स्थानों को तीर्थयात्रा.

२५. पत्तन निरोधा; सामुद्रिक तथा पौत्तिक चिकित्सालय और पत्तन निरोधाओं से सम्बद्ध चिकित्सालय.

२६. भारत-शासन द्वारा परिभाषित निराक्राम्यकर सीमाओं के पार आयात और निर्यात.

२७. डाक और तार.

२८. दूरभाष (टेलीफोन), वितन्तु (वायरलेस), आकाशभाषण और इसी प्रकार के अन्य संचार.

२९. डाकघर (प्रेषालय) संचयाधिकोष.

३०. वायुमार्ग; विमान (वायुवाहन) तथा विमान परिवहण; वायुपत्तनो का प्रावधान; वायुयातायात और वायुपत्तनों का आनियमन और संघटन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान और राज्यों तथा अन्य अभिकर्ताओं द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का आनियमन.

३१. ससद् से विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग.

३२. यंत्र चालित जलयानों के लिए संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये गये अन्तर्देश जल मार्गो पर नौ-परिवहण और नौतरण तथा ऐसे जल मार्गों पर मार्ग नियम ; ऐसे जल मार्गों पर यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाना.

३३. सामुद्रिक नौ-परिवहण तथा नौतरण जिसमें वेला जल पर नौपरिवहण तथा नौतरण सम्मिलित है ; वाणिज्य पौतिकों के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये प्रावधान और राज्यो तथा अन्य अभिकर्ताओं द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का आनियमन.

३४. नावाधिकरण-क्षेत्राधिकार.

३५. वे पत्तन जिनको संसद् निर्मित विधि अथवा वर्तमान विधि के द्वारा अथवा अधीन मुख्य पत्तन घोषित किया गया है, इसमें उनका परिसीमन और पत्तन प्राधिकारियों का संघटन तथा शक्तियां भी सम्मिलित है.

३६. प्रकाशस्तम्भ जिसमें प्रकाशपोत, उज्ज्ञप्तियां तथा नौपरिवहण तथा विमानों की रक्षा के लिये अन्य प्रबन्ध भी सम्मिलित है.

३७. वायु अथवा समुद्र से यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाना.

३८. संघ अयोमार्ग (संघ की रेलें) ; क्षेम, अधिकतम और अल्पतम दर और भाडे, स्टेशन और सेवा सीमा व्यय,यातायात का नियम और रेलवे प्रशासनों का माल और यात्रियों के वाहक के रूप मे उत्तरदायित्व --इन के विषय मे गौण अयोमार्ग (छोटी रेलों) का छोडकर और सब रेलों का आनियमन; क्षेम तथा रेलवे प्रशासनों का माल और यात्रियों के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व इन के विषय मे गौण अयोमार्ग (छोटी रेलों) का आनियमन.

३९. १५ अगस्त १९४७ को इम्पीरियल लायब्रेरी, इन्डियन म्यूजियम, दि इम्पीरियल वार म्यूजियम, दि विक्टोरिया मेमोरियल नाम से ज्ञात संस्थायें तथा भारत-शासन द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः अर्थ संधारित तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाली संस्था घोषित की गई कोई अन्य संस्था.

४०. १५ अगस्त १९४७ को बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी तथा अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से ज्ञात सस्थाएँ.

४१. भारत भूमिति विभाग, भौमकीय, औद्भिदीय, तथा प्राणिकीय; संघ के घनवातिकीय संघटन.

४२. संघ की सम्पत्ति और उससे आगम, किन्तु किसी राज्य में स्थित संपत्ति के बारे में , जहां तक संसद् ने विधि द्वारा अन्यथा प्रावहित किया है उसको छोड़कर, सर्वदा उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए.

४३. संघ के प्रयोजनार्थ अवाप्त अथवा अधियाचित संपत्ति के लिये मुआविजा निश्चय करने के सिद्धान्तों के आनियमन सम्बन्धी सूची ३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुये संघ के प्रयोजनार्थ संपत्ति का अवापन अथवा अधियाचन.

४४. भारत का रिजर्व बैंक (संचिति अधिकोष).

४५. संघ का लोक ऋण.

४६. चलार्थ, विदेशीय विनिमय, टंकवर्ग तथा वैधमुद्रा.

४७. अधिकोषण.

४८. धनादेश, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञा अर्थपत्र और अन्य ऐसे ही विलेख.

४९. आगोप (इंश्योरेन्स).

५०. निगम, अर्थात्, वाणिज्यिक निगमों का, अधिकोषीय, आगोपीय तथा आर्थिक निगमों के सहित किन्तु सहकारी मण्डलों के असहित, तथा एक राज्य में ही सीमित न रहने वाले उद्देश्यों को रखने वाले निगमों का, चाहे वे वाणिज्यिक हों या नहीं, किन्तु विश्वविद्यालयों के असहित, निगमन, आनियमन तथा समापन.

५१. एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, उपज्ञाएं, प्ररचनाएं, पण्यचिन्ह और वाणिज्य चिन्ह.

५२. सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां और लिये जाने वाले शुल्क.

५३. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, जिसका मुख्य अधिष्ठान, प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़ कर भारत के अन्तर्गत किसी राज्य में हो, उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र तक विस्तरण तथा किसी ऐसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र से अपवर्जन.

५४. सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर सब न्यायालयों के इस सूची में के विषयों में से किसी के विषय में क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ.

५५. जनगणना.

५६. संघ के प्रयोजनार्थ परिपृच्छाएँ, आपरीक्षण और समंक.

५७. निम्न प्रयोजनों के लिये संघ (अभिकर्तृत्व एजेन्सियाँ) और संस्थायें अर्थात्, अन्वेषणार्थ, व्यावसायिक अथवा प्रौद्योगिक प्रशिक्षणार्थ, अथवा विशेष अध्ययनों के वर्धनार्थ.

५८. संघ लोक सेवाएँ, और संघ-लोक-सेवा-आयोग (कमीशन).

५९. संघ के सेवायुक्तों से सम्बद्ध औद्योगिक विवाद.

६०. प्राचीन तथा ऐतिहासिक आस्मारक, जिनको संसद् ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो ; पुरावशेष स्थान तथा अवशेष.

६१. भार तथा माप के प्रमापों का स्थापन.

६२. अफीम जहां तक उसकी खेती तथा बनाने तथा निर्यात के लिये विक्रय का सम्बन्ध है.

६३. मिट्टी का तेल और संसद् से विधि द्वारा भयानक रूप से उज्ज्वाल्य घोषित किये गये अन्य तरलों और द्रव्यों का रखना, संग्रह करना, तथा परिवहण.

६४. जहां संघ के नियंत्रणाधीन विकास को संसद् ने विधि द्वारा लोक हित के लिये वांदनीय घोषित किया हो, उन उद्योगों का विकास.

६५. श्रम का आनियमन और खानों तथा तैल क्षेत्रों में क्षेम.

६६. उस विस्तार तक खानों तथा तैल क्षेत्रों और खनिज विकास का आनियमन, जहाँ तक संसद् ने विधिद्वारा संघ के नियंत्रणाधीन ऐसे आनियम तथा विकास को लोक हित के लिये वांछनीय घोषित किया हो.

६७. प्रथम अनुसूची के भाग १ अथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के किसी भाग के आरक्षी (पुलिस) बल के व्यक्तियों की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का, इस प्रकार उल्लिखित अन्य राज्य के किसी क्षेत्र तक विस्तार, किंतु इस प्रकार नहीं कि जिस से एक भाग का आरक्षीवर्ग (पुलिस) बाहर दूसरे स्थान में उस राज्य के शासन की सहमति के बिना शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके ; किसी राज्य के बल के व्यक्तियों की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर रेल के क्षेत्रों तक विस्तार.

६८. संसद्, तथा प्रधान और उपप्रधान के निर्वाचन; तथा इन निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-आयोग.

६९. प्रधान के परिलाभ, अधिदेय, तथा अवकाश सम्बन्धी अधिकार ; संघ के मंत्रियों, राज्यपरिषद् के सभापति, तथा उपसभापति, तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, तथा अधिदेय ; संसद् के सदस्यों के वेतन, अधिदेय तथा विशेषाधिकार ; भारत के महांकेक्षक के वेतन, अधिदेय तथा सेवा-प्रतिबंध.

७०. संसद् की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए अथवा प्रलेखों को उपस्थित करने के लिए व्यक्तियों की बलपूर्वक उपस्थिति कराना.

७१. एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रव्रजन.

७२. अन्ताराज्य निरोधा.

७३. सूची २ की प्रविष्टि ३३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अन्ताराज्य व्यापार तथा वाणिज्य.

७४. बाढ के नियंत्रण, सिंचाई, नौतरण तथा जलवैद्युत शक्ति के प्रयोजनार्थ अन्ताराज्य जलमार्गों का विकास.

७५. राज्यक्षेत्रीय समुद्रजल के बाहर मत्सन और मात्सिकी (मछली पकडना और पालना.)

७६. संघ अभिकर्ताओं द्वारा लवण का निर्माण तथा विभाजन ; अन्य अभिकर्ताओं द्वारा लवण के निर्माण तथा विभाजन का आनियमन तथा नियंत्रण.

७७. भारत-राज्यक्षेत्र के किसी भाग में संघ पर प्रभाव डालने वाली सद्यस्कृत्य स्थिति का सामना करने के लिए प्रबन्ध.

७८. भारत-शासन अथवा किसी राज्य के शासन द्वारा संघटित लाटरी.

७९. स्कंध-विनिमयों तथा भाविविपणि और वहां के सौदों पर मुद्रांक बलियाँ के अतिरिक्त, अन्य कर.

८०. विनिमय पत्रों, धनादेशों, प्रतिज्ञा-अर्थपत्रों, वहनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, प्रागोपलेख, अंशों के हस्तान्तरण, ऋणपत्रों, प्रतिपुरुषपत्रों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्रांक बलि की दर.

८१. कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी बलियाँ.

८२. कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी भू-सम्पत्ति बलि.

८३. रेल अथवा विमान द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुओं अथवा यात्रियों पर सीमा-कर ; रेल के भाड़ों और ढुलाई भाड़े पर कर.

८४. कृषि-आय को छोड कर अन्य आय पर कर.

८५. निराक्राम्य बलियाँ जिसके अन्तर्गत निर्यात बलियाँ भी है.

८६. तम्बाकू तथा भारत में निर्मित तथा उत्पादित अन्य वस्तुओं पर उत्पाद-बलियाँ पर इन में--

(क) मानव उपभोग के लिये सौषविक पेय ;

(ख) अफीम, गांजा तथा अन्य प्रमीलक भेषज और प्रमीलक ; अप्रमीलक भेषज ; सम्मिलित नहीं हैं ; किन्तु इनमें भैषजिक तथा श्रृंगार सम्बन्धी बनी हुई वस्तुएँ, जिनमें सुषव अथवा इस प्रविष्टि की अनुकंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य हो, सम्मिलित हैं.

८७. निगम कर.

८८. व्यक्तियों अथवा प्रमंडलों के परिसम्पदों के, जिनमें कृष्य भूमि सम्मिलित नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर ; प्रमंडलों की पूंजी पर कर.

८९. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध.

९०. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, पर किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं.

९१. सूची २ अथवा सूची ३ में अनंकित कोई अन्य विषय, और कोई कर जिसका उल्लेख इन दोनों सूचियों में न किया गया हो.

सूची २.— राज्य-सूची

१. लोक व्यवस्था [पर इसमें (सिविल) असैनिक शक्ति की सहायता के लिये जल, थल अथवा नभ बलों का प्रयोग सम्मिलित नहीं है]; लोक व्यवस्था के संधारण से सम्बद्ध कारणों से निवारक अवरोध ; इस प्रकार अवरुद्ध व्यक्ति.

२. न्याय-प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का संस्थापन तथा संघटन और वहां लिये जाने वाले शुल्क.

३. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ कर, सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां ; लगान तथा आगम न्यायालयों में कार्यप्रणाली.

४. आरक्षि-वर्ग (पुलीस) जिसके अन्तर्गत (रेलवे); अयोमार्ग तथा ग्राम-आरक्षि-वर्ग भी है.

५. कारागार, चरित्रशोधनगृह, बोर्स्टल संस्थायें और इसी प्रकार की अन्य संस्थायें और उनमें अवरुद्ध व्यक्ति, कारागारों तथा अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध.

६. राज्य का राष्ट्रऋण.

७. राज्य लोक सेवाएँ तथा राज्य लोक-सेवा-आयोग.

८. राज्य के अधिकार में अथवा उसमें निहित कर्मशालाएँ, भूमियां तथा इमारतें.

९. किसी राज्य के प्रयोजनार्थ अवाप्त अथवा अधियाचित संपत्ति के लिये मुआविजा निश्चय करने के सिद्धान्तों के आनियमन से सम्बद्ध सूची ३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, संघ प्रयोजनों के अतिरिक्त, भूमि की अनिवार्य अवाप्ति.

१०. राज्य द्वारा नियन्त्रित अथवा अर्थ संधारित पुस्तकालय, कौतुकालय और अन्य ऐसी संस्थाएँ.

११. राज्य के विधान-मंडल के लिए, और राज्य के शासक का (राज्य के शासक की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ एक तालिका बनाने के लिये) निर्वाचन ; और ऐसे निर्वाचनों का अधीक्षण, संचालन, और नियंत्रण करने के लिये निर्वाचन-आयोग.

१२. राज्य के शासक के परिलाभ, अधिदेय, तथा अवकाश सम्बन्धी अधिकार, राज्य के मंत्रियों के, विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के और यदि विधान-परिषद् हो तो उसके सभापति तथा उप-सभापति के वेतन तथा अधिदेय ; राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के वेतन, अधिदेय तथा विशेषाधिकार.

१३. राज्य के विधान-मंडल की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने के लिये अथवा प्रलेखों को उपस्थित करने के लिये व्यक्तियों की बलपूर्वक उपस्थिति कराना.

१४. स्थानीय शासन अर्थात् स्थानीय स्वशासन अथवा ग्राम प्रशासन के प्रयोजनार्थ नगर निगमों, सुधार प्रन्यास, मंडलगणों, खनि-वास-स्थान-प्राधिकारिवर्ग तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारिवर्ग का संस्थापन तथा शक्तियां.

१५. लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता; चिकित्सालय तथा औषधालय; जन्म और मृत्यु का पंजीयन.

१६. भारत के बाहर के स्थानों को तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्राएँ.

१७. शव गाडना तथा शव गाड़ने के स्थान ; शवदाह तथा श्मशान.

१८. शिक्षा, जिसमें सूची १ की प्रविष्टि ४० में उल्लिखित विश्वविद्यालयों को छोड कर अन्य विश्वविद्यालय सम्मिलित है.

१९. संचार, अर्थात् सडकें, पुल, नौका-घाट, और सूची १ में अनुल्लिखित संचार के अन्य साधन, (छोटी रेलें) गौण अयोमार्ग ऐसी रेलों के विषय में सूची १ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ; नगर रथ्यायान; रज्जुमार्ग; अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, ऐसे जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ तथा सूची ३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ; बडे पत्तनों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, पत्तन ; यंत्र से चलने वाले वाहनों को छोड़ कर, अन्य वाहन.

२०. सूची १ की प्रविष्टि ७४ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जल अर्थात् जल-प्रदाय, सिंचाई तथा नहरें, जलोत्सारण और बंध, जल-संग्रह और जलशक्ति.

२१. कृषी, जिसमें कृषि शिक्षा और अन्वेषण, विनाशी कीटों से बचाव और उद्भिद् रोगों की रोकथाम, सम्मिलित है.

२२. पशुओं की जाति की उन्नति, पशुओं के रोगों की रोकथाम; पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा व्यवहार.

२३. पश्ववरोधस्थान (कांजी हौस) और पशुओं के अनधिकार प्रवेश की रोकथाम.

२४. भूमि, अर्थात् भूमि में या उसके ऊपर अधिकार, जमीदार और किसान के सम्बन्ध, तथा लगान संग्रह के सहित भूमि पट्टे; कृष्य भूमि का हस्तांतरण तथा अन्यक्रामण ; भूमि सुधार तथा कृषि सम्बन्धी ऋण ; उपनिवेशन.

२५. असमर्थ व्यक्ति-संपत्ति रक्षा विभाग, भाररुद्ध अथवा प्रतिगृहीत (कुर्क की हुई) भूसम्पत्तियां.

२६. भूनिधि.

२७. वन.

२८. संघ के नियंत्रणाधीन आनियमन और विकास से सम्बद्ध सूची १ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खानों और तैल क्षेत्रों का आनियमन तथा खनिज विकास.

२९. मछली पकड़ने के स्थान (मात्सिकी).

३०. वन्य पक्षियों और वन्य प्राणियों की रक्षा.

३१. वाति तथा वाति शाला

३२. राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य ; बाजार और मेले.

३३. इस संविधान के अनुच्छेद २४४ के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, अन्य राज्यों के साथ व्यापार, वाणिज्य तथा यातायात का आनियमन.

३४. साहूकारी और साहूकार ; कृषि-ऋणिता का निवारण.

३५. धर्मशालाएँ और उनके प्रबन्धक.

३६. वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय तथा विभाजन.

३७. संघ के नियंत्रणाधीन कुछ उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उद्योगों का विकास.

३८. खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं का व्यामिश्रण.

३९. प्रमापों के स्थापन को छोड़ कर भार तथा माप.

४०. मादक पेय और प्रमीलक भेषज अर्थात् मादक पेयों, अफीम और अन्य प्रमीलक भेषजों का उत्पादन, निर्माण, पास रखना, परिवहण, क्रय और विक्रय—किन्तु अफीम के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के और विषों तथा भयानक भेषजों के सम्बन्ध में सूची ३ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए.

४१. निर्धनों की सहायता ; वृत्तिहीनता.

४२. सूची १ में उल्लिखित निगमों, और विश्वविद्यालयों को छोड़ कर निगमों का समामेलन, आनियमन, तथा समापन ; असमामेलित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य मण्डल तथा पार्षद ; सहकारी मण्डल.

४३. परोपकार तथा परोपकार-संस्थाएँ, परोपकारी तथा धार्मिक नीवियां तथा धार्मिक संस्थाएँ.

४४. रंगमंडप (थियेटर), नाटक, चल-चित्र किन्तु प्रदर्शनार्थ चल-चित्रों के लिये स्वीकृति देना इसके अन्तर्गत नहीं है.

४५. पण लगाना और जुआ.

४६. भू-आगम जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें हैं—

आगम का निर्धारण और संग्रहण, भूमि-उल्लेखों का रखना, आगम प्रयोजनार्थ और अधिकार उल्लेखों के लिये भूमापन, आगमों का अन्यक्रामण.

४७. मुद्रांक बलि की दरों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों में उल्लिखित प्रलेखों के अतिरिक्त अन्य प्रलेखों के विषय में मुद्रांक बलि की दरें.

४८. कृष्य भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में बलि.

४९. कृष्य भूमि के सम्बन्ध में भू-सम्पत्ति बलि.

५०. अन्तर्देशीय जलमार्गों से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुओं पर कर.

५१. कृषि आय पर कर.

५२. राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पाद-बलि और भारत के राज्यक्षेत्र में अन्यत्र निर्मित अथवा उत्पादित ऐसी ही वस्तुओं पर उसी अथवा उससे नीची दर पर (समता करने वाली) प्रतिबलि—

(क) मानव उपभोग के लिये सौषविक पेय ;

(ख) अफीम, गांजा, और अन्य प्रमीलक भेषज तथा प्रमीलक, अप्रमीलक भेषज ;

कन्तु इनमें भेषजिक तथा शृंगार सम्बन्धी बनी हुई वस्तुएँ जिनमें सुषव अथवा इस प्रविष्टि की अनुकंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य हो, सम्मिलित नहीं हैं.

५३. भूमियों तथा इमारतों पर कर.

५४. संसद् से खनिज-विकास सम्बन्धी विधि द्वारा लगाए गये किन्हीं परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकारों पर कर.

५५. प्रतिव्यक्ति-कर.

५६. व्यवसायों, वाणिज्यों, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर.

५७. पशुओं तथा नौकाओं पर कर.

५८. वस्तुओं के विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय, अथवा क्रय पर कर, सहित उन करों के जो इनके स्थान में राज्यान्तर्गत उन वस्तुओं के प्रयोग अथवा उपभोग पर लगते हैं जिन पर राज्य के अन्दर विक्रय, समस्त क्रय-विक्रय अथवा क्रय पर कर लगता है ; विज्ञापनों पर कर.

५९. रथ्यायानों सहित, सड़कों पर प्रयोग के उपयुक्त वाहनो पर कर, चाहे वे वाहन यंत्रचालित हों अथवा न हों.

६०. बिजली के उपभोग अथवा विक्रय पर कर.

६१. किसी स्थानीय क्षेत्र के अन्दर उपभोग, प्रयोग अथवा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर.

६२. विलास की चीजों पर कर जिसमें आमोद, विनोद, पण लगाने और जुआ खेलने पर कर, सम्मिलित है.

६३. मार्ग-कर (टोल).

६४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए परिपृच्छाएँ तथा समंक.

६५. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बध्द विधियों के विरुद्ध अपराध.

६६. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्यायालय में लिए जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं.

सूची ३.—समवर्ती सूची

१. दण्ड विधि, उन सब विषयों के सहित जो इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर भारतीय दण्ड-संहिता में समाविष्ट हैं, किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराधों को अपवर्जित कर के, तथा असैनिक शक्ति की सहायतार्थ जल, थल तथा नभ बलों के प्रयोग को अपवर्जित कर के.

२. दण्ड प्रक्रिया, उन सब विषयों के सहित जो इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर दण्ड-प्रक्रिया-संहिता में समाविष्ट हैं.

३. बंदियों और अभियुक्तों का एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाना.

४. व्यवहार प्रक्रिया, अवधि विधि के सहित तथा इस सविधान की प्रारम्भ तिथि पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता में समाविष्ट सब विषयों के सहित; प्रथम अनुसूची के भाग १ या भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुये दावों की वसूली जो करों तथा अन्य राजकीय अभियाचनाओं से सम्बन्ध रखती है और जिन अभियाचनाओं में भूमि-आगम की अवशेष राशि और भूमि-आगम के सदृश वसूल की जाने वाली राशियाँ सम्मिलित हैं.

५. साक्ष्य तथा शपथ ; विधियों, लोक कृत्यों तथा उल्लेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों का अभिस्वीकरण.

६. विवाह और विवाह-विच्छेद ; शिशु तथा अल्पवयस्क ; गोद लेना.

७. मृत्युपत्र, अरिक्थपत्रिता उत्तराधिकार; संयुक्त कुटुम्ब और विभाजन; वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षवाले, इस संविधान के आरम्भ होने के सद्यःपूर्व अपनी वैयक्तिक विधि के अधीन थे.

८. कृष्य भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति का हस्तान्तरण ; संलेखों तथा प्रलेखों का पंजीयन.

९. प्रन्यास तथा प्रन्यासी.

१०. प्रसंविदाएँ जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकर्तृत्व, वाहन-प्रसंविदाएँ और अन्य विशेष प्रकार की प्रसंविदाएँ हैं, किन्तु कृष्य भूमि सम्बन्धी प्रसंविदाए नहीं हैं.

११. विवाचन.

१२. नष्टनिधित्व, शोधाक्षमता.

१३. महाप्रशासक, तथा राजकीय प्रन्यासी.

१४. न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगृहीत शुल्कों अथवा बलियों को छोड़ कर अन्य मुद्रांक कर, पर इनके अन्तर्गत मुद्रांक कर की दरें सम्मिलित नहीं हैं.

१५. सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के जो अन्तर्गत हैं उनको छोड कर दोष जिन पर कार्यवाही की जा सके.

१६. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध, सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर, अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियां.

१७. वैधिक, चैकित्सिक तथा अन्य व्यवसाय.

१८. समाचारपत्र, पुस्तकें तथा मुद्रणालय.

१९. उन्मत्तता (पागलपन), मानसिक विक्षेप, जिसमें उन्मत्तों (पागलों) तथा विक्षिप्तों के उपचार तथा रखने के लिये स्थान भी सम्मिलित हैं.

२०. विष तथा भयानक भेषज.

२१. यंत्रचालित वाहन.

२२. बाष्पित्र.

२३. पशुओं के प्रति निर्दयता की रोक.

२४. आवारागर्दी ; यायावर तथा प्रव्राजी जातियां.

२५. निर्माणियां (कारखाने).

२६. श्रमिकों का कल्याण; श्रम के प्रतिबन्ध; प्रावधायी प्रणीवि; सेवायोजकों की देयता और कर्मकारों की हानिपूर्ति; असामर्थ्य उत्तरवेतन सहित स्वास्थ्य-आगोप; बृद्धावस्था के उत्तरवेतन.

२७. सेवायुक्तिहीनता और सामाजिक आगोप.

२८. (व्यापार) श्रमिक संघ ; औद्योगिक तथा श्रमविवाद.

२९. मनुष्यों, पशुओं तथा उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांसर्गिक तथा सांस्पर्शिक रोगों तथा विनाशी कीटों के एक राज्य से दूसरे में फैलने की रोकथाम.

३०. बिजली (विद्युत).

३१. अन्तर्देशीय जलमार्गों पर यंत्रचालित पोतों का परिवहण तथा तरण, ऐसे जलमार्गों पर रथ्यानियम, और राष्ट्रीय जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के अधीन, अन्तर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों तथा वस्तुओं का ले जाया जाना.

३२. चलचित्रों का प्रदर्शन के लिये संमोदन.

३३. संघ के प्राधिकार के अधीन निवारक अवरुद्ध (प्रिवेन्टिव) व्यक्ति.

३४. आर्थिक तथा सामाजिक उपक्रमण.

३५. वे सिद्धान्त, जिनके आधार पर संघ अथवा किसी राज्य के प्रयोजनार्थ अवाप्त अथवा अधियाचित सम्पत्ति के लिए स्थानादेय (मुआविज़ा) का निश्चय हो.

३६. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनार्थ (प्रयोजन के लिये) परिपृच्छाएं तथा समंक.

३७. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्यायालय में लिए जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं.

अष्टम अनुसूची

(अनुच्छेद ३०३ (१) (भ))

अनुसूचित वन जातियाँ

भाग १

मद्रास

१. बगता.

२. भत्ताडा (भूतगडा).—बडा भट्टियाडा, मुधिया भट्टाडा और सन भत्ताडा (छोटा).

३. भूमिया.—भूर भूमिया और बडा भूमिया.

४. बिसूए (वशई).—बारंजी जोरया, बेनागी दादुवा, फरंगी, होलर, झोरया, कोल्लए, कोडे, पारंगा, पेगा जोडिया, सोडो जोडिया और ताकोरा.

५. ढक्काडा.

६. डोम्बा.—अन्दनिया डोम्बा, अन्दिनिया डोम्बा, चोनेल डोम्बा, क्रिस्चियन डोम्बा, मिरगानी डोम्बा, उडिया डोम्बा, पोनाका डोम्बा, तेल्गा और उम्मिया.

७. गदबा—बोडा या गोटूब, सेरलम गोटूब, फिराजी गोटूब, जांडिया गोटूब, अल्लारो गोटूब, पनगा गोटूब, और पांगी गोटूब.

८. घासी (उनका दूसरा नाम हदी है).—बडा घासी और सद घासी.

९. गोंदी या गोंद.—मधीया गोंद और राज गोंद.

१०. गावडा.—भट गावडा, भरतिया गावडा, दूधकरिया, हाट गावडा, जातक गावडा और जोडिया.

११. कावसलिया गावडा.—बोसोथरिया गावडा, चिट्टी गावडा, दगायत गावडा (दोदू कमरिया), (दूदू कामारो), लारिया गावडा और पल्लोसोरिया गावडा.

१२. मगत गावडा.—बर्निया गावडा, बोडो मगाथा, डोंगायाथ गावडा, लाडिया गावडा, पोन्ना मगाथा और साना मगाथा.

१३. सीरिथी गावडा.

१४. हलावा.

१५. जाडापूय :

१६. जातापूय :

१७. कम्मारा.

१८. खत्ती.—खत्ती कोमारो और लोहारा.

१९. कोदू.

२०. कोम्मार.

२१. कोन्डा दोरा.

२२. कोडा कापू.

२३. कोडा रेडी.

२४. कोद या कोंद.—देशिया कोंद, दाग्रिया कोद, कुठिया कोद, टिकरिया कोद और एनादो कोंद.

२५. कोटिया.—बर्तिका, बेत उडिया, धुलिया या दुलिया, हालावा पाएका, पूतिया, सन्नारन्ना और सिधू पायको.

२६ कोया या रास कोया गावडा राजा, लिंगधारी उसके पंथों सहित,—कोयास (साधारण) और कोट्टू कोयास

२७. मादीगा.

२८. मालाया या कोडिया मालाय या वाल्मीकि.

२९. माली.—कोरजिया माली, पैको माली और पद्दा माली

३०. मन्ने दोराया.

३१. मने दोरा.

३२. मूक दवारा, नूक दवारा.

३३. मूली या मूलिया.

३४. मूरिया.

३५. ओजलू या मट्टिया कंसाली.

३६. इमनातिया.

३७. पैंगारापू.

३८. पलासी.

३९ पल्ली

४०. पेटियास.

४१. पोराजा.—बोडो, मुण्डा, दारुवा, दिदवाई या कोर, जोडिया, मुन्दिली, पेंगू पीडो और सालिया.

४२. रेड्डी दोरा.

४३. रल्ली या सचान्दी.

४४. रडाई.

४५. सवरा.—कापू सवरा, कुटिया सवरा, और मालिया सवरा.

४६. लक्षिशम, मीनीकाय और अमीनदीवी द्वीपों के निवासी.

भाग २

बम्बई

१. बर्दा.
२. बवचा.
३. भील.
४. चोधरा.
५. धनका.
६. धोदिया.
७. दुबला.
८. गामिट अथवा गमटा.
९. गोंड.
१०. काठोडी अथवा कटकरी.
११. कोंकना.
१२. कोलीमहादेव.
१३. मावची.
१४. नायकडा अथवा नायक.
१५. पारधी जिसमें अदवीचिंचेर और फांसे पारधी भी सम्मिलित हैं.
१६. पटेलिया.
१७. पोमला.
१८. पोवार.
१९. रथावा.
२०. तडवी भिल्ल.
२१. ठाकुर.
२२. वडवई.
२३. वर्ली.
२४. वसावा.

भाग ३

पश्चिमी बंगाल

१. भोट.
२. चाकमा.
३. कूकी.
४. लेपचा.
५. मुंडा.
६. मग.
७. म्रो.
८. ओरांव.
९. संथाल.
१०. तिपेरा.
११. पश्चिमी बंगाल के शासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वनजाति.

भाग ४

संयुक्त प्रांत

१. भुइया.
२. बैसवार.
३. बैगा.
४. गोंड.
५. खरवार.
६. कोल.
७. ओझा.
८. संयुक्त प्रांत के शासन द्वारा अधिसूचित अन्य कोई जाति.

भाग ५

पूर्वी पंजाब

स्पीति में तिब्बती और कांगडा जिले में लोहोल.

भाग ६

बिहार

१. बिहार-राज्य का निवासी जो निम्न जातियों में से किसी का सदस्य हो—

१. असुर.
२. बंजारा.
३. बथुडी.
४. बेंटकर.
५. बिंझिया.
६. बिरहोर.
७. बिरजिया.
८. चेरो.
९. चिक बराइक.
१०. गडाबा.
११. घटवार.
१२. गोंड.
१३. गोरैट.
१४. हो.
१५. जुआंग.
१६. करमाली.
१७. खरिया.
१८. खरवार.
१९. खेतौडी.
२०. खोंड.
२१. किसान.
२२. कोली.
२३. कोरा.
२४. कोरवा.
२५. महली.
२६. मल पहाडिया.
२७. मुंडा.
२८. ओरांव.
२९. पढिया.
३०. संताल.
३१. सौरिया पहाडिया.
३२. सवार.
३३. थारू.

२. निम्न मंडलों अथवा आरक्षी स्थात्रों (पोलीस-स्टेशनों) में से, अर्थात्, रांची, सिहभूम, हजारीबाग और संताल परगनों के मंडलों और मानभूम मंडल के अरशा, बलरामपुर, झलडा, जैपुर बाघ-मुंडी, चंदिल, इछागढ, बराहभूम, पटमडा बांदुआं और मन बाजार, के आरक्षी स्थात्रों की निम्न वनजातियों में से किसी एक का सदस्य :—

१. बाउरी.
२. भोगटा.
३. भुइया.
४. भूमिज.
५. घासी.
६. पान.
७. रजवार.
८. तूरी.

३. धनवाद उपविभाग या मानभूम जिले के किसी निम्न आरक्षी-स्थात्रों, अर्थात् पुरुलिया, हुरा, पंच, रघुनाथपुर, संतुरी, निटूरिया, पारा, चस, चन्दन-कियारी और काशीपुर, के भूमिज वन-जाति का कोई निवासी.

भाग ७

मध्यप्रांत

१. गोंड.
२. कवार.
३. माड़िया.
४. मुड़िया.
५. हलबा.
६. परधान.
७. ओरांव.
८. बिंझवाड़.
९. आंधा.
१०. भरिया भूमिया.
११. कोली.
१२. भटरा.
१३. बंगा.
१४. कोलाम.
१५. भील.
१६. भुंइहार.
१७. धनवार.
१८. भेना या बहेना.

१९. परजा.
२०. कमार.
२१. भुंजिया.
२२. मगारची.
२३. ओझा.
२४. कोर्कू.
२५. कोल.
२६. नगासिया.
२७. सवरा.
२८. कोर्वा.
२९. मझवार.
३०. खड़िया.
३१. सौंतता.
३२. कोंढिया.
३३. निहाल.
३४. बिरहूल (बिरहोर).
३५. रौतिया.
३६. पांडो.

भाग ८

आसाम

निम्न जातियाँ तथा समुदाय :—

१. कचारी.
२. बोरो अथवा बोरो कचारी.
३. राभा.
४. मीरी.
५. लालुंग.
६. मिकिर.
७. गारो.
८. हजोनफी.
९. देवरी.
१०. अबोर.
११. मिशमी.
१२. दाफला.
१३. सिफो.
१४. खाम्पटी.
१५. कोई नागा अथवा कुकी वन-जाति.
१६. आसाम के शासन द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वन-जाति अथवा समुदाय.

भाग ९

उडीसा

१. उडीसा के राज्य का निवासी जो निम्न-लिखित जातियों में से किसी का सदस्य हो—

१. बगाटा.
२. बनजारी.
३. चेंचु.
४. गडब.
५. गोंड.
६. जटापू.
७. खोंड (कोंड).
८. कोंडा-डोरा.
९. कोया.
१०. परोजा.
११. सावोरा (सवार).
१२. ओरांव.
१३. संताल.
१४. खड़िया.
१५. मुंडा.
१६. बनजारा.
१७. बिझिया.
१८. किसान.
१९. कोली.
२०. कोरा.

२. निम्न किसी क्षेत्र अर्थात् कोरापुट और खोंडमाल जिले और गंजाम एजेन्सी का निवासी जो निम्न वन-जातियों में से किसी का अंग हो :—

१. डोम अथवा डोम्बो.
२. पान अथवा पानो.

३. संबलपुर का निवासी जो निम्न लिखित किसी भी वन जातियों का अंग हो :—

१. बोरी.
२. भुइया.
३. भूमिज.
४. घासी.
५. दूरी.
६. पान अथवा पानो.

GPN—192—CP—24-11-48—500.